राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

1. **प्रस्तावना**–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन् 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक स्वायत्त शासी सोसाइटी के रूप में की गई थी। बोर्ड का मुख्यालय इन्स्टीट्यूट्शन, सैक्टर–18, गुड़गांव, हरियाणा में है।

इसके प्रबंध निदेशक एन.एच.बी. के प्रधान कार्यपालक हैं जो एन.एच.बी. के निदेशकों के बोर्ड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के सम्पूर्ण पर्ववेक्षण तथा मार्गदर्शन में एन.एच.बी. योजना का कार्यान्वयन करते हैं।

1.1 एन.एच.बी. द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की सूची

(i) बागवानी फसलों के उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

(ii) बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगारों/भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना।

(iii) बागवानी के सवंर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अतंरण

(iv) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा

(v) बागवानी सवंर्धन सेवा

1.2 एन.एच.बी. योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य

उपर्युक्त योजनाओं के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) चिह्नित बेल्टों में उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फार्मों को विकसित करना और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी क्रियाकलापों से गुंजायमान कर देना जो कि बागवानी के विकास के लिए एक हब के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए आम सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई–पश्चात प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना।

(iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृति ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखलाओं की अवसंरचना का विकास करना।

(iv) आवश्यक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन करने के पश्चात अंगीकरण के लिए नए प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों को प्रचलित करना।

(v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मूल पौध नर्सरी की स्थापना का संवर्धन करना तथा प्रत्यायन/मूल्यांकन बागवानी नर्सरी तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित कार्यान्वयन द्वारा गुणवत्ता आधारित रोपण सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सहायता करना।

(vi) ताजे बागवानी उत्पादों का संवर्धन तथा बाजार के विकास के लिए कदम उठाना।

(vii) नई विकसित/आयातित रोपण सामग्रियों तथा अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल,

आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल के क्षेत्र परीक्षण का संवर्धन करना तथा प्रामाणिक प्रौद्योगिकी के व्यावसायिकरण के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन करना।

(viii) माननकीकृत पी.एच.एम. प्रोटोकॉल, ताजे बागवानी उत्पादों के लिए निर्धारित क्रांतिक संचयन अवस्था शीत श्रृंखला अवसंरचना आदि के तकनीकी मानक बेंचमार्क से संबंधित अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन करना।

(ix) उत्पादक/किसान तथा सेवा प्रदाता जैसे गार्डनर, कृषि स्तर के कुशल श्रमिक, शीत संग्रहगारों के प्रचालकों, कटाई–पश्चात प्रबंधन कार्य बल के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी अंतरण करना। इसमें नए बागवानी उत्पाद तथा मास्टर प्रशिक्षण भी शामिल हैं।

(x) बागवानी उत्पाद तथा उत्पादों की खपत के संवर्धन के लिए कदम उठाना।

(xi) बागवानी पार्कों तथा कृषि–निर्यात क्षेत्रों में सामान्य जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना।

(xii) बाजार आसूचना प्रणाली, बागवानी डाटाबेस को विकसित करने तथा प्रसार एवं संचयन को सुदृढ़ बनाना।

(xiii) वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन, प्रतिबंधों की पहचान करने के लिए अध्ययन तथा सर्वेक्षण करना और बागवानी के योजनाबद्ध विकास के लिए लघु तथा दीर्घावधि रणनीति विकसित करना तथा सलाहकार एवं परामर्शी सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए अध्ययन तथा सर्वेक्षण को कार्यान्वित करना है।

सभी योजनाओं के लिए सामान्य दिशा–निर्देश

2.1 आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया

ऑन–लाईन आवेदन पत्र, आवेदन पत्र की लागत, परियोजनाओं का निरीक्षण, परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए संवीक्षा मानदंडों, प्रक्रिया एवं विभिन्न स्वीकृतियों और अनुमोदनों एवं रिकार्ड रखरखाव सहित सभी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र को भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी।

2.2 सैद्धान्तिक अनुमोदन, रा.बा.बो. द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन तथा वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया

आशय पत्र (एलआईओ) का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना, परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन, मॉडल परियोजनाओं तथा उनके घटकों की मानक लागत को अंतिम रूप देना, वित्तीय सहायता की स्वीकृति आदि समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वित होंगे।

2.3 लागू होने की तारीख

योजना के दिशा–निर्देश 1 मई 2010 से लागू होंगे।

2.4 पात्र संगठन

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सभी रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र संगठनों/प्रवर्तकों में गैर–सरकारी संगठन, उत्पादकों की एसोसिएशन, व्यक्ति, भागीदारी/ मालिकाना हक वाले प्रतिष्ठान, कम्पनियां, निगम, सहकारी समितियाँ, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगम/ समितियां, कृषि उद्योग निगम, एस.ए.यू. और अन्य संबद्ध अनुसंधान एवं विकास संगठन शामिल हैं।

2.5 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता के घटकों तथा सहायता के ढांचे का विस्तृत विवरण उनसे संबंधित अध्याय में दिया गया है। एन.एच.एम. तथा एन.एच.बी. की योजनाओं को परस्पर रूप से शामिल किया जाएगा तथा लाभ का दावा केवल–एक परियोजना के लिए एक योजना से लिया जा सकता है। वे घटक जो किसी अन्य केन्द्रीय योजना जैसे एपीडा, एमएफपीआई, एनएमपीबी आदि के अंतर्गत सहायता प्राप्त है, रा.बा.बो. की सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

विशिष्ट योजनाओं के लिए दिशा–निर्देश

योजना–1

बागवानी फसलों के उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से व्यावसायिक बागवानी का विकास

घटकों का विवरण तथा सहायता का तरीका

I. **उत्पादन से संबंधित घटक** : साख नियंत्रित परियोजनाओं जो हाई–टेक व्यावसायिक उत्पादन इकाई की स्थापना से संबद्ध है जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं, इस घटक के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं :

(i) उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक बागवानी फसलें
(ii) देशी फसलें/उत्पाद, जड़ी–बूटियां, मसाले
(iii) सुगन्धित तथा औषधीय पौधे
(iv) बीज एवं नर्सरी
(v) जैव–प्रौद्योगिकी, माइक्रो–जीव विज्ञान, जैव–रसायन, जैव–सघनता एवं टिश्यू कलचर
(vi) संरक्षित कृषक
(vii) जैव–कीटनाशी
(viii) जैविक उर्वरक, जैविक भोजन, जैव–गतिकी कृषि, कृमि खाद
(ix) बागवानी स्वास्थ्य निदानशाला/प्रयोगशालों की स्थापना
(x) हाइड्रोपानिक्स, एयरोपॉनिक्स
(xi) मधुमक्खी पालन एवं इनके उत्पाद
(xii) खुम्भी (मशरूम) एवं इनके उत्पाद
(xiii) गिरीदार फल एवं इसके उत्पाद

सहायता का तरीका

साख नियंत्रित बैंक–एन्डिड आर्थिक सहायता जो सामान्य क्षेत्र में कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए प्रति परियोजना है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में यह सीमा 30 लाख रुपए प्रति परियोजना है। तथापि, संरक्षित कृषि तथा खजूर, जैतून तथा केसर की बाहरी कृषि की पूंजी के लिए आर्थिक सहायता परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है (जनजातीय पहाड़ी क्षेत्र में परियोजना लागत के 33 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 60 लाख रुपए है)।

सामान्य शर्तें

(i) उपर्युक्त सहायता खुली कृषि के मामले में परियोजना जो चार हेक्टेयर (10 एकड़ से अधिक) के क्षेत्र में फैले हो तथा संरक्षित कृषि के मामले में 1000 वर्ग मीटर से अधिक के लिए उपलब्ध होगी।

(ii) परियोजना के लिए वित्त साख घटक के रूप में बैंकिंग अथवा गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से होनी चाहिए तथा देय आर्थिक सहायता की दर से कम से कम 15 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।

(iii) नई उत्पादन इकाईयों की स्थापना से संबंधित परियोजनाएं के मूल्य को सुनिश्चित करेगा तथा ठेकेदार को पौध सामग्री के रूप में अनिवार्य हाई–टेक घटकों, रोपण सिंचाई, फर्टिगेशन, फार्म पर प्रिसिशन फार्मिंग, पीएचएम/ अवसंरचना संबंधी प्राथमिक प्रसंस्करण, जीएपी आदि के लिए ठेकेदार को अधिकार देगा तथा इस सीमा तक परियोजना एकीकृत होगी।

(iv) विभिन्न घटकों की मानक लागत रा.बा.बो. द्वारा निर्धारित की जाएगी।

II. पीएचएम/घटकों से संबंधित प्राथमिक प्रसंस्करणः साख नियंत्रित परियोजनाओं में शामिल निम्नलिखित मदें इस घटक के अंतर्गत सहायता की पात्र हैं :

(i) धुलाई, शुष्क करने, छंटाई, श्रेणीकरण, वैक्सिंग, पैकिंग, पेलेटिजिंग, हिमीकरण इकाई आदि

(ii) शीतलन–पूर्व–इकाई/शीतलन भंडार

(iii) रीफर वेन/कंटेनर

(iv) विशिष्ट परिवहन वाहन

(v) खुदरा बिक्री केन्द्र

(vi) नीलामी मंच

(vii) पक्वन/व्याधि शमन चैम्बर

(viii) बाजार यार्ड/रज्जु मार्ग

(ix) प्रदीयन/वाष्प ऊष्मा उपचार इकाई

(x) उत्पादों का प्राथमिक प्रसंस्करण (क्रिण्वन, निष्कर्षण आसवन, जूस विक्रय, लुगदी, प्रतिसारण, कटाई, चिराई, निर्जलीकरण आदि)

(xi) प्राकृतिक रंग एवं रंजक निष्कर्षण

(xii) बागवानी उत्पादों से निकाले गए सुगंधित तेल, परफ्यूमरी तथा कास्मेटिक्स

(xiii) बागवानी अपशेष से निकाले गए उत्पाद

(xiv) बागवानी से संबद्ध कृषि औजार, मशीने, उपकरण, प्लास्टिक केटेनर, पैंकिंग आदि के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए बागवानी आनुषांगी उद्योग।

(xv) गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों (एचएसीसीपी, टीक्यूएम, आईएसओ, यूरो–जीएपी, आदि) को अपनाना।

(xvi) प्लास्टिक क्रेट एवं बिन्स, कार्टन, कीटाणुरहित पैकिंग और जालियां।

सहायता का तरीका

सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से 50 लाख रुपए तथा पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का अधिकतम 55 प्रतिशत की दर से 60 लाख रुपए बैक–एन्डिड साख नियंत्रित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्लास्टिक क्रेटों के लिए सहायता का तरीका कुल लागत का 50 प्रतिशत होगा।

पीएचएम/पीपी परियोजनाओं के लिए सामान्य शर्तें

(i) प्राथमिक प्रसंस्करण तथा कटाई–पश्चात प्रबंधन से संबद्ध परियोजनाएं या तो व्यावसायिक बागवानी के क्षेत्र विस्तार के एकल परियोजना से जुड़ी फार्म परियोजनाओं के रूप में अथवा व्यावसायिक बागवानी के नए परियोजनाओं के समूह तथा प्रचलित बगीचे/फार्म के रूप में लागू की जाएगी। नए संयंत्र/मशीन/प्रभावी स्वचालन से संबद्ध उपकरण का परिचय, प्रचलित पीएचएम अवसंरचना में अद्यतन प्रसंसकरण प्रौद्योगिकी आदि के परिचय पर भी विचार किया जा सकता है; तथापि वे घटक जो नियमित मरम्मत एवं रखरखाव तथा पुराने संयंत्र के प्रतिस्थापन एवं वे मशीनें जिनकी मूल्य नगण्य हो को शामिल नहीं किया जाता है। पीएचएम घटक जैसे पैक हाऊस केवल आर्थिक सहायता की बढ़ी हुई दर के लिए पात्र होंगे जब अवसंरचना प्रौद्योगिकी, यदि कोई हो, के निर्धारित स्तर के अनुसार हो।

(ii) निर्धारित मानकों के अनुसार एक बार सहायता के रूप में उत्पादन के व्यावसायिक बागवानी परियोजनाओं सहित

एकीकरण में क्रेट तथा जाली (केवल शेड और ओला–रोधी) के लिए 50 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। क्रेटों के लिए आर्थिक सहायता को केवल वास्तविक स्तर पर उसके वास्तविक खरीद के बाद निर्मुक्त किया जाएगा, जो फल के पकने/कटाई के स्तर पर होगा। तदनुसार, क्रेटों की आर्थिक सहायता को बाद के समुचित स्तर पर अलग से निर्मुक्त किया जाएगा।

(iii) प्लास्टिक क्रेट/टोकरियों के लिए वित्तीय सहायता उत्पादक के परिणाम में स्वयं दी गई है तथा इनका उद्देश्य बागवानी उत्पाद के लिए उपभोक्ता के अंतिम मूल्य में उत्पादक के शेयर को बढ़ाना है, प्लास्टिक क्रेट तथा टोकरियों के लिए सहायता पैक हाऊस/पक्वन या व्याधिभमन चैम्बर/शीत संग्रहगार इकाई/प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई की नई साख नियंत्रित परियोजना या उनके उपयुक्त संयोजन जब उत्पादक कंपनी/पंजीकृत उत्पादकों का एसोसिएशन/पीएसयू ऐसे परियोजनाओं के प्रवर्तक होते हैं, पर विचार किया जाएगा। परियोजना के व्यवसाय मॉडल, स्टॉक एवं स्टैकिंग प्रणाली तथा वास्तविक आवश्यकों को ध्यान में रखते हुए उनके गुणाव गुण पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसके लिए, क्रेट ऐसे साख निर्धारित परियोजनाओं के अंतर्गत नियत पूंजी निवेश का अभिन्न भाग होगा तथा उधार देने वाले बैंक द्वारा तदनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। रा.बा.बो. की समिति ऐसे किसी परियोजना के संबंध में क्रेट/टोकिरयों की स्वीकार्य संख्या के मूल्यांकन के लिए सूत्र सूत्रबद्ध करेगा।

(iv) मेड जालियां (शेड नेट) तथा ओलारोधी जालियां फल बगीचों के 4 हेक्टेयर से अधिक के अर्हक क्षेत्र मानक के प्रचलित व्यवयायिक बागवानी परियोजनाओं के लाभ हेतु साख निर्धारित परियोजना पर सहायता के लिए एकबार विचार किया जाएगा। सीएफबी कार्टनों, कीटाणुरहित पैकिंग, फल की छोटी टोकरियां पॉली बैग के मामले में सहायता उनके प्रथम वर्ष के दौरान नए बागवानी उत्पाद को लाने तथा बाजार में बागवानी उत्पादों की जानकारी की एक बार सहायता उनके गुणावगुण पर उपलब्ध होंगे।

(v) शीत संग्रहगार योजना में शामिल नहीं किए गए घटकों के लिए लाभ प्रर्वतकों के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त वह सहायता उत्पादन की एकीकृत परियोजनाओं की स्थापना तथा पीएचएम घटकों के लिए व्यावसायिक बागवानी योजना के लिए दी जाएगी।

(vi) मद II(xiv) द्वारा शामिल मदों के देशी विनिर्माण के संवर्धन के लिए इकाईयों का चयन रा.बा.बो. की समिति द्वारा गुणावगुण पर निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

(vii) परियोजना के वित्त साधन साख घटक बैंकिंग अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण के रूप में होने चाहिए तथा कम से कम आर्थिक सहायता की स्वीकार्य दर से 15 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।

(viii) नई उत्पादन इकाईयों की स्थापना से संबद्ध परियोजनाओं का तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन करना होगा जिससे कि उद्यमी उत्पाद गुणवत्ता, उत्पादन तथा पर्यावरणीय संबद्ध हो, को ध्यान में रखते हुए अद्यतन उपलब्ध प्रौद्योगकी को समाविष्ट कर सके।

(ix) इस योजना घटक के अंतर्गत परियोजनाएं नई उत्पादन संबंधी परियोजना के भाग या रा.बा.बो. की योजनाओं के अंतर्गत प्रचलित उत्पादन संबंधी परियोजना सहायता सहित या रहित स्थापना सहित एकीकरण तथा उत्पादन संबद्ध घटकों की श्रेणी में आते हैं के रूप में एकीकृत किया जा सकता है; कुछेक घटक ऑन फार्म तथा दूसरे ऑफ–फार्म हो सकते हैं; इसके अतिरिक्त ऐसी परियोजनाएं नए बागवानी उत्पाद के उत्पादन सहित सेवा प्रदाता/व्यवसायी/उद्योगपति द्वारा समुचित कमजोर कड़ी के रूप में स्थापित की जा सकती है।

(x) विभिन्न घटकों के लिए मानक लागत समय–समय पर रा.बा.बो. द्वारा निर्धारित होगी।

एल.ओ.आई. के लिए आवेदन–पत्र तैयार करने हेतु विस्तृत अनुदेश, प्रारूप और अन्य प्रासंगिक सूचना अनुलग्नक–I (इस पुस्तिका के पृष्ठ 23 से 69) में दी गई है।

योजना–2

बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार/संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश आर्थिक सहायता योजना

घटकों का विवरण तथा सहायता का तरीका

घटक : साख निर्धारित परियोजना से संबद्ध नियंत्रित वातावरण (सीए) तथा आभोधित वातावरण (एमए) संग्रहगार, शीतलन पूर्व इकाईयां, प्याज के लिए अन्य संग्रहगार, आदि, उनका आधुनिकीकरण सहित शीत संग्रहार इस घटक के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।

सहायता का तरीका : सामान्य क्षेत्रों में साख निर्धारित बैक–एन्डिड आर्थिक सहायता परियोजना की पूंजी लागत का 40 प्रतिशत की दर से तथा पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में नीचे दी गई मद (i) से (iv) के लिए अधिकतम संग्रह क्षमता 5000 एमटी प्रति परियोजना के लिए 55 प्रतिशत सहायता होगी।

शीत संग्रहगार परियोजनाओं के लिए सामान्य शर्तें

(i) बहु–चैम्बर शीत संग्रहार जिसमें आरसीसी का महय तल तथा अथवा उत्पादों के लिए काष्ठ ढांचा जिसके लिए शीतलन–पूर्व अपेक्षित न हो, तापक्रम क्षमता 0°C प्लस से 16°C से या फिन–क्यायल शीतलन प्रणाली के लिए उसके अधिक, आर्द्रता के लिए नियंत्रण प्रणाली (सामान्य में आर एच 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तथा प्याज एवं लहसून के लिए 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तथा बीज संग्रह के लिए समुचित स्तर) संग्रहित वस्तुओं के समुचित रखरखाव के लिए आग दुर्घटना, प्रतीभतन के रिसाव आदि के लिए सुरक्षा प्रणाली, न्यूनतम दो चैम्बर, सिविल संरचना सहित मानक विद्युतरोधी सामग्री, निर्धारित मानकों के अनुसार 6,000 रु. प्रति एम.टी. की दर विद्युतरोधी तथा शीतलन प्रणाली शामिल है।

(ii) बहु–चैम्बर तथा बहु–उत्पाद शीत संग्रहगार जिनमें सभी क्षमता वाले बागवानी उत्पाद लेकिन पूर्व शीतलन प्रणाली को छोड़कर (तापक्रम क्षमता –2°C या कम से कम 16°C से प्लस) तापक्रम सहित आर्द्रता तथा CO_2 नियंत्रण सामान्य में फल एवं सब्जी के लिए आरएच 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक तथा प्याज एवं लहसून के लिए 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक या बीज संग्रह आदि के लिए समुचित स्तर तक फिन–क्वायल शीतलन प्रणाली तथा व्यस्त तथा कम व्यस्त वाली प्राप्ति अवधि के लिए ऊर्जा बचत उपकरण, CO_2 नियंत्रण प्रणाली सहित ताप अंतरण, सूक्ष्म जीवी/धूल के जीवाणु के नियंत्रण के लिए समुचित प्रौद्योगिकी तथा संग्रहित वस्तुओं जैसे रेक्स, फल की छोटी टोकरियां एवं फार्क लिफ्ट/स्टेकर (स्थान की दशा के अनुसार); थैलियां/ बिन्स तथा क्रेट/सीएफबी बाक्स तथा दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं।

(क) सिविल संरचना/पूर्व निर्मित इंजी. संरचना, विद्युत रोधी, शीतलन प्रणाली आदि सहित निर्धारित मानक के अनुसार जिसमें मध्य तल युक्त शीत संग्रहगार 7000 रु. प्रति मी. ट. की दर से सहित शामिल नहीं है।

(ख) सिविल संरचना/पूर्व–निर्मित इंजी. संरचना, विद्युत रोधी, शीतलन प्रणाली आदि सहित निर्धारित मानक के अनुसार (मध्य तल शीत संग्रहगार को छोड़कर) तथा ऑन–फार्म धुलाई/डी–सैपिंग (आवश्यकतानुसार) के लिए पैक हाउस सुविधा, रंजक, छटाई, श्रेणीकरण, वैक्सिंग, पैकिंग आदि तथा शीतलन पूर्व 8000/– रु. प्रति एमटी की दर से।

(iii) शीत संग्रहगारों का आधुनिकीकरण

(क) ताप विद्युत रोधी का उन्नयन (अपग्रेडशन)

(ख) शीतलन प्रणाली, प्रतीशतन, वायु प्रवाह, विद्युत स्थापन, रखरखाव से संबंधित उपकरण, सुरक्षा से संबंधित उपकरण आदि का उन्नयन (अपग्रेडेशन)।

उपर्युक्त (i) के लिए अधिकत्तम 1000/मी.ट. और (ii) के लिए 2000/मी.ट. तक की दर पर आधारित परियोजना।

उपर्युक्त (i) और (ii) का लाभ पूर्ण आधुनिकीकरण के लिए दोनों को जाएगा।

(iv) सीए संग्रहगार 32000 रु. प्रति एमटी की दर से।

(v) परियोजना के वित्त साधन के रूप में साख घटक बैंकिंग अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण के रूप में होने चाहिए तथा कम से कम आर्थिक सहायता की स्वीकार्य दर से 15 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।

(vi) इस घटक के अंतर्गत संशोधित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता को प्राप्त करने में केवल ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं जो निर्धारित तकनीकी मानकों को पूरा करती है, इस संबंध में निर्धारित कार्यान्वयन प्रोटोकॉल के अनुसार इसे निश्चित करना होगा।

(vii) यंत्र सज्जित रखरखाव के लिए रैक, फल की छोटी टोकिरयां तथा उपयुक्त अभिकल्पन प्रणाली को उपर्युक्त प्रकार के अभिकल्पन में समाविष्ट किया गया है।

(viii) परियोजनाओं के संबंध में, जिसमें घटकों का समायोजन है या शीतलन पूर्व, पैक हाऊस आदि के घटकों का तकनीकी रूप अनुभंसित विभिन्न संयोजक हैं, की मानक लागत का लेखा–जोखा बोर्ड की समिति द्वारा किया जाएगा।

(ix) रा.बा.बोर्ड की सहायता केवल तभी उपलब्ध है जब कृषि मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित अद्यतन तकनीकी मानकों तथा प्रोटोकॉल का अनुपालन लाभार्थी द्वारा किया जाता है।

एल.ओ.आई. के लिए आवेदन–पत्र तैयार करने हेतु विस्तृत अनुदेश, प्रारूप और अन्य प्रासंगिक सूचना अनुलग्नक–II (इस पुस्तिका के पृष्ठ 70 से 96 तक) में दी गई है।

योजना–3

बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण

घटक

(i) नई प्रौद्योगिकियों का परिचय

(ii) प्रगतिशील किसानों का दौरा

(iii) संवर्धनात्मक एवं विस्तार गतिविधियां

(iv) भारत/विदेशों से तकनीकी जानकारी

(v) प्रौद्योगिकी जागरूकता

(vi) संगोष्ठियों/परिचर्चा/प्रदर्शनियों का आयोजन/ भागीदारी

(vii) उद्यान पंडित

(viii) प्रचार एवं फिल्में

(ix) प्रौद्योगिकी उन्नयन (अपग्रेशन) तथा बाजार के लिए जागरूकता

(x) प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए वैज्ञानिकों को मानदेय

(xi) बागवानी नर्सरी का प्रत्यायन एवं मूल्यांकन

(xii) फल की फसलों के लिए वंशानुगत पौध नर्सरी के लिए मूल पौध नर्सरी

(xiii) बागवानी/पार्क/कृषि निर्यात क्षेत्रों आदि में सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता

घटकों का विवरण तथा सहायता का तरीका

(I) नई प्रौद्योगिकियों का परिचय

(क) नए फार्म निवेश, उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक उत्पादन और या उत्पादकता को बढ़ाने, वृद्धि विनियमन, पादप संरक्षण के संवर्धन के लिए नई तथा समुचित प्रौद्योगिकियों के परिचय के लिए प्रायोजक परियोजनाओं की शुरूआत करना।

(i) ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं का चयन करने के लिए व्यावसायिक निर्वाह मुख्य मानदंड होगा

(ii) परियोजना में निम्नलिखित पहलुओं में से एक पहलू होना चाहिए :–

- व्यावसायिक पैमाने पर अंगीकरण के लिए मूल रूप में विकास करना
- नई फार्म निवेश/प्रौद्योगिकी/औजार/ उपकरणों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण

(iii) प्रौद्योगिकी/संकल्पना का कार्यान्वयन

(iv) अंगीकरण और व्यावसायीकरण के लिए बीजों तथा रोपण सामग्री (आयात/देशी) की जांच अधिमानतः किसान के खेत में की जाए।

(v) प्रत्येक मद के लिए अपेक्षित निधि को औचित्यतापूर्ण रूप से दर्शाई जाए।

(ख) नए कटाई पश्चात प्रबंधन, शीत श्रृंखला, प्राथमिक प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी तथा नए औजार/उपकरण, पीएचएम के लिए मशीन, शीत श्रृंखला प्रणाली तथा रखरखाव सहित संग्रहन के परिचय से संबद्ध नयी प्रोटोकॉल

के परिचय करना एवं ऐसे परियोजनाओं के समावेशन के लिए निम्नलिखित व्यापक विचारों में से कम से एक या सभी पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है :–

(i) फार्म प्रचालन, पीएचएम, संग्रहन तथा रखरखाव के प्रचालन की दक्षता में वृद्धि

(ii) कटाई पश्चात घाटे तथा प्रचालन लागत में कटौती।

(iii) बागवानी उत्पाद साझेदार के शेल्फ–लाइफ को बढ़ाना।

(iv) उत्पाद तथा मूल्य संयोजन के समग्र गुणवत्ता में उत्पादकता, सुधार में योगदान।

(v) प्रचलित स्तर से परे ऐसे प्रौद्योगिकी के परिचय के लाभ को अवश्य निरूपित किया जाए।

(vi) इसे सापेक्ष रूप में उन्नत औजार/मशीन/ उपकरण होना चाहिए।

(ग) उत्पादन, पीएचएम, पैकिंग, संग्रहण, रखरखाव तथा परिवहन से संबद्ध विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। घरेलू फल, सब्जियां, फूल, औषधीय तथा सुगंधित पौध पर आधारित परियोजनाओं को घरेलू बाजार तथा निर्यात संवर्धन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(घ) मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन, प्रसंस्करण तथा संग्रहन के लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं

इस योजना घटक के अंर्तगत अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध है तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध नहीं है जो आईसीएआर/एसएयू या किसी अन्य आवेदक संगठन के नियमित अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के क्षेत्र में आते हैं। गैर सरकारी संगठन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सहायता के पात्र नहीं हैं।

सहायता का तरीका

(क) रा.बा.बो. के स्वयं के प्रयास द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के परिचय को कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) बोर्ड द्वारा गठित समिति इस उद्देश्य के लिए किसी भी संगठन को साझेदार संस्था के रूप में नामोदिष्ट करेगा और परियोजना लागत का 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करेगा। साझेदार के लिए अनुदान की मात्रा को निम्नलिखित सीमा तक सीमित किया जाएगा :–

(ग) श्रेणी (क) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के मामलों में अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए

(घ) श्रेणी (ख), (ग) एवं (घ) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए।

(ङ) व्यावसायिक पैमाने पर प्रामाणिक प्रौद्योगिकी तथा विशिष्ट मुद्दों पर अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों के हस्तांतरण तथा प्रदर्शन के लिए राज्य कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रधान संस्थान, राज्यों के बागवानी तथा कृषि विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा राज्य के अन्य अभिकरण सामान्यतः साझेदार संस्था होंगे।

(च) ऐसे परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए परियोजना मूल्यांकन यदि अपेक्षित हो तो रा.बा.बो. विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करा सकता है।

(II) प्रगतिशील किसानों का दौरा

दौरे का उद्देश्य

(i) विशिष्ट संरचनात्मक फसल उत्पादन, पीएचएम, प्रसंस्करण तथा कृषक प्रशिक्षण पाठ्य विवरण से संबद्ध विपणन जिसे रा.बा.बो. के अपने वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार आईसीएआर संस्थाओं, एसएयू, केवीके/एटीएमए सोसाइटी तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं जैसे एमएएनएजीई, एनआईआरडी, एचटीसी पूणे, टीईआरआई चयनित अंतर्राष्ट्रीय

संगठनों के सहयोग से आयोजित करता है, में भाग लेना। भागीदारों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रूप से रा.बा.बो. तथा प्रशिक्षण संस्था द्वारा पाठ्य विवरण तैयार किया जाएगा।

(ii) आईसीएआर संस्था, एसएयू, राज्य बागवानी निदेशालय आदि अपने फार्म में या केवीके/एटीएमए सोसाइटी, चयनित प्रगतिशील कृषक के खेत में आयोजित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र प्रदर्शन किसानों के समूह को आगे लाना। प्रदर्शित की जाने वाली प्रौद्योगिकी घटक समूह के लिए नया तथा संगत होना चाहिए तथा इसे विशिष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए।

(iii) बागवानी उत्पादन, पीएचएम प्रौद्योगिकी से संबद्ध देश में प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा रा.बा.बो. द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टालों में अपने उत्पाद/उपकरणों को प्रदर्शित करना।

(iv) विशिष्ट थोक टर्मिनल बाजार, आधुनिक नीलामी केन्द्र/प्रसंस्करण इकाई/संग्रहगार/पीएचएम अवसंरचना आदि का दौरा करना।

(v) रा.बा.बो बागवानी फसल के लिए राष्ट्रीय विशिष्ट फसल अनुसंधान केन्द्र, आईसीएआर संस्था, कृषि विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय/केवीके/राज्य बागवानी निदेशालय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राष्ट्रीय फेडरेशन जैसे इफको, नेफेड, विपणन बोर्ड, एनईसी, औद्योगिक एसोसिएशन आदि द्वारा आयोजित बागवानी मेले तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

भागीदारी के लिए शर्तें

(i) रा.बा.बो. प्रशिक्षण तथा संरचनात्मक क्षेत्र दौरा/प्रदर्शनियों आदि के लिए ऐसे दौरे के उद्देश्यों को निरूपित करते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी।

(ii) चयनित किसानों को 20 से 55 वर्षों के आयु वर्ग में होना चाहिए। उसे अपने भूमि पर संगत बागवानी फसलों की खेती तथा बागवानी फार्म/गार्डन/उद्योग स्थापित करना चाहता हो तथा रा.बा.बो. की योजना 1 या 2 के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन किया हो।

(iii) छोटे, सीमांतक तथा महिला किसानों तथा एनएचबी, एनएचएम तथा टीएमएनई योजनाओं के लाभार्थियों को वरीयता दी जाएगी।

(iv) ऐसे किसानों को चयनित किया जाएगा जो अपने अनुभव को उद्यमी के रूप में जिला तथा राज्य स्तर के कार्यशालाओं/सेमिनारों में बांटने को इच्छुक हैं।

(v) राज्य कृषि/बागवानी विभाग या एसएयू के एक या दो प्रतिनिधि दौरा करने वाले किसानों की सहायता के लिए कृषक वर्ग के साथ होंगे।

(vi) प्रशिक्षण संस्था के परामर्श से रा.बा.बो. द्वारा प्रशिक्षण ग्रुप के अधिकतम आकार का निर्णय लिया जाएगा। तथापि सरकारी अधिकारियों सहित 30 से ज्यादा किसान नहीं होने चाहिए।

(vii) ग्रुप तैयार करने के लिए किसानों का चयन राज्य सरकार या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के रा.बा.बो. के अधिकारी द्वारा किया जाएगा ऐसे प्रशिक्षण/ दौरे के आयोजन तथा प्रस्ताव रख सकता है।

(viii) यात्रा योजना जन सार्वजनिक परिवहन के सबसे छोटे व्यवहार्य उपर्युक्त मार्ग के द्वारा ही की जानी चाहिए।

सहायता का तरीका

सहायता आने और जाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा स्लीपर क्लास के रेल किराया या जहाजरानी सेवा जो अंडमान एवं निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप के लोगों के लिए सरकारी संगठन की जहाजरानी सेवा में द्वितीय श्रेणी का केविन तक सीमित होगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक किसान को रु. 150/– प्रतिदिन की दर से भोजन प्रभार दिया जाएगा। तथापि वे किसान जो टीएमएनई राज्य (पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों) से संबद्ध हैं को उनके आवास से नजदीकी हवाई अडडे से हवाई यात्रा के लिए

विचार किया जाएगा जो सिक्किम तथा हिमालयी राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित हवाई अड्डों तक सीमित होगा।

(III) संवर्धनात्मक एवं विस्तार गतिविधियाँ

घटक

(i) रा.बा.बो. द्वारा उपयुक्त स्थानों/क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों/प्रौद्योगिकियों उत्पादन पैकेज तथा पीएचएम कार्यों के प्रदर्शनियों को आयोजित किया जाना।

(ii) रा.बा.बो. द्वारा फलों, सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधों आदि की उन्नत/अधिक उपज देने वाली किस्मों की प्रदर्शनियां आयोजित किया जाना।

कार्यान्वयन

(i) ऐसे प्रस्तावों पर रा.बा.बो. की समिति जांच करेगी।

(ii) रा.बा.बो. उत्पाद संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए आऊटसोर्सड अभिकरण/विशेषज्ञों की मदद से अथवा इसके क्षेत्र प्रदर्शनियों आयोजित करेगा।

(iii) बागवानी उत्पादों तथा फार्म मशीन एवं औजारों के प्रदर्शन द्वारा उत्पाद संवर्धन तथा बाजार विकास की प्रदर्शनी रा.बा.बो. द्वारा बागवानी मेले के रूप में आयोजित करेगा जो भागीदारों को अपने प्रदेशों का प्रदर्शन करने तथा बेचने का एक अवसर प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम उत्पादक किसानों को एक दूसरे से अनुभव तथा निष्पादन से सीखने का भी अवसर प्रदान करेगा। चयनित बागवानी उत्पादक कृषक एसोसिएशन तथा उनकी स्वयं मदद करने वाला ग्रुप रा.बा.बो. के पर्यवेक्षण के अंतर्गत अथवा कृषक वर्ग को आयोजित करने में शामिल कोई सार्वजनिक क्षेत्र तथा जो रा.बा.बो. द्वारा नामोदिष्ट हो जो निर्धारित उत्पादन पीएचएम, पैकिंग, संग्रहण तथा परिवहन प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं ऐसे बागवानी मेले के लक्षित भागीदार होंगे। उसी प्रकार आईसीएआर संस्थाएं/एसएयू तथा कोई अन्य अनु. एवं वि. संस्थान तथा बागवानी विकास से संबंध फार्म मशीन/ आजौर/उपकरणों के विनिर्माता उन्हें योजनाबद्ध तरीकों से संवर्धित करते हुए उत्पाद के संवर्धन की आवश्यकता आधारित चयन द्वारा लक्षित भागीदारों में भी शामिल किए जा सकते हैं। प्रौद्योगिकी विकास के घटक तथा बागवानी के संवर्धन के हस्तांतरण रा.बा.बो. द्वारा आयोजित ऐसे बागवानी मेले से वाकिफ होना चाहिए। 'लक्षित भागीदारों' को बागवानी मेले में भाग लेने के लिए बागवानी उत्पाद के प्रदर्शन तथा संग्रहण के लिए स्टॉल के लिए स्थान तथा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्टॉल के लिए स्थान तथा संग्रह के लिए स्थान के लिए बिना किसी किराए या टैरिफ को प्रौत्साहित किया जाएगा। लक्षित भागीदारों को उनके ग्रुप/एसोसिएशन या सार्वजनिक अभिकरण आयोजन जैसे आईसीएआर संस्था/एसएयू/विपणन बोर्ड/कृषि उद्योग विकास निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/एनईआरएएमएसी आदि द्वारा उत्पादक केन्द्र से बागवानी मेला तक तकनीकी अनुशंसित तरीकों द्वारा परीक्षण उपयोग के अनुशंसित पैकिंग तथा बागवानी उत्पाद के परिवहन के लिए एक बार सहायता दी जा सकती है। इस घटक के अंतर्गत लक्षित भागीदारों से पहली बार के भागीदारों के लिए आईसीएआर संस्थाओं/एसएयू/कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे कृषक छात्राास में ग्रुप में रहने तथा भोजन की व्यवस्था कक्ष सांझा आधार/शयन कक्ष में रा.बा.बो. द्वारा प्रदान की जाएगी। स्थल को किराये पर लेने, स्टाल की तैयारी, प्रदर्शनी स्थल की सजावट, सार्वजनिक पता प्रणाली, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, जल की आपूर्ति, उत्सव संबंधी कार्य तथा कार्यक्रम के प्रचार का वहन रा.बा.बो. द्वारा किया जाएगा।

(IV) भारत/विदेशों से विशेषज्ञ की सेवाएं

प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण की योजना के घटकों के कार्यान्वयन के लिए रा.बा.बो. द्वारा भारत/विदेशों से विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती है।

(क) ***विदेशों से विशेषज्ञों की सेवाएं***

(i) विशेषज्ञों के चयन का मानदंड बागवानी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

(ii) विशेषज्ञ(ज्ञों) की सेवाओं की अनुमति अलग–अलग परियोजना के आधार पर केवल पहले दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष 15 दिनों से अधिक अवधि की नहीं होगी।

(iii) विशेषज्ञों का चयन रा.बा.बो. की समिति द्वारा किया जाएगा।

(iv) सहायता का तरीका यात्रा तथा पर–डियम के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं पर व्यय भारत सरकार की अनुमोदित दरों के अनुसार होगा।

(ख) ***भारत से विशेषज्ञ***

परामर्शदाता के रूप में शामिल किए जाने वाले भारत से विशेषज्ञ भारत सरकार द्वारा इस संबंध जारी किए गए स्थायी आदेशों के उपबंधों के अनुसार की जाती है। विशेषज्ञों का चयन उत्पादन, पादप संरक्षण, कटाई पश्चात प्रबंधन, संग्रह, शीत श्रृंखला अवसंरचना, रखरखाव, विपणन तथा निर्यात आदि सहित बागवानी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी।

(V) प्रौद्योगिकी जागरूकता

इस घटक के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र प्रदर्शन तथा मूल्यांकन का विस्तार प्रयास सहित विस्तार आयोजित किए जाएगें।

(क) ***कार्यान्वयन***

(i) ब्लॉक/जिला स्तर पर कार्यशाला/सेमिनार/प्रदर्शनी के आयोजन द्वारा उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात मानकों के लिए उत्पादित फलों, सब्जियों तथा फूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने, कनोपी प्रबंधन, फसल पालन, पादप संरक्षण तथा रोग नियंत्रण, एकीकृत पोषण प्रबंधन, एकीकृत पीड़कनामी प्रबंधन, इंडिया जीएपी, जैविक प्रमाणन, बीजों की किस्में तथा बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं प्रमाणन, नर्सरी प्रबंधन, फार्म यंत्रीकरण, पीएचएम व्यवहार, वस्तु संग्रह हस्त–पुस्तिका, विपणन आदि के लिए विस्तार को कार्यान्वित करना।

(ii) ऐसे कार्यक्रम रा.बा.बो. या आईसीएआर संस्थाओं/ एसएयू/राज्य विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केवीके/एटीएमए सोसाइटियों/प्रारंभिक उत्पादक एसोसिएशन जो उत्पादन को निवेश, साख, विपणन, प्रसंस्करण या संग्रह के लिए सेवा प्रदान करने का कार्य करती है और विना सरकारी सहायता के अपने रोजमर्रा के कार्यों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करती है के द्वारा आयोजित की जाएगी।

(iii) विशेष वर्ष के लिए स्वीकृत की गई धनराशि को समुचित औचित्य देते हुए इसी वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित होगा अन्यथा इसके लिए पुनः दावा करना होगा।

(ख) ***सहायता का तरीका***

भागीदार कृषक के खेतों पर क्षेत्र परीक्षण की प्रौद्योगिकी आयोजित करने के लागत तथा कार्यक्रम मूल्यांकन को कार्यान्वयन कार्यक्रम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने सहित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 50,000/– रु. तक की राशि सहायता के रूप में दी जाएगी और इसे आयोजक द्वारा रा.बा.बो. को प्रस्तुत करना होगा। रा.बा.बो. की समिति इस घटक के अंर्तगत प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी।

(VI) बागवानी के संवर्धन के लिए सेमिनारों/ कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों में भागीदारी/आयोजन

(क) ***कार्यान्वयन***

(i) बागवानी के संवर्धन के लिए राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनारों/कार्यशाला/प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

(ii) राज्य स्तर आयोजनों के लिए एनएचबी/ एनएचएम/टीएमएनई के उसी राज्य के कम से कम 50 की संख्या में लाभार्थियों को रा.बा.बो तथा राज्य बागवानी मिशन के परामर्श से आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(iii) राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए एनएचबी/ एनएचएम/टीएमएनई लाभार्थी, उत्पादक राज्य रा.बा.बो. और राज्य मिशन निदेशालय के परामर्श से आयोजकों द्वारा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। पांच मुख्य उत्पादक राज्यों से कम से कम 50 लाभार्थी आयोजन के लिए अपेक्षित होंगे।

(iv) ऐसे लाभार्थियों को कोई पंजीकरण शुल्क आदि प्रभारित नहीं होगा और अन्य पंजीकृत भागीदार की भांति वही सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

(v) विशेष वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित होगा अन्यथा उसके लिए पुनः दावा करना होगा।

(ख) ***सहायता का तरीका***

(i) वित्तीय सहायता राज्य स्तर के आयोजन के लिए 3.00 लाख रु. प्रति आयोजन, राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए 5.00 लाख रु. तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदार (3 से 5 दिन) के लिए 10.00 लाख रु. सीमित होगी।

(ii) अल्पावधि (1 से 2 दिन) सेमिनारों के मामले में वित्तीय सहायता निम्नलिखित सीमा तक सीमित होगीः

- राज्य स्तर के आयोजन के लिए 1.00 लाख रु. प्रति आयोजन
- राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए 2.00 लाख रु.
- अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन/भागीदारी के लिए) 3.00 लाख रुपए

(ग) ***कार्यान्वयन का तरीका***

(i) सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रदर्शनी मुख्यतः एनएचबी/ एनएचएम तथा टीएमएनई योजना के लाभार्थियों के लिए आायेजत की जाएगी तथापि, यदि लाभार्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो तब बागवानी फसल के अन्य उत्पादक शामिल किए जा सकते हैं।

(ii) ये आयोजन मुख्यतः बागवानी फसलों के लिए विशिष्ट फसल राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, कोई अन्य आईसीएआर संस्था, कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/के.वी.के/राज्य बागवानी निदेशालय/प्राथमिक स्तर पर पंजीकृत तथा प्रकार्यात्मक उत्पादक एसोसिएशन के राज्य या राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा आयोजित की जाती है– जो अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए आंतरिक प्रर्याप्त संसाधन का प्रबंध करते हैं।

(iii) जहां तक राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भागीदारी का प्रश्न है जिसके आयोजकों को वित्तीय सहायता का विस्तार नहीं किया गया है। बागवानी कृषकों के पंजीकृत एसोसिएशन को स्टॉल के स्थान के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार किया गया है जो स्टॉल के टैरिफ के 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता जो प्रति एसोसिएशन प्रति स्टॉल 15000 रु. हो जिसमें अपने ताजे या प्राथमिक प्रसंस्करणकृत बागवानी उत्पाद को प्रदर्शित करेंगे। इस योजना घटक के अंतगर्त किसी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए रा.बा.बो./चयनित अंतर्राष्ट्रीय मेले/प्रदर्शनी में प्रदर्शन के लिए स्टॉल/प्रदर्शनी का स्थान किराए पर लेगा और उक्त का विकास करेगा और उक्त को रा.बा.बो के चयनित लाभार्थियों तथा पंजीकृत बागवानी कृषकों के एसासिएशन को टैरिफ मुक्त उपलब्ध कराएगा ताकि वे अपने उत्पाद के संवर्धन अर्थात निर्यात बाजार में अपने ताजे बागवानी उत्पाद को लाने में समर्थ हो सके। ऐसे प्रत्येक आयोजन की भागीदारी पर कुल वित्तीय विनक्षाएं उपर्युक्त दिए गए सहायता के अनुमोदित तरीके द्वारा संचालित की जाएगी।

(iv) कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता बागवानी क्षेत्र से संबद्ध आयोजन के लिए सीमित होगी। भागीदारों के ग्रुप के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आयोजन में भाग लेने वाले भागीदारों का प्रवर्तन से पहले उन पर विधिवत विचार किया जाएगा।

(v) इस उप घटक के अंतर्गत उत्पादक कृषकों को विशिष्ट फसल प्रशिक्षण, पीएचएम अवसंरचना, प्रसंस्करण इकाई के प्रचालक, शीत संग्रहगारों के प्रचालक, प्रयोगशाला तकनीकीविद् आदि को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

(vi) आयोजन अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद प्रतिदिन के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक भागीदार के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा रा.बा.बो द्वारा नियत की जाएगी।

(vii) इस उप घटक के अंतर्गत कृषक भागीदार के ग्रुप के लिए वित्तीय सहायता को ऐसे कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए विस्तार किया जाएगा जिसे आयोजन के लिए इस उप घटक के अंतर्गत सीधे सहायता प्राप्त नहीं है।

(viii) **प्रगतिशील किसानों का दौरा** के उप घटक योजना के अंतर्गत लाभ उपर्युक्त वर्णित कार्यशाला/सेमिनार/प्रदर्शनी/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भागीदारों को भी उपलब्ध होगा।

(VII) उद्यान पंडित प्रतियोगिताएं

(i) ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्य के बागवानी/कृषि विभाग को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

(ii) रा.बा.बो. भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आयोजन कर सकता है।

(iii) रा.बा.बो. की सहायता 1.50 लाख रुपय प्रति आयोजन तक सीमत होगी।

(VIII) प्रचार

(क) ***प्रकाशन***

(i) किसानों तथा अन्य लाभार्थियों के लिए विवरणीकाएं तथा मीडिया के लिए अन्य प्रचार सामग्री (समाचार पत्र/पत्रिकाएं/श्रव्य/दृश्य रा.बा.बो. के लिए सीधे अंग्रेजी/हिन्दी में तैयार/प्रकाशित की जाती है।

(ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का समाचार पत्र

(iii) रा.बा.बो. के आंतरिक (इन–हाऊस) प्रकाशन

(iv) रा.बा.बो द्वारा बागवानी से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन

(ख) ***सहायता का तरीका***

(i) मद (i), (ii) तथा (iii) के लिए कार्य या तो रा.बा.बो. द्वारा या मुद्रण, आरूपण, अभिकल्पन और कला कार्य के लिए रा.बा.बो. द्वारा सूचीबद्ध किसी विशिष्ट बाह्य अभिकरण से कराया जाएगा।

(ii) मद संख्या (iv) के लिए रा.बा.बो. द्वारा प्रदत्त सहायता की अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी/संगठन 1.00 लाख रुपए तक होगी। तथापि, रा.बा.बो. से प्राप्त सहायता की प्रकाशन के मुख/अंतिम पृष्ठ पर विधिवत् जानकारी दी जाएगी।

(ग) ***फिल्में***

नई विडियो फिल्में तैयार करने के लिए श्रव्य/दृश्य के उद्देश्यों, विस्तृत लागत ब्यौरे, विज्ञापन दृश्य प्रचार निदेशालय/कृषि एवं सहकारिता विभाग की सूची में शामिल निर्माता का नाम, कार्य के पूरा होने के अनुमानित समय आदि की विस्तृत पटकथा प्रारूप (स्क्रिप्ट) रा.बा.बो. को प्रस्तुत करनी होगी।

(i) वि.दृ.प्र. नि./विस्तार प्रभाग की दरों के आधार पर स्क्रिप्ट एवं लागत सीमा की जांच बोर्ड की प्रारूप (स्क्रिप्ट) समिति द्वारा की जाएगी।

(ii) वि.दृ.प्र.नि./कृषि एवं सहकारिता विभाग की तर्ज पर रा.बा.बो एवं संगठन/निमार्ताओं के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(iii) रा.बा.बो. द्वारा तैयार की गई विडियो फिल्म/टीवी फिल्मों को बागवानी मेले के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाएगा। विस्तार प्रभाग तथा आईसीएआर द्वारा संगत विषयों पर बनाई फिल्में भी रा.बा.बो. द्वारा प्रदर्शित की जाएगी।

(iv) दूरदर्शन कार्यक्रम तथा उनके प्रसारण के लागत की तैयारी अधिमानतः दूरदर्शन की मदद से इस योजना घटक के अंतर्गत वहन की जाएगी।

(घ) ***सहायता का तरीका***

रा.बा.बो. द्वारा 100 प्रतिशत लागत का वहन किया जाएगा।

(IX) प्रौद्योगिकी उन्नयन (अपग्रेडशन) उत्पादन विकास, उत्पाद संवर्धन एवं बाजार आसूचना

कार्यान्वयन तथा सहायता का तरीका

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन (अपग्रेडशन) के प्रति जागरूकता उत्पाद विकास, उत्पाद संवर्धन, फलों, सब्जियों तथा फूलों के उन्नत किस्मों और बाजार आसूचना का अन्वेषण विश्व व्यापार संगठन की वचन बद्धताओं के अनुरूप होगा तथा सरकारी अधिकारियों के लिए योजना के उद्देश्य के अनुसार एकीकृत घटक के रूप में रहेगा।

(ii) उन्नत देशों मे बागवानी उद्योग के बारे में अधिकारियों को जानकारी देने के लिए रा.बा.बो., कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा राज्य बागवानी विभाग/एसएयू के बागवानी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा दौरे किए जाएंगे।

(iii) टीम में रा.बा.बो. के अधिकारी शामिल होंगे और उनमें एक टीम लीडर होगा।

(iv) सामान्यतः यात्रा दौरा समय को छोड़कर सात दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

(v) यात्रा तथा परडियम के लिए व्यय का वहन भारत सरकार की अनुमोदित दरों के अनुसार रा.बा.बो. द्वारा किया जाएगा। राज्य बागवानी विभाग के अधिकारियों के नामों को अंतिम रूप रा.बा.बो. द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग के परामर्श पर क्षेत्र मे ऐसे अधिकारियों के गुणावगुण तथा निष्पादन के संदर्भ में दिया जाएगा।

(X) प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए वैज्ञानिकों को मानदेय

कार्यान्वयन एवं सहायता का तरीका

(क) उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक बागवानी के विकास और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के अंतर्गत शामिल योजनाओं के विवरण के अनुसार प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले वैज्ञानिकों/विशेषज्ञ मानदेय के पात्र होंगे वशर्ते कि उन्हें प्रौद्योगिकी के आंतरिक प्रभावी प्रयास के लिए रा.बा.बो. द्वारा शामिल किया गया हो और उक्त सेवाओं के लिए उन्हें कोई शुल्क/परिलिब्ध नहीं अदा किया गया हो।

(ख) एक लाख रुपए प्रति परियोजना की अधिकतम सीमा के साथ एक परियोजना के लिए 5 विशेषज्ञों तक के समूह के लिए प्रति विशेषज्ञ को 20,000/– रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

(XI) बागवानी नर्सरी का प्रत्यायन एवं निर्धारण

कार्यान्वयन तथा सहायता का तरीका

प्रत्यायन प्रणाली एक सितारा से पांच सितारे के पैमाने में उत्पादन प्रणाली, नर्सरी प्रबंध व्यवहार तथा उत्पादित पौध सामग्री की गुणवत्ता को महत्व देते हुए आधारित होगी। एक सितारा से पांच सितारा श्रेणीकरण निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगाः

(i) नर्सरी चाहने वाले द्वारा आवेदन पत्र, जिसमें रा.बा.बो. की मान्यता, नर्सरी की रचना को दिखाना, अवसंरचना घटक की अवस्थिति एवं भूमि उपभोग योजना, नर्सरी में तकनीकी रूप से अर्हक स्टाफ का विवरण, फार्म मशीनें

एवं मूल पौधे के चयन एवं रखरखाव के नर्सरी द्वारा प्रचालन पुस्तिका तैयार करना, रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया तथा रोपण सामग्री के मालसूची का प्रबंधन।

(ii) नर्सरी का मूल्यांकन विधियत गठित मूल्यांकन टीम द्वारा निर्धारित पैरामीटरों जैसे नर्सरी की अवस्थिति कलम तथा रूट स्टॉक दोनों के मूल पौधे, प्रसारण प्रौद्योगिकी, उत्पादन के लिए अवसंरचना, जैव–सुरक्षा तथा रोग मुक्त वातावरण, प्रचालन पुस्तिका, मानव शक्ति के गुण तथा व्यापार संबंध पर किया जाता है।

(iii) बागवानी रोपण सामग्री तथा इनके उत्पादन प्रक्रियाओं के तकनीकी विनिदेशों को आईसीएआर के दस्तावेज शीर्षक **"बागवानी फसलों के लिए बीज तथा रोपण सामग्री जांच मैन्युएल की पुस्तिका"** तथा प्रबंधन की तकनीकी क्षमता को पूरा करता है।

(iv) मॉडल नर्सरी के लिए एनएचएम के विशिष्ट नर्सरी के अनुसार अपेक्षित अवसंरचना जैसे ग्रीन हाऊस, मिस्ट चैम्बर, कुशल–श्रम नर्सरी के औजार एवं गैजेट्स, उपकरण तथा मशीन आदि की उपलब्धि अपेक्षित है।

(v) समुचित रिकार्ड का रखरखाव सहित अच्छे नर्सरी प्रबंधन व्यवहार को अपनाना।

(vi) रा.बा.बो. द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें

(vii) बागवानी संबंधी नर्सरियों के प्रत्यायन तथा श्रेणीकरण के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अनुमोदित प्रोटोकाल के अनुसार होगी। प्रत्याशित नर्सरी के लिए आवधिक निगरानी की जाएगी। इसे सीधे रा.बा. बोर्ड द्वारा अथवा नामित प्रत्यायित अभिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।

(viii) प्रत्यायित अभिकरण तथा वित्तीय सहायता के नामित किए जाने से संबंधित प्रस्तावों का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बागवानी नर्सरी के प्रत्यायन तथा श्रेणीकरण पर औसत व्यय एक लाख रुपए प्रति नर्सरी होगा।

नर्सरी की स्थापना के लिए एनएचएम तथा आईसीएआर के तकनीकी मैन्युल सहित दिशा–निर्देशों को रा.बा.बो. द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित किया गया है।

(XII) फल की फसलों के लिए उच्च वंशानुगत रोपण सामग्री हेतु मूल पौधा नर्सरी

कार्यान्वयन एवं सहायता का तरीका

यह क्रियाकलाप मूल ब्लॉक तथा उच्च वंशानुगत के प्रकन्दन एवं कलम/बड स्टिक के लिए बैंक की स्थापना के लिए है। उक्त की उपलब्धता व्यावसायिक नर्सरियों में कटने और मूल पेड़ को उनके व्यावसायिक नर्सरी में उगाने तथा इसे बढ़ाने के लिए भी होगा और इसे किसानों के पास बिक्री करना है जिनके कार्यान्वयन के लिए घटके निम्नलिखित हैं:

(i) कलम तथा प्रकन्दन का मूल ब्लॉक, उत्पादन के रोगमुक्त रोपण सामग्री के लिए अवसंरचना जेसे पॉली हाऊस/ग्रीन हाऊस, नेट हाऊस, मिस्ट चेम्बर, हॉट बेड, मीडिया का विसंक्रमण तथा टीसी लेब, रेफरल लेब, क्यूसी लेब, मौसम केन्द्र।

(ii) आवश्यकतानुसार जेनरेटर सहित जलापूर्ति, विद्यूत आपूर्ति, ईटीपी, फार्म उपकरण/फार्म मशीनें, औजार, पोर्टरे, रूट ट्रेनर, कंटेनर, आंकडा प्रबंधन तथा विश्लेषण आदि के लिए कम्प्यूटर प्रणाली।

(iii) इस घटक के अंतर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति की मदद से रा.बा.बो. द्वारा किया जाएगा और इसे सरकार की योजनाओं के अंतर्गत भविष्य क्षेत्र विस्तार योजना से जोड़ा जाएगा।

(iv) फसल और आधुनिक मूल की पौध नर्सरी की विशिष्ट किस्मों का आईसीएआर संस्थाओं और एनआरसी, एसएयू या सार्वजनिक क्षेत्रक अभिकरण द्वारा प्रबंधन किया जाएगा।

(v) वे संस्था (संस्थाएं) जो किसी भी फसल/फसलों के मूल पौध नर्सरी स्थापित करने को इच्छुक हैं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन करें।

(vi) आवेदक संगठन जोकि भूमि, स्टाफ घटक, जल तथा विद्युत खपत तथा वार्षिक रख–रखाव के पूंजी लागत

का खर्च उठाएगा। नर्सरी अवसंरचना, पौध स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली, ब्रीडर तथा नींव बीज ग्रेड रोपणसामग्री तथा रोपन एवं प्रारभिक निवेश के प्रापण के लिए रा.बा.बो. 100 प्रतिशत लागत प्रदान करेगा। इसे शुरू करने के लिए प्रमुख फसलें जैसे खट्टे रसदार फलें, आम, सेव, बीज वाले फल (स्टोन फ्रूट), अमरूद, लीची, सपोटा, आँवला, अनार आदि के लिए रोपण सामग्री को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के एक हैक्टेयर के लिए 75 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।

(XIII) बागवानी पार्कों/कृषि निर्यात क्षेत्रों आदि में जन सुविधाओं के लिए सहायता

कार्यान्वयन तथा सहायता का तरीका

(i) पहचान किए गए औद्योगिक क्षेत्र अथवा उत्पादन के पहचान किए गए समूह में स्थापित बागवानी पार्क जो विपणन तथा निर्यात आवश्यकताओं के सर्मथन के लिए उत्पादन हब के रूप विकसित होना प्रस्तावित है, सहायता के लिए पात्र माने जाएंगे। अधिसूचित कृषि–निर्यात क्षेत्रों को भी योजना के प्रचालन के विस्तार के उद्देश्य से जिसमें उत्पादन, पीएचएम तथा प्रसंस्करण सहित एक समान अवसंरचना/सुविधाओं की स्थापना के लिए लाभ प्रदान करने के घटक होते हैं, बागवानी पार्क के समतुल्य माना जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सामान्य अवसंरचना की सुविधाओं जैसे संग्रह, छटाई, श्रेणीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकिंग, संग्रह गोदाम, शीत श्रृंखला अवसंरचना, परिवहन, मूल्य संयोजन, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, यातायात व्यवस्था, जल आपूर्ति, अवजल निकास संयंत्र, प्रशिक्षण/सम्मेलन सुविधा आदि की स्थापना में संविदा के आधार पर कृषि में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उत्पादक एसोसिएशन या कम्पनियों को सुविधा प्रदान करेगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ऐसे बागवानी पार्क के लिए प्रवर्तक अभिकरण हैं तब शुरूआती दौर में स्वयं ही स्टेक होल्डर की सोसाइटी बन जाएगी और समय के दौरान पार्क के रोजमर्रा के प्रबंधन क्रियाकलापों का ध्यान रखेगी।

(iii) रा.बा.बो. प्रवर्तक अभिकरण को प्रत्येक बागवानी पार्क में जन सुविधा केन्द्र (सीएफसी) जैसे मोबाईल शीतलन–पूर्व, पैक हाऊस, शीत श्रृंखला अवसंचना, संग्रह गोदाम, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, यातायात व्यवस्था, प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं, जल आपूर्ति, अवजल निकास संयंत्र, प्रशिक्षण/समिति कक्ष आदि की स्थापना के लिए एक बार वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो 4.00 करोड़ रुपए की सहायिकी की सीमा सहित पात्र परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक होगा।

(iv) उत्पादक एसोसिएशन या कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाएं जो संविदा के आधार पर कृषि में शामिल हैं, साख आधारित होने चाहिए जिनमें साख घटक बैंक/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं/विपणन बोर्ड से आवधिक ऋण के रूप में होना और सहायिकी बैक–एन्डिड वाली होगी। आवधिक ऋण घटक पात्र परियोजना लागत की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता की स्वीकार्य प्रतिशत कम से कम 15 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए रा.बा.बो. बागवानी पार्कों के घटकों के लिए नियामक लागत निर्धारित करेगा।

(v) अलग–अलग उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत को उद्यमी के द्वारा वहन किया जाएगा जो पार्क में परियोजनाओं को स्थापित करेगा जिसके लिए वे रा.बा.बो. की व्यावसायिक बागवानी योजना के अंतर्गत बैक–एन्डिड पूंजी निवेश सहायिकी के लिए भी पात्र होंगे।

आवेदन पत्र और अभिवचन प्रारूप अनुलग्नक–III में दिया गया है (इस पुस्तिका के पृष्ठ 97 से 101) में दी गई है।

योजना–4

बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा

उद्देश्य

(i) महत्वपूर्ण फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि के लिए देश के विभिन्न बाजारों में थोक मूल्यों, माल की आवक और उनकी प्रवृतियों तथा चयनित बाजारों की बढ़ती हुई संख्या के लिए खुदरा मूल्य से संबंधित जानकारी एकत्र करना।

(ii) आवकों की प्रवृतियों, मूल्यों तथा चयनित फलों एवं सब्जियों से संबंधित अन्य कारकों जैसे संग्रहगार में स्टॉक, फसल स्टैण्ड आदि का विश्लेषण करना तथा बाजार आसूचना रिपोर्ट एकत्र करना।

(iii) बाजार सूचना आंकड़ा के कुशलक्षम तथा समयबद्ध उपयोग के लिए देश भर में शीघ्र संग्रह तथा प्रसार के लिए सूचना प्रणाली तंत्र स्थापित करना।

(iv) किसानों के लिए सलाहकारी तैयार करना तथा उत्पादक किसानों के लाभ के लिए उक्त को जारी करना, विशेषकर आंकड़े को एकत्र कर उनका उपयोग करना ताकि उत्पादकों को उनका इष्टतम लाभ मिल सके।

(v) संभावित विदेशी बाजार में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर जानकारी एकत्र करना तथा उनका प्रसार करना।

(vi) बागवानी डाटा को एकत्र करना तथा उनका संकलन करना और जहां तक संभव हो 'फसल मूल्यांकन सवेक्षण फलों एवं सब्जियों' (सीईएस–एफ एवं वी) की प्रचलित प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

कार्यान्वयन

रा.बा.बो. द्वारा बाजारों को कवर करने की वर्तमान 36 फलों एवं सब्जियों बाजार बढ़ाकर 100 बाजार किया जाएगा। यह आउटसोर्सिंग द्वारा वर्तमान विपणन/व्यावसायिक अभिकरणों/बेरोजगार कृषि स्नातको या मंडी मान्यप्राप्त/स्थापित ब्रोकर के माध्यम से निर्धारित मासिक परिश्रमिक (परिवहन सहित) प्रतिमाह की दर से जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा, एनएचबी को दी गई प्रेषण जानकारी (फैक्स, इंटरनेट एवं टेलीफोन) पर वास्तविक व्यय शामिल हैं, किया जाएगा। रा.बा.बो. इन बाजारों की पहचान संबंद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से करेगा। ऑन लाईन प्राप्ति, आंकड़ा प्रविष्टि, विश्लेषण, प्रसार तथा वेबसाइट प्रबंधन का एकमात्र प्रकोष्ट रा.बा.बो., गुड़गांव में स्थापित किया जाएगा। चयनित व्यावसायिक अभिकरण के आउटसोर्सिंग सेवाओं के द्वारा इस प्रस्तावित बाजार सूचना सेवा प्रकोष्ठ से संबंद्ध कार्य को भी किया जाएगा।

योजना–5

बागवानी संवर्धन सेवा

इस घटक के अंतर्गत विशिष्ट अध्ययन तथा सर्वेक्षण को कार्यान्वित किया जाएगा और अध्ययन एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट को लक्षित लाभार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए प्रकाशित करेगा। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी तथा सलाहकारी तथा परामर्शी सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करेगा। यह कार्य रा.बा.बो. द्वारा आऊटसोर्सड विशेषज्ञ के सेवाओं सहित या रहित किया जाएगा।

घटक

(i) विशेष क्षेत्र/राज्य में बागवानी विकास की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा।

(ii) बागवानी विकास में बाधाओं की पहचान करना तथा तथा उन्हें दूर करने के उपाय का सुझाव देना।

(iii) बागवानी के योजनाबद्ध विकास के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि रणनीति का विकास करना।

(iv) बागवानी के विभिन्न पहलूओं पर प्राथमिक/गौण आंकड़ों का विकास करना।

(v) इसके अनुसरण में परामर्शी सेवाएं, विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना और प्रयोगशालाएं आदि स्थापित करना।

(vi) शीत संग्रहगारों के तकनीकी मानकों के लिए कार्यान्वयन प्रोटोकाल के अनुसार शीत श्रृंखला अवसंरचना की तकनीकी जांच एवं प्रमाणन आयोजित करना।

(vii) नए बागवानी उत्पाद के क्षेत्र में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना।

(viii) क्षेत्र के लिए पहचान की गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रा.बा.बो. द्वारा किसी अन्य घटक के लिए विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना।

उपयुक्त घटक के लिए सहायता का तरीका

अध्ययन का 100 प्रतिशत लागत बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

नोडल संगठन

(i) स्वयं रा.बा.बो.

(ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र तथा इसके अंतर्गत संगठन

(iii) केन्द्रीय सरकार के संगठन/अभिकरण

(iv) अन्य संगठन जेसे भारतीय गुणवत्ता परिषद/ एनएचआरडीएफ आदि।

अध्ययन/सर्वेक्षण के पहलू

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/क्षेत्रों/अंचलों में बागवानी के विकास के प्रौद्योगिकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करना।

(ii) बाजार अध्ययन/विशेष समस्याएं/क्षेत्र/वस्तु आधारित अध्ययन/अन्य पहलू–अधिकार क्षेत्र मामला दर मामला पर परिवर्तित होगा।

(iii) परियोजना की पहचान, सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, अनुवेक्षण (निगरानी) तथा मूल्यांकन आदि के लिए विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना।

(iv) रा.बा.बो. द्वारा बहु विषयक तथा विशिष्ट अध्ययन करना जैसे अवसंरचना घटकों का निष्पादन मूल्यांकन, बागवानी क्षेत्र में प्रयोग के लिए औजार, उपकरण, मशीन, पीएचएम, संग्रहण एवं प्रोटोकाल से संबंद्ध विशिष्ट रखरखाव को मजबूत करना।

(v) अच्छी कृषि पद्धतियों, सीओडीईएक्स एवं ईसी मानक के अंतर्गत नए बागवानी उत्पाद के गुणवत्ता मानकों के लिए

प्रोटोकाल से संबद्ध मामले।

(vi) नए बागवानी उत्पाद के संबंध में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता।

(vii) रा.बा.बो. कार्यालय के व्यवसाय प्रक्रिया के ई–साल्यूशनस

(viii) उत्पादन, पादप संरक्षण, पीएचएम, पैकिंग, संग्रह, विपणन तथा निर्यात से संबद्ध परामर्शी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

(ix) उपर्युक्त सभी पहलू निदर्शी हैं और सम्पूर्ण नहीं हैं।

परामर्शदाताओं/परामर्शी फर्मों की सूची तैयार करने के मानदंड

(i) परामर्शदाता फर्म को पंजीकृत होना चाहिए तथा इसे बहु विषयक ज्ञान होना चाहिए और 3–5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वैयक्तिक परामर्शदाता या बागवानी/कृषि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री/प्रबंधन/विधिक/कार्मिक/वित्तीय/विपणन/सूचना–प्रौद्योगिकी के विषय विशेष विशेषज्ञ को विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए शामिल किया जा सकता है। जहां व्यक्ति की विशेषज्ञता के अपेक्षाओं की पूर्ति होगी।

(ii) परामर्शदाता को बागवानी, वित्तीय प्रबंधन, परियोजना सूत्रीकरण, परियोजना मूल्यांक, अनुवेक्षण (निगरानी) आदि में विशेषज्ञता तथा अनुभव अवश्य होना चाहिए।

(iii) परामर्शदाता को कृषि/बागवानी/कटाई पश्चात प्रबंधन/प्रशीतन, ई–गवरनेन्स, विपणन तथा निर्यात में उनके विगत अनुभव से संवद्ध क्षेत्र में उसी कार्य में सक्षम होना चाहिए।

(iv) परामर्शदाता को कार्य की आवश्यकता के अनुसार परमर्शी सेवा में अपेक्षित अवसंरचना को पूरा करना होगा।

(v) ऐसे परामर्शी फर्मो को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एक जैसी स्थिति में अध्ययनों का आयोजन करने के अनुभव हो।

(vi) विशिष्ट/बहु विषयक अध्ययन के विशेषज्ञों को चयन का अंतिम रूप रा.बा.बो. की समति द्वारा इस क्षेत्र में उनकी व्यावसायिकता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

परामर्शदाता/परामर्शी फर्म की सेवा में शामिल किए जाने के लिए प्रक्रिया

(i) सूचीबद्ध परामर्शदाताओं से अध्ययन आयोजित की जाएंगी और परामर्शी सेवाएं ली जाएगी। परामर्शी फर्म/परामर्शदाताओं के पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के बाद आवधिक रूप से अद्यतन किए जाएंगे।

(ii) सूची में शामिल किए जाने के लिए परामर्शदाता/ परामर्शदाता फर्म से प्रस्ताव मंगाने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा। बोर्ड की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परामर्शदाता फर्म/परामर्शदाताओं के पैनल को अंतिम रूप प्रदान करेगा।

अध्ययन/सर्वेक्षण या परामर्शी कार्य को रा.बा.बो. द्वारा तैयार किए गए पैनल में शामिल परामर्शदाता फर्म को सौंपने की प्रक्रिया

(i) कार्य क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए परामर्शदाता/फर्म अपना विस्तृत प्रस्ताव निर्धारित अवधि के भीतर भेजेंगे।

(ii) परामर्शदाताओं को तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं के संबंध में प्रस्ताव देना अपेक्षित होगा।

(iii) अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ प्रस्तावों की जांच बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(iv) बोर्ड द्वारा निर्धारित तारीख एवं समय पर परामर्शदाता अपना मामला अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(v) अध्ययन की अवधि का निर्णय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।

(vi) अध्ययन कार्य अधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा सौंपा जाएगा।

भुगतान का तरीका

(i) कार्य सौंपने के समय 25 प्रतिशत

(ii) मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय 50 प्रतिशत

(iii) अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय तथा इसे बोर्ड/संबंधित राज्य सरकार/संगठन द्वारा स्वीकृत किए जाने के समय 25 प्रतिशत।

टिप्पणी : अग्रिम भुगतान दिए जाने से पहले परामर्शदाता/परामर्शी फर्म को क्षतिपूर्ति बंध–पत्र तथा वैयक्तिक गारंटी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में होने वाले किसी प्रकार के विलंब के लिए परामर्शदाता से एक माह अथवा उसके हिस्से के प्रत्येक विलंब के लिए कुल शुल्क का 1 प्रतिशत की दर से शास्ति के रूप में वसूल किया जाएगा।

अध्ययन/सर्वेक्षण मसौदा रिपोर्ट को प्रस्तुत करना

(i) परामर्शदाताओं द्वारा मसौदा रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(ii) परामर्शदाता को स्लाइडों आदि के माध्यम से किए गए अध्ययन कार्य को रा.बा.बो. तथा संबद्ध प्रायोजक संगठन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(iii) रा.बा.बो./प्रायोजक संगठन की टिप्पणियां अध्ययन रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी।

(iv) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आयोजन का समन्वय संबंधी कार्य परामर्शदाताओं द्वारा किया जाएगा।

अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना

परामर्शदाताओं को मसौदा रिपोर्ट तथा अंतिम रिपोर्ट, विधियत सजिल्द की गई अपेक्षित प्रतियां सॉफ्ट कापी सहित प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

रा.बा.बो. सूची में शामिल किए गए परामर्शदाताओं/परामर्शी फर्मों की मदद से विशिष्ट प्रयोगशाला की स्थापना सहित परामर्शी सेवाएं ले सकता है।

राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र

(i) निजी क्षेत्रों की भागीदारी में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन (अपग्रेडशन), बागवानी फसलों के कटाई पश्चात प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास तथा शीत श्रृंखला अवसंरचना के प्रबंधन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन तथा बागवानी उत्पाद के संग्रह से संबद्ध अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा विकास के कार्यन्वयन के लिए राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र (एनसीसीडी) स्थापित किया जाएगा।

(ii) एनसीसीडी स्टेक होल्डर की भागीदारी सहित सार्वजनक–निजी साझेदारी तरीका (पीपीपी मोड) में प्रचालन पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र की संगठन संरचना और इसके बनाए गए उपनियम कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होंगे।

(iii) नांगलोई में मानव संसाधन विकास के निर्माण एवं सज्जा की लागत सहित 25 करोड़ रुपए का एक बार अनुदान को ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र की स्थापना के लिए चिन्हित किया गया है। एनसीसीडी के प्रचालन एवं रखरखाव के कारण रा.बा.बो. किसी प्रकार का व्यय का भार वहन नहीं करेगा। एनसीसीडी अपनी प्रदत्त सेवाओं के माध्यम से संसाधन जुटाएगी।

(iv) शीत श्रृंखला तथा पीएचएम अवसंरचना के तकनीकी मानकों, शीत संग्रहगारों तथा पीएचएम परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा तकनीकी जांच के कार्यान्वयन, तकनीकी मानक के लिए अनुमोदित कार्यान्वयन प्रोटोकाल के अनुसार शीत संग्रहगार तथा पीएचएम परियोजनाओं के प्रमाणन, एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना के प्रभावी प्रबंधक के लिए कुशल मानव शक्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को कार्यन्वित करने, राष्ट्रीय ग्रीन ग्रिड विकास सहित एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना में निजी निवेश के संवर्धन तथा ताजे बागवानी उत्पाद, ऊर्जा कुशलक्षम तथा प्रशीतन उपकरण आदि के निष्पादन मूल्यांकन के लिए क्रांतिक संग्रह अवस्थाओं से संबद्ध अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी के बेंच मार्किंग के प्रति एनसीसीडी उत्तरदायी होंगे।

अनुलग्नक–I

अनुबंध–I

उत्पादन तथा कटाई–पश्चात प्रबंधन के माध्यम से व्यावसायिक बागवानी का विकास

मदें	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय–I	**आशय पत्र के आवेदन हेतु प्रक्रिया**	.... **25–31**
अध्याय–II	**परियोजनाओं की पूर्णता पर निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश**	.... **32–33**
अध्याय–III	आर्थिक सहायता के लिए दिशा–निर्देश	.... **34–35**
अध्याय–IV	प्रति परियोजना आधारित आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा के लिए दिशा–निर्देश	.... **36–37**
प्रारूप–I	**आशय पत्र के लिए आवेदन पत्र**	.... **38–43**
प्रारूप–II	**शपथ–पत्र**	.... **44–45**
प्रारूप–III	**संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट**	.... **46–50**
प्रारूप–III क	**पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट**	.... **51–52**
प्रारूप–IV	**शपथ–पत्र**	.... **53**
प्रारूप–V	**बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरणी अथवा चार्टरित लेखाकार का प्रमाण पत्र**	.... **54–56**
प्रारूप–VI	**आरटीजीएस–प्रोफार्मा**	.... **57**
प्रारूप–VII	**दस्तावेज़ों की सूची सहित बैंक द्वारा भेजे गए अग्रेषण पत्र**	.... **58–59**
प्रारूप–VIII	**उपयोगिता प्रमाण–पत्र**	.... **60**
परिशिष्ट–I	**राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालयों की सूची**	.... **61–62**
परिशिष्ट–II	**लागत प्रतिमानक**	.... **63–65**

अध्याय–I

'उत्पादन तथा कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास' योजना के अंतर्गत आशय पत्र हेतु आवेदन करना

1. आशय पत्र हेतु कौन आवेदन कर सकता है –

कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का कोई समूह अथवा कोई कानूनी व्यक्ति (भागीदारी फर्म, कोई न्यास, सहकारी समिति, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी, कोई कंपनी, स्वयं-सहायता समूह) एलओआई हेतु आवेदन कर सकता है ।

2. एलओआई हेतु आवेदन कहां करें

क. विहित प्रारूप में भौतिक आवेदन

1. रा.बा.बो. के संबंधित राज्य कार्यालय को - 50.00 लाख रुपए की परियोजना लागत तक ।
2. परियोजना लागत 50 लाख रुपए से अधिक होने के मामले में रा.बा.बो. मुख्यालय, गुड़गांव को, तथापि, आवेदन की एक प्रति रा.बा.बो. के संबंधित राज्य कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए ।

ख. आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करना

रा.बा.बो. ने अपनी वेबसाइट www.nhb.gov.in पर आशय–पत्र (एलओआई) हेतु आवेदनों को ऑनलाइन फाइल करने के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की है । वेबसाइट का होम पेज "एप्लाई ऑनलाइन एण्ड ट्रैक स्टेटस हेअर" वाला एक लिंक मुहैया करवाता है । इस खंड में आवेदकों की ऑनलाइलन आवेदन करने में सहायता करने के लिए - कैसे आवेदन करें, आवेदन की लागत तथा भुगतान विकल्प, चैक-लिस्ट आदि पर जानकारी उपलब्ध है । आवेदक के पास आवेदन की कीमत के भुगतान हेतु निम्नलिखित 3 विकल्प होते हैं -

- डिमाण्ड ड्राफ्ट
- रा.बा.बो. के खाते में निधियों का इलेक्ट्रानिक अंतरण
- क्रेडिट/डेबिट कार्ड (वीजा/मास्टर)

आवेदन की कीमत हेतु ढांचा निम्नलिखित है -

आवेदन की कीमत	डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा इलेक्ट्रानिक अंतरण श्रेणी	क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड (वीजा/मास्टर)
10 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु	1,000/- रुपए	1000/- रुपए (गेट–वे ट्रांजेक्शन शुल्क के भुगतान संबंधी लागू प्रभार अतिरिक्त)
10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु	2,000/- रुपए	2000/- रुपए (गेट–वे ट्रांजेक्शन शुल्क के भुगतान संबंधी लागू प्रभार अतिरिक्त)
20 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु	5,000/- रुपए	5000/- रुपए (गेट–वे ट्रांजेक्शन शुल्क के भुगतान संबंधी लागू प्रभार अतिरिक्त)
50 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु	10,000/- रुपए	10,000/- रुपए (गेट–वे ट्रांजेक्शन शुल्क के भुगतान संबंधी लागू प्रभार अतिरिक्त)

भुगतान विकल्प डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा रा.बा.बो. के खाते में इलेक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से होने के मामले में आवेदक को पहले डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना होगा अथवा रा.बा.बो. के खाते में निधियों को अंतरित करना होगा क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में डीडी/इलेक्ट्रानिक अंतरण संख्या दिया जाना अपेक्षित होता है । **इस मामले में आवेदक को एक अस्थायी आईडी आबंटित की जाएगी । इलेक्ट्रानिक भुगतान के मामले में स्थायी एलओआई कोड को रा.बा.बो. के खाते में निधियों की प्राप्ति होने और डिमाण्ड ड्राफ्ट के मामले में रा.बा.बो. द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा ।**

यदि आवेदक आवेदन की कीमत का भुगतान क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से करने का विकल्प चुनता है तो उसे स्थायी एलओआई कोड के साथ त्वरित पावती जारी की जाती है ।

ऑनलाइन आवेदन फाइल करने के पश्चात आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन फार्म का प्रिन्ट आउट लेना चाहिए । वह प्रिंट आउट की 2 प्रतियां लेकर, एक को अपने रिकार्ड हेतु रखकर तथा दूसरी को अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ भौतिक आवेदन के साथ लगाकर रखी जा सकती है । आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म के अतिरिक्त विस्तृत आवेदन फार्म (**प्रारूप-1**) को भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

3. आवेदक की पहचान कैसे स्थापित करें

1. आवेदक के कोई विशे-ा व्यक्ति होने के मामले में उसका नाम, लिंग, आयु, व्यवसाय, पिता/पति का नाम, स्थायी पता, डाक का पूर्ण पता, जिसके साथ आवेदन पर लगाया गया आवेदक का स्वतः अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ हो, सामान्यतः विशे-ा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त है ।

2. आवेदक के सांविधिक व्यक्ति होने के मामले में आवेदक को जानने के लिए निम्नलिखित ब्यौरों पर बल दिया जाना चाहिए -

   क. आवेदक निकाय/कंपनी के पंजीकरण के दस्तावेज की सत्यापित प्रति ।

   ख. आवेदक निकाय/कंपनी का एसोसिएशन ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद ।

   ग. निदेशक मंडल का प्रस्ताव जो बैंक ऋण, रा.बा.बो. आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करने तथा इस संबंध में अन्य सभी संबंधित आवश्यक कदमों को उठाने के लिए आवेदन के हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकृत करता हो । आवेदन के हस्ताक्षरकर्ता का वर्णन उसके नाम, आयु, लिंग, पदनाम/व्यवसाय, पिता/पति का नाम, स्थायी पता, डाक का पूर्ण पता और आवेदन पर लगाए गए उसके स्वतः अभिप्रमाणित फोटोग्राफ का वर्णन बोर्ड के प्रस्ताव में किया जाना चाहिए ।

   घ. निवेश प्रस्ताव, बैंक ऋण आदि की अनुमति अथवा अनुमोदन हेतु आवेदक निकाय के निदेशक मंडल/ प्रबंधन प्रस्ताव के सक्षम निकाय को भी संलग्न किया गया होना चाहिए ।

   ङ आवेदक निकाय की नवीनतम लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्-िक रिपोर्ट की एक प्रति ।

4. भूमि के स्वामित्व और अधिकार के अभिलेख की प्रति

भूमि के जिस टुकड़े पर परियोजना को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है उसका स्वामित्व स्वामी के रूप में आवेदक के नाम पर अथवा न्यूनतम 10 व-र्ों की अवधि हेतु पट्टाधारी के रूप में होना चाहिए । तथापि, अधिक प्रतीक्षा अवधि वाले फल बागानों तथा पौधरोपण फसलों हेतु पट्टे की न्यूनतम अवधि 15 व-र् की होनी चाहिए । पट्टे पर ली गई भूमि के मामले में पट्टा विलेख उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय आदि जैसे प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने चाहिए । इस तथ्य को दर्शाने वाले अधिकार के अभिलेख की नवीनतम प्रति को आवेदन के साथ संलग्न किया गया होना चाहिए । रेयन रखी गई भूमि को

पट्टेवाली भूमि के समान नहीं माना जाना चाहिए यदि ऋण देने वाले संस्थान ने माना हो तब भी । इसी प्रकार आवेदक के पक्ष में भूमि के स्वामी द्वारा दी गई पावर ऑफ एटार्नी भी योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र नहीं होती है ।

5. आवेदन फार्म के साथ सलंग्न किए जाने वाले दस्तावेज -

क. परियोजना भूमि के टुकड़े पर अधिकार के अभिलेख की प्रति

ख. परियोजना हेतु भूमि के पटटे के मामले में पट्टा विलेख की एक प्रमाणित प्रति जिसे एलओआई आवेदन प्रस्तुत करते समय पंजीकृत किया गया होना चाहिए ।

ग. संलग्न प्रारूप में शपथ-पत्र

घ. आवेदन फार्म तथा योजना ब्राउशर की विहित कीमत

ङ अंतिम प्रस्तुत आयकर रिटर्न की प्रति, यदि कोई हो

च. किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को ऋण मामले के साथ प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति जिसके साथ वित्तीय संस्थान/बैंक से इस आशय का एक पत्र संलग्न हो कि ऋण मामला उसके विचाराधीन है

छ. परियोजना के विन्यास तथा भूमि की सीमा को दर्शाने वाली स्थलाकृतियों, सिंचाई जल के स्रोत (यदि कोई हो), विद्यमान भूमि उपयोग आदि को दर्शाने वाला परियोजना भूमि का की-मानचित्र (फ्री-हैंड स्कैच)

ज. आवेदक के सहकारी समिति का सदस्य, समान क्रियाकलाप वाली भागीदारी फर्म होने के मामले में ऐसे संस्थान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

ञ. परियोजना में फलों तथा सब्जियों के प्राथमिक प्रसंस्करण का घटक शामिल होने अथवा इसके द्वारा एफपीओ 1955 द्वारा कवर किए जाने वाले किसी फल उत्पाद का विनिर्माण किए जाने के मामले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) द्वारा जारी एनओसी प्रस्तुत किया जाए ।

6. आशय पत्र के आवेदन हेतु जांच बिंदु - निम्नलिखित जांच बिंदुओं को सुझाया जाता है और मामले की आवश्यकता के अनुसार जांच द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है

1. आवेदन सभी प्रकार से पूरी तरह भरा गया है और सभी पृ-ठों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा अपेक्षित/संगत कागजात/दस्तावेज साथ लगाए गए हैं ।

2. आवेदक की पहचान तथा विद्यमानता की पुि-टि आवेदन फार्म के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच से की जानी चाहिए ।

3. परियोजना के अंतर्गत भूमि क्षेत्र या तो आवेदक के स्वामित्व वाली है/उसके नाम पर विहित व-र्ों हेतु पट्टाधारक अधिकार (पंजीकृत) है और यह किसी भार से मुक्त है जैसे कि तृतीय पक्ष को रेहन ।

4. प्रस्तावित फसल/क्रियाकलाप रा.बा.बो. योजना के अंतर्गत अनुमेय है ।

5. परियोजना भूमि के पूर्ण ब्यौरे (सर्वेक्षण संख्या/प्लाट संख्या, गांव अथवा शहर/तहसील, जिला तथा शहर का अवश्य उल्लेख किया जाए) । आवेदन के साथ संलग्न परियोजना का की-मानचित्र, सिंचाई जल स्रोत (यदि आवश्यकता हो), विद्यमान ढांचे, प्रस्तावित ढांचे, पौध रोपण क्षेत्र को दर्शाता है । की-मानचित्र पैमाने के अनुसार तो नहीं हो सकता परन्तु यह परियोजना भूमि के संबंध में जानने के प्रयोजन हेतु एक स्केच हो सकता है । संबंधित सहायक निदेशक तथा एलओआई जांच को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि लाभग्राही तकनीकी रूप से आवश्यक आधारभूत घटकों से रहित न हों ।

6. फसल, उसकी किस्म, पौधों के घनत्व, पौधों के मैट्रिक्स, उसके प्रस्तावित क्षेत्र तथा पौधरोपण सामग्री के स्रोत को स्प-ट रूप से दर्शाया जाता है । इस ब्यौरे को देखा जाना चाहिए तथा आवेदक को उचित तकनीकी परामर्श दिया जा सकता है । इसके लिए परियोजना के निर्देशनात्मक की-मानचित्र का संदर्भ लेना चाहिए ।

7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्त-पो-ाण संस्थान की वैधमानता है; किसी बैंक के संबंध में संदेह के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उसके बैंकिंग लाइसेंस का संदर्भ लिया जा सकता है । वित्त-पो-ाण किसी क्रेडिट सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित होने के मामले में न केवल संबंधित क्रेडिट सोसाइटी बल्कि उस सोसाइटी को ऋण देने वाला बैंक भी वित्त-पो-ाण संस्थान होगा । ऐसे मामलों में प्रस्ताव को रा.बा.बो. के पास आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव को विचार किए जाने के लिए वित्त पो-ाण करने वाले बैंक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए तथा आर्थिक सहायता आरक्षित निधि खाते को वित्त-पो-ाण करने वाले बैंक में लाभग्राही के नाम पर अनुरक्षित किया जाएगा । संदेह के मामले में यदि किसी स्प-टीकरण की आवश्यकता हो तो उसे नाबार्ड/ एसएलबीसी तथा सहकारी समितियों के जिला रजिस्ट्रार से मांगा जा सकता है ।

8. परियोजना रिपोर्ट से वित्त -पो-ाण के साधनों की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना को दो अथवा अधिक केन्द्रीय योजनाओं से आर्थिक सहायता द्वारा वित्त पो-ाण किया जाना प्रस्तावित नहीं है ताकि दो अथवा अधिक संगठनों से समान परियोजनाओं हेतु दोहरी आर्थिक सहातया प्रदान किए जाने से बचा जा सके । इसी प्रकार सावधि ऋण घटक न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम नहीं है ।

9. आवेदन फार्म तथा परियोजना रिपोर्ट में दिए गए परियोजना ब्यौरे एक-दूसरे के अनुरूप हैं ।

10. आवेदक के एक कम्पनी होने के मामले में उक्त के पास इक्विटी की अपेक्षित राशि मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी और आरक्षित तथा अधिशे-ा हों । अप्रतिभूत ऋण को इक्विटी नहीं माना जा सकता है।

11. परियोजना के क्रियान्वयन कार्यक्रम की उचित जांच की जानी चाहिए ताकि पुराने पौधरोपण, क्रियाकलापों तथा घटकों हेतु एलओआई से बचा जा सके ।

12. यदि प्रस्तावित प्राथमिक प्रसंस्करण यूनिट एफपीओ 1955 के अंतर्गत यथा परिभा-ित "फल उत्पाद" की परिभा-ाा के अंतर्गत कवर की जाने वाली मदों का उत्पादन करती है तो एमएफपीआई से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाए । अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस आशय का होना चाहिए कि समान परियोजना घटक में न तो उसके द्वारा सहायता की गई है और न ही यह एमएफपीआई द्वारा सहायता हेतु विचाराधीन है और इस योजना के अंतर्गत रा.बा.बो. द्वारा उसे सहायता देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

7. प्राप्त आवेदनों का उचित रिकार्ड रखना

एलओआई हेतु आवेदनों के ब्यौरों को **एलओआई हेतु आवेदन के एक रजिस्टर** में तिथि क्रम में दर्ज किया जाना चाहिए । **एलओआई हेतु आवेदनों का रजिस्टर** उचित रूप से बंधा हुआ हो और उस पर पृ-ठ संख्या डाली गई हो तथा क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी सहायक निदेशक अथवा मुख्यालय के अपर प्रबंध निदेशक द्वारा उसे सत्यापित किया गया हो । इसमें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में प्रविि-ट की तिथि और सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट की गई अनूठी एलओआई संख्या भी होनी चाहिए ।

8. एलओआई को जारी किए जाने तथा एलओआई-पूर्व निरीक्षण हेतु आवेदन पर निर्णय -

(क) एलओआई आवेदन पर निर्णय लेने की शक्ति -

क्षेत्रीय कार्यालय -संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी की अध्यक्षता वाली राज्य समिति

मुख्यालय - प्रभारी/पीएसी

तथापि, रेफर वैन/विशे-ीकृत परिवहन वाहन के मामले में सभी प्रस्तावों को एलओआई के विचारार्थ प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है । रेफर वैन/विशे-ीकृत परिवहन वाहन के किसी प्रस्ताव पर एलओआई हेतु राज्य कार्यालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है ।

(ख) एलओआई पूर्व निरीक्षण -

नमूना आधार पर एलओआई पूर्व निरीक्षण हेतु परियोजना का चयन निम्नानुसार किया जाता है -

50 लाख रुपए तक (क्षेत्रीय कार्यालय में)	100 प्रतिशत, जहां तक संभव हो
50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना	100%
रेफर वैन	100%
अल्पावधि फसलें जैसे केला, पपीता, स्ट्रोबेरी, ग्लेडीओलस	100% प्राथमिकता के आधार पर

निरीक्षण पूर्व के दौरान निम्नलिखित जांच बिन्दु होंगे :

- स्थल (साइट) की उपयुक्तता
- मृदा तथा जल रिपोर्ट
- सिंचाई के स्रोत
- हाई–टेक घटक
- परियोजना लागत सहित लागत प्रतिमानक
- की मेप
- लाभार्थी का कौशल स्तर

निरीक्षण पूर्व प्रपत्र की प्रति प्रारूप–IIIए में दी गई है

टिप्पणी - एलओआई पूर्व निरीक्षण करने वाला अधिकारी परियोजना भूमि का की-मानचित्र (फ्री-हैंण्ड स्केच) तैयार करेगा और सिंचाई स्रोत (यदि कोई हो), विद्यमान सिविल ढांचे, विद्यमान भूमि उपयोग को भी दर्शाएगा । वह लाभग्राही को उचित संशोधन के संबंध में परामर्श दे सकता है अर्थात फसल, पौधा घनत्व, फसल मैट्रिक्स, आधारभूत ढांचा कैनोपी आदि और यदि लाभग्राही ऐसे सुझावों से सहमत होता है तो वह आवेदन में संशोधन करेगा । परियोजना का पहले पूरे हो चुके किसी भाग के उचित विवरण की सिफारिश की जानी चाहिए ।

एलओआई की वैधता अवधि -

वैधता (1) सावधि ऋण की स्वीकृति हेतु एलओआई के जारी किए जाने की तिथि से एक व-र्ा की अवधि हेतु ।

(2) परियोजना को साविधि ऋण की तिथि से 2 व-र्ा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए । परियोजना समय अधिक्य की उचित रूप से जांच की जानी चाहिए ।

(3) गुण आधार पर एक व-र्ा की और अवधि हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा एलओआई का पुनः वैधीकरण।

9. लाभग्राही हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश -

(ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रियाविधि को उसके प्रारंभ होने के पश्चात रा.बा.बो. वेब-साइट पर अधिसूचित किया जाएगा)

(i) 50 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के साथ एलओआई आवेदन को परिशि-ट 3 में दिए गए पते पर संबंधित राज्य के केन्द्र प्रभारी को भेजा जा सकता है **(परिशि-ट-I)**। पते में होने वाले किसी परिवर्तन को केन्द्र समय-समय पर रा.बा.बो. वेबसाइट पर सूचित करेंगे ।

(ii) 50 लाख रुपए से अधिक के परिव्यय वाले एलओआई आवेदन को सीधे प्रबंध निदेशक, रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड, प्लाट संख्या 85, सैक्टर-18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव - 122015 (हरियाणा) को भेजा जा सकता है तथा उसकी एक प्रति रा.बा.बो. के संबंधित राज्य कार्यालय को भी भेजी जाए ।

(iii) आवेदन के सभी संगत कॉलमों को भरा गया होना चाहिए और आवेदन के प्रत्येक पृ-ठ पर लाभग्राही द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए होने चाहिए ।

(iv) लिखे हुए को काटकर पुनः लिखने से बचा जाना चाहिए । सभी मामलों में काटकर लिखे जाने को उचित रूप से अभिप्रमाणित किया गया होना चाहिए ।

(v) आवेदक को सभी सलंग्नक जैसे कि शपथ-पत्र, भू-अभिलेखों के प्रमाण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, बैंक सावधि ऋण आवेदन फार्म, स्वतः प्रमाणित फोटोग्राफ आदि संलग्न करने चाहिए और ऐसा न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(vi) शपथ-पत्र विहित संलग्न प्रारूप में ही होना चाहिए ।

(vii) एलओआई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक/उद्यमी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर एक व-र्ा की अवधि हेतु गुण आधार पर केवल एक बार ही पुनः वैधीकृत किया जाएगा ।

(viii) पटटा विलेख सक्षम पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत होना चाहिए ।

(ix) प्रस्ताव में निर्धारित परियोजना भूमि, फसल, क्षेत्र, बैंक आदि में कोई परिवर्तन करने से पूर्व आवेदक को बोर्ड का पूर्वानुमोदन लेना होता है ।

(x) उद्यमी द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव में शामिल न किए गए परियोजनाओं के घटक और बैंक मूल्यांकन नोट का भाग न होने वाले रा.बा.बो. आर्थिक सहायता हेतु पात्र नहीं है जब तक कि उक्त का आंकलन आवेदन को प्रस्तुत किए जाते समय अथवा बैंक मूल्यांकन के समय नहीं किया गया हो जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता आदि ।

(xi) कुछ घटक जैसे कि फार्म मशीनरी, विद्युत कनेक्शन प्रभार, केले के गुच्छों का कवर, छायादार जाली, पीएचएम आधारभूत ढांचा, सुरक्षा तथा भण्डारण सुविधाएं जिनका एलओआई आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया था परन्तु परियोजना हेतु उनके क्रय अथवा निर्माण के प्रमाण को संदेह के बिना सिद्ध किया जा सके, उनकी अनुमति परियोजना के सभी लागत मानदण्डों के भीतर और संगत घटक के पृथक लागत मानदण्डों में की जा सकती है । इसी प्रकार परियोजना के किसी घटक के संबंध में लागत के निर्णय में कोई बड़ी चूक जिसके भीतर घटक का नि-पादन तकनीकी रूप से संभव नहीं है तो उसे न्यूनतम मानकीय लागत तक सुधार किए जाने की अनुमति दी जा सकती है ।

(xii) छायादार जाली, मल्च कवर, स्टेक, प्लास्टिक क्रेट आदि जैसे घटक जो केवल परियोजना के भाग के रूप में आर्थिक सहायता हेतु पात्र हैं परन्तु जिन्हें उत्पादन तथा कटाई के समय लिया जाता है वे परियोजना प्रस्ताव में शामिल हों ताकि उन्हें उक्त के लिए बाद के किसी उचित चरण हेतु प्राप्त बैंक ऋण के पश्चात आर्थिक सहायता हेतु पात्र हों ।

(xiii) यदि आवेदक किसी सहकारी समिति का सदस्य है अथवा भागीदारी फर्म में भागीदार है जिसे एनएचबी द्वारा समान क्रियाकलाप हेतु वित्त-पोि-त किया गया है तो सहकारी समिति, भागीदारी फर्म से अनापत्ति प्रमाण पत्र को आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(xiv) यदि आवेदक परियोजना भूमि के संयुक्त स्वामियों में से एक अथवा कुछेक हैं और परियोजना आवेदन की भूमि के भाग के लिए प्रस्तावित है तो अन्य सह–स्वामियों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(xv) परियोजना में दी गई आर्थिक सहायता से बैंक सावधिक ऋण 15 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर परियोजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु पात्र नहीं होगी।

(xvi) परियोजना भूमि का की-मानचित्र "पैमाने के अनुसार" होने की आवश्यकता नहीं है । यह एक फ्री-हैंण्ड स्केच हो सकता है जो वर्तमान भूमि उपयोग, उसकी सीमाओं की आकृतियां, सिंचाई के स्रोत की अवस्थिति (यदि कोई हो), प्रस्तावित भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाता हो ।

(xvii) परियोजना में फलों तथा सब्जियों के "प्राथमिक प्रसंस्करण" की मद शामिल होने के मामले में एफपीओ, 1955 के अंतर्गत प्राथमिक प्रसंस्करण यूनिट को चलाने हेतु अपेक्षित एफपीओ लाइसेंस की आवश्यकता होने पर एमएफपीआई, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए ताकि योजना तथा आर्थिक सहायता के दोहरेपन से बचा जा सके । यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र एलओआई के आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शर्त वाली एलओआई को जारी किया जा सकता है जोकि प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई को प्रारंभ किए जाने से पूर्व प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा ।

(xviii) क्रियान्वयन के दौरान किसी परियोजना में फसल के परिवर्तन हेतु प्रमोटर को परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व इसके लिए बैंक/रा.बा.बो. को अनुरोध करना होगा । ऐसे मामलों में जहां बैंक को परिवर्तित फसल से अवगत करवा दिया गया है तथा ऋण स्वीकृति पत्र में संशोधन के पश्चात और रा.बा.बो. का पूर्व अनुमोदन न लिए जाने तथा परियोजना पूर्ण हो गई है । ऐसे मामलों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ कार्रवाई की जाएगी-

(क) नर्सरी से परिवर्तित पौधरोपण सामग्री के क्रय का दस्तावेजीय प्रमाण प्रस्तुत किया जाए ।

(ख) इस आशय का दस्तावेजीय प्रमाण कि बैंक को फसल में परिवर्तन के संबंध में सूचित किया गया है, बैंक ने परियोजना का पुनः मूल्यांकन किया है और उचित समय पर संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, ऋण संवितरण ब्यौरे ऊपर दिए गए का समर्थन करते हैं ।

(ग) परियोजना का संयुक्त निरीक्षण बाध्यकारी होगा ।

(घ) आर्थिक सहायता गणना हेतु पौधरोपण की मूल लागत तथा संशोधित लागत मे से कम को लिया जाएगा और किसी अन्य घटक जैसे कि सूक्ष्म-सिंचाई आदि की लागत के प्रति किसी परिवर्तन को ध्यान में रखा जाएगा परन्तु परियोजना के किसी घटक के प्रति लागत में किसी वृद्धि की अनुमति नहीं होगी और

(ङ) अंतर श्रेणी परिवर्तन जैसे कि बगीचे से नियंत्रित स्थिति खेती की अनुमति नहीं होगी ।

अध्याय–II

परियोजनाओं की पूर्णता पर निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश

उद्देश्य

परियोजना का निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना को अनुमोदित परियोजना स्थल पर मूल परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण किया गया है और सभी आवश्यक घटकों को नि-पादन की संतो-ाजनक गुणवत्ता तथा कारीगरी के स्वीकार्य मानक के साथ पूरा कर लिया गया है । इसका उद्देश्य लाभग्राही द्वारा किए गए घटक-वार वास्तविक व्यय के संबंध में आंकलन करने के लिए लाभग्राही द्वारा रखे गए वाउचर तथा अन्य अभिलेखों की जांच करना और परियोजना की लागत के संबंध में आंकलन करना भी है । यह न केवल परियोजना का एक लिखित चित्र प्रदान करता है बल्कि यह सृजित परिसंपत्तियों की विद्यमानता के प्रमाण के द्वारा रा.बा.बो. के स्थायी अनुदेशों के अनुसार चित्र/वीडियो फिल्में भी मुहैया करवाता है ।

परियोजना की पूर्णता की सूचना और निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण को करना

बोर्ड द्वारा जिसके लिए एलओआई जारी की गई है उस क्रेडिट संयोजित परियोजना के पूर्ण होने पर प्रवर्तक संबंधित वित्त-पो-ाण संस्थान/बैंक को परियोजना की पूर्णता के संबंध में सूचित करेगा । जितना जल्दी संभव हो उस परियोजना की पूर्णता के संबंध में सूचना/दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात, जिसके लिए रा.बा.बो. द्वारा स्वयं बैंकर को लाभग्राही के साथ परियोजना का निरीक्षण करने को कहा गया है, बैंकर उक्त परियोजना का स्थल निरीक्षण करेगा और रा.बा.बो. को उसके द्वारा विहित प्रारूप में बैंक अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृ-ठ पर हस्ताक्षर की गई निरीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा । संयुक्त निरीक्षण की आवश्यकता होने वाले मामलों में वित्तीय संस्थान/बैक रा.बा.बो. के संबंधित राज्य प्रभारी के साथ परामर्श से परियोजना के संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित करेगा। ऐसे मामलों का संयुक्त निरीक्षण रा.बा.बो. के प्रतिनिधि और वित्त-पो-ाण संस्थान (एफआई)/बैंक के प्रतिनिधि द्वारा लाभग्राही की उपस्थिति में किया जाएगा । राज्य बागवानी निदेशालय के प्रतिनिधि को भी रा.बा.बो. के स्थायी आदेशों के अनुसार शामिल किया जा सकता है ।

निरीक्षण रिपोर्ट की मुख्य विशे-ताएं

बैंक निरीक्षण रिपोर्ट/संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट को रा.बा.बो. को संबंधित एफआई/बैंक द्वारा **प्रारूप-3** में दिए गए फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट लिखित में होनी चाहिए जिसमें परियोजना तथा परियोजना भूमि के विभिन्न घटकों के आवश्यक ब्यौरे, वित्त-पो-ाण का स्रोत, क्या परियोजना के सभी घटक नए हैं, आदि के आवश्यक ब्यौरे होने चाहिए। इसके साथ रा.बा.बो. के स्थायी अनुदेशों के अनुसार फोटोग्राफ अथवा वीडियो फिल्म होनी चाहिए।

कुछ बिंदु जिन्हें निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए -

1. **फल उद्यान/पौध रोपण फसल के मामले में** - पौधरोपण की तिथि, पौधे का घनत्व, उगाई गई किस्मों के नाम और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री के स्रोत तथा क्रय की लागत का रिपोर्ट में स्प-ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. **टिशु कल्चर/मशरूम उत्पादन/सुगंधित पौधों तथा प्रसंस्करण यूनिट के मामले में -** प्रति व-र्ा टिशु कल्चर पौधों के उत्पादन हेतु स्थापित क्षमता (संख्या), मशरूम उत्पादन/सुगंधित तेल (एमटी प्रतिव-र्ा) का उल्लेख स्प-ट रूप से तथा पृथक तौर पर किया गया होना चाहिए ।

3. **परियोजना के अंतर्गत वर्मि-कम्पोस्ड यूनिट के मामले में -** आयामों के साथ कच्ची/पक्की नींव/बड़े ढांचे की स्थिति।

4. **मिश्रित फल फसलों के मामले में -** प्रत्येक फसल हेतु क्षेत्र तथा पौधे के घनत्व का पृथक तौर पर फसल-वार उल्लेख किया जाए ।

5. **श्रमिक क्वार्टर, भण्डार कक्ष, जल भंडारण टंकी आदि जैसे आधारभूत ढांचे के मामले में –** संपूर्ण आयाम/लम्बाई तथा चौड़ाई वाले क्षेत्रफल, छत की ऊंचाई तथा छत का प्रकार, दीवार हेतु प्रयुक्त सामग्री (सीमेंट मोर्टर अथवा मिट्टी के मोर्टर, आरसीसी आदि के साथ ईंटें) का स्प-ट रूप से उल्लेख किया जाए ।

6. **ट्रेक्टर के मामले में** - निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभग्राही तथा बैंक अधिकारी के साथ ट्रैक्टर का एक फोटो और ट्रेक्टर के पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) की सत्यापित प्रति भेजी जाए। ट्रेक्टर की पंजीकरण संख्या बैंक अधिकारी/जेआईटी की निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख के अनुसार चित्रों/आरसी के अनुसार होनी चाहिए ।

परियोजना की पूर्णता पर परियोजना के घटकों और संपूर्ण रूप से परियोजना की लागत का आंकलन करना

निरीक्षणकर्ता अधिकारी/संयुक्त निरीक्षण दल परियोजना के विभिन्न घटकों और संपूर्ण परियोजना की लागत के आंकलन के लिए भी उत्तरदायी है । सामान्यतः इसका सत्यापन अधिप्राप्ति/प्राप्त सेवाओं आदि से संबंधित वाउचर/धन रसीद जैसे दस्तावेजीय प्रमाणों के सत्यापन द्वारा किया जाता है । कई बार जब वाउचर/धन रसीद की सत्यता निश्चित नहीं होती है तो स्थानीय दरों आदि पर लागत का एक उचित आंकलन किया जाता है । सनदी लेखाकार द्वारा किए गए मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा जाता है । सामान्यतः एफआई/बैंक ऋण की अगली तथा अंतिम किश्त को सीए प्रमाण-पत्र आदि के माध्यम से नि-पादित कार्य के मूल्य का पता लगाने के पश्चात निर्मुक्त करते हैं । ये दस्तावेज परियोजना के घटकों तथा संपूर्ण रूप से परियोजना की लागत के आंकलन हेतु आधार भी होते हैं ।

टिप्पणी - लाभग्राही की परियोजना हेतु उसके आर्थिक सहायता दावे को अग्रेि-त करते समय उसे उसके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों के संबंध में सूचित करने का परामर्श दिया जाता है जैसे कि विहित प्रफोर्मा में नए शपथ-पत्र की आवश्यकता आदि ।

अध्याय–III

आर्थिक सहायता दावे को करने हेतु दिशा-निर्देश

बोर्ड को अंतिम आर्थिक सहायता दावे हेतु दस्तावेज/पेपर प्रस्तुत करने की प्रक्रियाविधि : परियोजना हेतु ऋण मुहैया करवाने वाले संबंधित एफआई/बैंक को परियोजना हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सीधे रा.बा.बो. के संबंधित कार्यालय में आर्थिक सहायता दावे को प्रस्तुत करना होता है । सभी मामलों में आर्थिक सहायता दावों को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्र पोस्ट अथवा बैंक के किसी मैसेंजर द्वारा जिसके पास मैसेंजर होने का कोई पहचान प्रमाण हो अथवा जिसके पास संबंधित बैंक शाखा से प्राधिकार प्रमाण पत्र हो, द्वारा निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है । यह झूठे आर्थिक सहायता दावों को प्रस्तुत किए जाने के मामलों के होने की संभावना को समाप्त करेगा जैसा कि कुछ राज्यों में हुआ है । रा.बा.बो. वित्तीय संस्थानों को ऋण स्वीकृति, ऋण की किश्त निर्मुक्त किए जाने, परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति और आर्थिक सहायता दावों के संबंध में ऑनलाइन प्रविष्टि करने को समर्थ बनाने हेतु प्रावधानों को प्रस्तावित कर रही है जोकि परियोजना की प्रगति पर सूचना दिए जाने को सुकर बनाएगा और बाद में दस्तावेजों की हस्ताक्षरित तथा सत्यापित प्रतियों की प्राप्ति के अभाव में लंबित आर्थिक सहायता दावों के रा.बा.बो. में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रसंस्करण को सुकर बनाएगा ।

पात्र परियोजना लागत (ईपीसी) : यह पाया गया है कि किसान/लाभग्राही तथा बैंकर कई बार इस भ्रम में होते हैं कि निरीक्षण/पूर्ण परियोजना के संयुक्त निरीक्षण के दौरान मूल्यांकित अथवा आंकलित परियोजना लागत के 20% अथवा 40% की दर से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी । यह सत्य नही है । इसलिए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि 20% अथवा 40% आर्थिक सहातया को पात्र परियोजना लागत (ईपीसी) के प्रति स्वीकृत तथा निर्मुक्त किया जाएगा । ईपीसी की गणना प्रति यूनिट क्षेत्र परियोजना लागत और घटक-वार लागत मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए की जाती है । इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाए कि घटक-वार पात्र लागत परियोजना रिपोर्ट में निर्दिष्ट लागत, बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा आंकलित लागत और परियोजना के निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण के दौरान आंकलित लागत में से न्यूनतम लागत होगी । अतः परियोजना रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्दिष्ट न किए गए घटक ईपीसी की गणना के प्रयोजन हेतु शामिल किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार रा.बा.बो. के पूर्व अनुमोदन के बिना फसल अथवा परियोजना स्थल में परिवर्तन घटक या परियोजना को, जैसा भी मामला हो, आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपात्र बना देगा । एफआई/बैंकर में भी परिवर्तन रा.बा.बो. के पूर्व अनुमोदन से किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सावधि ऋण की विहित न्यूनतम प्रतिशत की शर्त को पूरा किया जाए अन्यथा आर्थिक सहायता दावे अस्वीकार कर दिए जाएंगे । फसल-वार तथा घटक-वार लागत मानदण्ड **परिशि-ट-II** पर संलग्न है ।

आर्थिक सहायता दावों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज - उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता दावों को **प्रारूप-VII** में विहित फार्म में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके साथ बैंक निरीक्षण रिपोर्ट सहित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए -

(क) बैंक द्वारा जारी परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र ।

(ख) सावधि ऋण की स्वीकृति से पूर्व बैंक द्वारा किया गया वित्तीय मूल्यांकन जिसमें निवेश घटक तथा उनकी लागत को दर्शाने वाले अन्य ब्यौरों के साथ वित्त के साधनों को दर्शाया गया हो । परियोजना स्थल का स्वीकृति पूर्व निरीक्षण एफआई/बैंक द्वारा किए जाने के मामले में ऐसे दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति आर्थिक सहायता दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(ग) लाभग्राही को बैंक द्वारा जारी सावधि ऋण स्वीकृति पत्र जिसमें विस्तृत निबंधन तथा शर्तें हों तथा स्पष्ट रूप से सावधि ऋण के प्रयोजन, क्रियाकलापों जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है, जैसे कि ड्रिप/स्प्रिंकलर के साथ फलों की फसलों का पौधरोपण वाणिज्यिक कटे हुए फूलों/बागवानी उत्पादों हेतु हाईटेक हरित गृह

की स्थापना, टिशु कल्चर यूनिट, उत्पादों का प्राथमिक प्रसंस्करण, गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्री नर्सरी की स्थापना आदि, के साथ चुकौती की अवधि को दर्शाया गया हो ।

(घ) परियोजना हेतु तिथि-वार सावधि ऋण संवितरण ब्यौरे

(ङ) परियोजना से संबंधित प्रवर्तक के सावधि ऋण खाते का सार ।

(च) रा.बा.बो. के विहित प्रारूप के अनुसार 20/- रुपए के स्टाम्प पेपर पर किसान द्वारा नोटरी किया गया शपथ-पत्र **(प्रारूप-IV)**

(छ) लाभग्राही द्वारा ऋण दस्तावेज में संलग्न परियोजना भूमि के अधिकारों के अभिलेख की प्रति के साथ एफआई/बैंक द्वारा की गई सर्च रिपोर्ट, यदि कोई हो । यह रा.बा.बो. को एलओआई हेतु आवेदन के साथ लाभग्राही द्वारा रा.बा.बो. को प्रस्तुत अधिकार के अभिलेख की प्रति से मिलान करने में समर्थ बनाएगा ।

(ज) परियोजना के निरीक्षण के समय लिए गए फोटोग्राफ **जिन पर (बैंक अधिकारी) तथा प्रमोटर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों ।** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमोटर तथा रा.बा.बो. अधिकारी (जेआईटी के मामलें में) के साथ निरीक्षण अधिकारी (बैंक अधिकारी) को भी फोटोग्राफ में देखा जा सके ।

(झ) परियोजना के सभी प्रमुख घटक अर्थात ड्रिप सिंचाई प्रणाली, पीएचएम आधारभूत ढांचा, भंडार कक्ष, चौकीदार/नौकर प्रतीक्षा कक्ष, जल संचयन तालाब, ट्यूबवैल, ट्रेक्टर तथा खेत में पौधरोपण की गई फसलों को परियोजना आदि के साइन बोर्ड के साथ फोटोग्राफ में कवर किया जाए ।

(ञ) रा.बा.बो. प्रारूप **(प्रारूप-V)** के अनुसार बैंक द्वारा प्रमाणित व्यय विवरण (वाउचर/बिलों के आधार पर तैयार किया गया) अथवा सीए प्रमाण पत्र जोकि निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण के दौरान परियोजना की आंकलित लागत के प्रमाण के द्वारा होगा ।

(ट) यदि बैंक द्वारा आरटीजीएस द्वारा आर्थिक सहायता को निर्मुक्त किए जाने को प्राथमिकता दी जाती है तो संबंधित आर्थिक सहायता आरक्षित लेखे के ब्यौरों के साथ उक्त हेतु आवेदन पत्र **(प्रारूप-VI)**।

ऋण लेने वाले के खाते के समायोजन हेतु प्रक्रियाविधि -

रा.बा.बो. द्वारा बैंक/एफआई को किसी परियोजना के पक्ष में निर्मुक्त की गई आर्थिक सहायता को **आर्थिक सहायता आरक्षित निधि** नामक एक अलग खाते में रखा जाएगा । सावधि ऋण खाते में आर्थिक सहायता का समायोजन केवल पश्चगामी आर्थिक सहायता के रूप में किया जाएगा । तदनुसार, आर्थिक सहायता राशि सहित किंतु लाभग्राही के सीमांत राशि अंशदान को छोड़कर समूची परियोजना लागत को बैंकों द्वारा ऋण के रूप में संवितरित किया जाएगा । ऋण राशि पर चुकौती का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा कि आर्थिक सहायता राशि का समायोजन बैंक ऋण भाग (आर्थिक सहायता को छोड़कर) का समायोजन परिसमापन के पश्चात किया जाएगा । ऋण लेने वाले के सावधि ऋण खाते में आर्थिक सहायता का समायोजन अंतिम किश्त की वसूली के एक भाग के रूप में ही किया जाएगा जोकि सावधि ऋण के निर्मुक्त किए जाने की तिथि से 36 माह से कम की अवधि में नहीं होना चाहिए । अतः ऋण लेने वाले के सावधि ऋण खाते में बैंक द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता की तिथि से ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

बैंक/एफआई द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत किया जाना

परियोजना की पूर्णता और ऋण लेने वाले के सावधि ऋण खाते को बंद किए जाने तथा अंतिम किश्त के भाग के रूप में आर्थिक सहायता राशि के समायोजन, जोकि सावधि ऋण को निर्मुक्त किए जाने की तिथि से 36 माह की अवधि से पहले नहीं होगा, हेतु बैंक/एफआई विहित प्रफोर्मा में आर्थिक सहायता राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र को रा.बा.बो. को प्रस्तुत करेंगे **(प्रारूप-VIII)** ।

अध्याय–IV

प्रति लाभार्थी से प्रति परियोजना आधार पर आर्थिक सहायता की सीमा की प्रणाली में परिवर्तन के लिए प्रचालन दिशा निर्देश

दिनांक 03.12.2009 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में निदेशक मंडल ने सभी अन्य साख आधारित घटकों अर्थात पीएचएम तथा शीत भंडारण तथा बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए रा.बा.बो. की योजना के अंतर्गत स्वीकार्य आर्थिक सहायता के पैटर्न पर प्रत्येक परियोजना के आधार पर संबंधित परियोजनाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता को अनुमोदित किया है। तथापि, प्रबंध समिति ने इच्छा व्यक्त की कि उच्चतर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पूर्ण मनसा सहित मतैक्य विभाजन को रोकने के लिए रा.बा.बो. को दिशा–निर्देश बनाने चाहिए। तदनुसार, आर्थिक सहायता के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ निम्नलिखित दिशा–निर्देश लागू होंगे :

1. 50 लाख रुपये तक प्रति परियोजना लागत में प्रति परियोजना में आर्थिक सहायता की स्वीकृति सीमा 20 प्रतिशत या 25 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (पहाड़ी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में प्रति परियोजना 60 लाख रुपये)। परियोजनाओं तथा समय सीमा की संख्याओं पर प्रतिबंध 50 लाख रुपये तक के लिए (पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक लाभार्थी के मामले में 60 लाख रुपए प्रति परियोजना के लिए) लागू नहीं होगा।

2. लाभार्थी नई परियोजनाओं स्थापित कर सकते हैं एवं बगैर स्थान के प्रतिबंध के निम्नलिखित शर्तों पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं :

   (क) परियोजना उसी भूमि पर स्थापित नहीं की जानी चाहिए जिस पर आर्थिक सहायता का लाभ पहले से ही मिल रहा हो। तथापि, यदि भूमि के क्षेत्र का विस्तार आर्थिक सहायता के लिए पहले से कवर किए गए क्षेत्र की अपेक्षा बड़ा है, तो आर्थिक सहायता केवल बिना कवर किए गए क्षेत्र के लिए स्वीकार्य होगी। दूसरे शब्दों में भूमि पर पुनः पौध रोपण के लिए आर्थिक सहायता स्वीकार्य नहीं होगी जिसके लिए पौध रोपण सहायता पहले ही दी जा चुकी है।

   (ख) नई परियोजना अलग से आवधिक ऋण तथा बैंक द्वारा उनकी व्यवहार्यता का लेखा–जोखा सहित अपने आप में एक पूर्ण परियोजना होनी चाहिए। इस उच्चतर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य परियोजना का खंडित भाग नहीं होना चाहिए। तदनुसार आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा की अपेक्षा ज्यादा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एकीकृत परियोजना को खंडित करने की अनुमति नहीं होगी।

   उदाहरण

   (i) पृथक पोली हाऊस/ग्रीन हाऊस के अर्न्तगत सुरक्षित कृषि को अलग परियोजना के रूप में विचार किया जाये।

   (ii) नई भूमि पर खुली खेती में स्थित परियोजना को पृथक परियोजना के रूप में विचार किया जाये।

   (iii) फ़्रोजन मटर/कट सब्जियों का उत्पादन करने वाली परियोजना को आईक्यूएफ सहित प्रसंस्करण इकाई को प्रथम इकाई के रूप में शीत भंडारण को द्वितीय घटक के रूप खंडित की जाती है, कारण

यह है कि आईक्यूएफ घटकों के साथ प्रसंस्करण और सब–जीरो तापमान पर भंडारण सुविधा जो संरचनात्मक रूप से एकीकृत है को दो अलग परियोजना के रूप में स्वीकार्य नही होगी और अतः बिना शीत भंडारण के प्रसंस्करण ईकाई को पूर्ण परियोजना नहीं माना जाएगा।

(ग) जहां एक ही लाभार्थी के द्वारा दूसरी परियोजना या अनुवर्ती परियोजनाओं के लिए अनुदान की माँग की जाती है इसके लिए यह आवश्यक है कि पूर्व परियोजना(एं) पूर्णरूपेण प्रचालन में हो तथा प्रवर्तक द्वारा इसमें कोई अनियमितता न बरती गयी हो।

(घ) जहां कही भी वाणिज्यिक उपयोगिता के लिए उत्पादन की विस्तृत मात्रा आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार पीपीपी व्यवस्था के अर्न्तगत बहुउद्देशीय प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकते हैं।

(ड़) ये दिशा–निर्देश 3 दिसम्बर 2008 से लागू होंगे इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक लाभार्थी आधार पर आर्थिक सहायता की पात्रता की उच्चतम सीमा के आधार पर पूर्ण रूप से खारिज़ किए गए आशय पत्र को जारी करने के प्रस्ताव को पुनः खोला और संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार निर्णय लिया जा सकता हैं तथापि, पात्र आर्थिक सहायता के लिए दावा किए गए आर्थिक सहायता का निर्णय पहले ही लिया गया हो, हांलाकि वास्तविक आर्थिक सहायता जारी करने तथा इसे पुनः खोला जाना शेष हो। आर्थिक सहायता के दावों का निर्णय होना बाकी है जो संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्णय के पात्र होंगे।

प्रारूप-I

1) आवेदन की तिथि
2) नियंत्रण संख्या :
(रा.बा.बो. द्वारा दी जाएगी)

फोटो

सेवा में,

केन्द्र प्रभारी
रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड
प्लाट सं. 85, सैक्टर-18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
गुड़गांव - 122015 (हरियाणा)
(केवल 50.00 लाख रूपए तक की परियोजनाएं ही इस पते पर भेजी जाएं)

अथवा

सेवा में

प्रबंध निदेशक
रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड
प्लाट सं. 85, सैक्टर-18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
गुड़गांव - 122015 (हरियाणा)
(केवल 50.00 लाख रूपए से अधिक तक की परियोजनाएं ही इस पते पर भेजी जाएं और उसकी एक प्रति संबंधित राज्य कार्यालय को भी भेजी जाएं)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की "उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास" की योजना के अंतर्गत आशय पत्र (एलओआई) हेतु आवेदन

क. उत्पादक/उद्यमी

1. नाम _____
   स्थाई पता _____
   डाक का पता _____
2. श्रेणी :अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./भूतपूर्व सैनिक
3. लिंग : पुरू-ा/महिला ———— आयु ----------
4. व्यवसाय
5. प्रमोटर/लाभग्राही का प्रोफाइल
   1) प्रधान प्रमोटर/लाभग्राही
   2) अन्य
   3) कंपनियों के मामले में -
      - पंजीकरण संख्या तथा पंजीकरण की तिथि
      - पंजीकरण प्राधिकारी
      - अधिनियम जिसके अंतर्गत पंजीकृत है
      - प्राधिकृत शेयर पूंजी ----------
      - प्रदत्त शेयर पूंजी ---------- आरक्षित तथा अधिशे-ा ----------

(पिछले वित्त व-र् के अंत तक)

ख. प्रस्तावित क्रियाकलाप

(फसल उगाना/पीएचएम/प्राथमिक प्रसंस्करण/बागवानी अनुषांगी)

1. परियोजना का नाम

2. अवस्थिति :
सर्वेक्षण/खसरा सं. ....., ग्राम .....,तालूका.....,
जिला ....., राज्य .....

3. परियोजना के अंतर्गत विस्तृत प्रस्तावित क्रियाकलाप :-

क) खेती/परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र

	पौध फसलों का नाम	किस्में	क्षेत्र (एकड़)	पौधों की संख्या	पौध-रोपण सामग्री का स्त्रोत
1)	.....	.....	.....	.....	.....
2)	.....	.....	.....	.....	.....
3)	.....	.....	.....	.....	.....
4)	.....	.....	.....	.....	.....
5)	.....	.....	.....	.....	.....

ख) पीएचएम क्रियाकलाप
- ग्रेडिंग एवं पैकिंग/प्री-कूलिंग/रेफर वैन :-

ग) प्राथमिक प्रसंस्करण
- उत्पादों के ब्यौरों के साथ क्रियाकलाप संक्षेप में :-

घ) बागवानी अनुषांगी उद्योग जैसे- औजार, उपकरण, प्लास्टिक, पैकेजिंग आदि
- क्रियाकलाप संक्षेप में :-

ङ) विविध क्रियाकलाप (क से घ तक में कवर नहीं किए गए)
- क्रियाकलाप संक्षेप में :-

च) रेफर वैन/विशे-षीकृत परिवहन वाहन

ख.2 (क) क्या आवेदन में प्रस्तावित क्रियाकलाप एक पूर्णतः नया क्रियाकलाप है हां/नहीं
(यदि नहीं, तो आवेदन में शामिल किसी पूर्व-विद्यमान क्रियाकलाप अथवा उसके किसी घटक को स्प-ट रूप में दर्शाया जाना चाहिए)
.....
.....

(ख) क्या केन्द्र सरकार अथवा उसकी किसी एजेंसी से प्रस्तावित प्रस्ताव/क्रियाकलाप हेतु कोई आर्थिक-सहायता प्राप्त की गई हां/नहीं
(यदि हां, तो कृपया स्प-ट रूप से विस्तृत रूप में दर्शाए)
.....
.....

ग. **प्रस्तावित परियोजना लागत (घटक-वार)**

घटक/मद	**(प्रस्तावित लागत)**
(क) खेती	**(राशि रूपए में)**
1) **खेती की लागत**	
1. पौधरोपण सामग्री की लागत	.....
2. ऊर्वरक तथा खाद की लागत	.....
3. पौधरोपण सामग्री तथा प्रस्तावित किस्मों का स्रोत	.....
4. कीटनाशकों तथा खर-पतवारनाशी की लागत	.....
5. श्रम की लागत	.....
6. अन्य व्यय, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	.....
2) **सिंचाई**	
1. बोर-वेल/ट्यूब-वेल (नया/पुराना)	.....
2. पाइपलाइन की लागत (लंबाई, व्यास तथा प्रयुक्त सामग्री का प्रकार)	.....
3. जल संचयन तालाब (विद्यमान/नया तथा आकार)	.....
4. अन्य व्यय, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	.....
3) सूक्ष्म सिंचाई, प्लास्टिक मलचिंग का उपयोग आदि	
1. ड्रिप सिंचाई की लागत	.....
2. स्प्रिंकलर की लागत	.....
3. प्लास्टिक मलचिंग की लागत	.....
4. अन्य व्यय, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	.....
4) आधारभूत ढांचा	
1. पंप हाउस	.....
2. स्टोर	.....
3. श्रमिक क्वार्टर	.....
4. जनरेटर कक्ष	.....
5. अन्य व्यय, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	.....
5) **ट्रेक्टर तथा एक्सेसरीज की लागत** (यदि खेती(परियोजना) के अंतर्गत क्षेत्र 05 एकड़ से अधिक है)	.....
6) भूमि विकास (गड्ढे की खुदाई तथा बाड़ लगाने सहित)	.....
7) भूमि की लागत, यदि क्रय की गई है	.....

8) नियंत्रित वातावरण का सृजन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	लागत
क) ग्रीन हाउस/पॉली हाउस (आकार)	.....	.....
ख) छायादार जाली (आकार)	.....	.....
कुल	.....	.....

(ख) कटाई -पश्चात आधारभूत ढांचा

1. ग्रेडिंग/पैकिंग हाउस की लागत .....
2. ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन की लागत .....
3. प्री-कूलिंग यूनिट की लागत (क्षमता) .....
4. रेफ्रीजरेटिड वैन की लागत (क्षमता) .....
5. जीरो एनर्जी कूल चैम्बर .....
6. अन्य घटक, यदि कोई हो (कृपया निर्दि-ट करें) .....

कुल .....

(ग) प्राथमिक प्रसंस्करण

1. सिविल निर्माण की लागत .....
2. संयंत्र तथा मशीनरी की लागत .....
3. अन्य घटक, यदि कोई हो (कृपया निर्दि-ट करें) .....

कुल .....

4. प्राथमिक प्रसंस्करण के उत्पाद का नाम दें .....

घ. वित्त-पो-ाण के प्रस्तावित तरीके

1. प्रमोटर का अंश .....
2. बैंक/वित्तीय संस्थान सावधि ऋण .....
3. अन्य स्रोतों से प्रस्तावित आर्थिक-सहायता, यदि कोई हो .....
   क) राज्य सरकार से .....
   ख) रा.बा.बो. के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से .....

कुल .....

(टिप्पणी : मित्रों/संबंधियों से प्राप्त अप्रतिभूत ऋण को इक्विटी नहीं माना जाएगा)

एनएचबी से प्रत्याशित बैक–एन्डिड आर्थिक-सहायता .....रूपए

(रा.बा.बो. की आर्थिक-सहायता को बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार माना जाएगा, जो सही पाए जाने पर होगा परंतु उसकी गारंटी नहीं है)

ङ परियोजना की विद्यमान स्थिति

आशय पत्र (एलओआई) के आवेदन के प्रस्तुतिकरण के समय प्रस्तावित परियोजना के पहले से पूर्ण क्रियाकलापों के संबंध में ब्यौरे दीजिए)

.....

.....

.....

च. क्या लाभाग्राही द्वारा रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड से आसान ऋण तथा आर्थिक-सहायता के रूप में कोई पहले सहायता प्राप्त की गई है ? यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए ।

.....

.....

छ. क्या बोर्ड, केन्द्र सरकार के किसी संगठन या राज्य सरकार से समान क्रियाकलाप हेतु भूमि के समान टुकड़े, खसरा नं. आदि पर कोई आर्थिक-सहायता प्राप्त की गई है ?

.....

.....

आर्थिक-सहायता के ब्यौरे, यदि निम्नलिखित से ली गई है तो :

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय :
2. आयु-ा (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) :
3. एपीडा :
4. एनएचएम :
5. प्रौद्योगिकी मिशन :
6. रा-ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) :

ज. उस बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम जहां से लाभाग्राही द्वारा सावधि ऋण प्राप्त किया गया है/प्राप्त किया जाना है (कृपया सावधि ऋण आवेदन की एक पूर्णतः भरी हुई प्रति संलगन करें)

(क) बैंक का नाम : .....

(ख) बैंक शाखा के ब्यौरे : .....

(ग) बैंक कोड : .....

झ. सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि तथा राशि, यदि कोई हो : .....

ञ. सावधि ऋण को निर्मुक्त किए जाने के ब्यौरे, यदि कोई हो : .....

ट. भूमि के ब्यौरे

1. क्या स्वयं की भूमि है(पैतृक) : .....
2. क्या स्वयं की खरीदी गई भूमि है : .....
3. क्या पट्टे पर है, यदि हां, तो कितने व-ा का पट्टा है : .....
4. **क्या पट्टा/काश्तकारी/संविदा सक्षम पंजीकरण प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है**
   (प्रत्येक हक के प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए)

ठ. प्रस्तावित गतिविधियों का कार्यान्वयन कार्यक्रम

1. भूमि विकास किए जाने हेतु प्रस्तावित माह :
2. पौधरोपण हेतु प्रस्तावित माह :
3. पहली वाणिज्यिक फसल की प्रत्याशित तिथि/माह :
4. प्रसंस्करण के मामले में इकाई के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि :

ड़. उत्पाद का विपणन

विपणन समझौते(पश्चगामी/अग्रगामी लिंकेज) के ब्यौरे

ढ. आवेदन फार्म और योजना ब्राउशर की कीमत निम्नानुसार होगी :

10.00 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाएं	1000/- रुपए
10.00 लाख रुपए से अधिक किंतु 20.00 लाख रुपए से कम लागत वाली परियोजनाएं	2000/- रुपए
20.00 लाख रुपए से अधिक किंतु 50.00 लाख रुपए से कम लागत वाली परियोजनाएं	5000/- रुपए
50.00 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाएं	10000/- रुपए

आवेदन फार्म और ब्राउशर की उक्त निर्धारित कीमत अप्रतिदेय होगी ।

ण. कृपया आवेदन फार्म और ब्राउशर की कीमत को 50.00 लाख रूपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु गुड़गांव (हरियाणा) में देय और परियोजना लागत 50.00 लाख रूपए से कम होने पर संबंधित राज्य कार्यालय में देय रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड के पक्ष में बनवाए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाएं ।

जारी करने वाली बैंक शाखा का नाम	डिमांड ड्राफ्ट संख्या तथा तिथि	राशि (रूपए)
.....	.....	.....

त. परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने वाले परामर्शदाता का नाम तथा पता

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा आवेदन में ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना/तथ्य मेरे/हमारे श्रे-ठ ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और किसी भी आवश्यक होने वाले तथ्य को छिपाया नहीं गया है । इस आवेदन में प्रस्तुत किसी सूचना के असत्य पाए जाने पर मेरे/हमारे आवेदन को बोर्ड को सीधे अस्वीकार किया जा सकता है ।

(लाभग्राही के हस्ताक्षर)
नाम तथा पता :
दूरभा-ा/फैक्स नं.

स्थान :

दिनाक :

संलग्नक -

1. परियोजना भूमि पर अधिकार के अभिलेख की प्रति संलग्न करें ।
2. शपथ-पत्र केवल विहित प्रारूप में ।
3. आवेदन फार्म तथा योजना ब्राउशर की निर्धारित लागत ।
4. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
5. विधिवत भरा तथा हस्ताक्षर किया गया बैंक सावधि ऋण आवेदन फार्म/बैंक सहमति पत्र ।
6. मृदा जाँच रिपोर्ट की प्रति।
7. परियोजना ब्यौरों तथा भूमि की सीमा के ब्यौरे दर्शाने वाला परियोजना भूमि का मानचित्र (फ्री हैन्डस्केच)।
8. सहकारी समिति/भागीदारी फर्म द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, यदि आवेदक दिशा-निर्देश संख्या 1/2008 के पैरा 5(एच) द्वारा कवर होता है ।
9. आवेदक की पहचान का प्रमाण (दिशा-निर्देश संख्या 1/2008 के पैरा 3 को देखें) ।
10. परियोजना के एफपीओ 1955 द्वारा कवर किए जाने वाले "फल उत्पादों" के विनिर्माण हेतु "प्राथमिक प्रसंस्करण" की मद शामिल होने के मामले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।

प्रारूप-II

शपथ-पत्र

(20/- रुपए के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम.....(प्रमोटर/निदेशक का नाम) पुत्र श्री.....(पिता का नाम) निवासी.....(आवास का पता) एतद्द्वारा निम्नानुसार सत्यनि-ठा से पुि-ट तथा घो-णा करता हूं/करते हैं :-

1. यह कि मैं/हम व्यक्तिगत उत्पादक/प्रमोटर/निदेशक/भागीदार/उत्पादकों के समूह/उत्पादों के संघ/स्वामी हैं मैसर्स .....(लाभग्राही का नाम) जिसकी पंजीकरण संख्या .....है और पंजीकृत कार्यालय ....(लाभग्राही का कार्यालय पता) पर है ।

2. मैं एतद्द्वारा आवेदन करता हूं और मैं स्वयं के अधिकार/दिनांक ..... के प्रस्ताव संख्या .....द्वारा प्रबंधन द्वारा आवेदन करने और इस शपथ-पत्र सहित .....नामक कंपनी/भागीदारी फर्म/सहकारी समिति की ओर से सभी अपेक्षित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हूं; और मैं सर्वेक्षण संख्या ....., गांव....., तहसील....., जिला....., राज्य.....(परियोजना की अवस्थिति) हेतु .....(परियोजना द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों) हेतु परियोजना को स्थापित किए जाने से संबंधित तथ्यों से पूर्णतः भिज्ञ हूं और"उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास" की योजना के अंतर्गत आशय पत्र (एलओआई) हेतु रा.बा.बो. को आवेदन कर रहा हूं ।

3. यह कि रा.बा.बो. की योजना के निबंधन तथा शर्तें जिनके अंतर्गत किसी आवेदक द्वारा आवेदन किया जाता है, उन्हें मेरे द्वारा उचित रूप से पढ़ तथा समझ लिया गया है और मैं यह पुि-ट करता हूं कि परियोजना/प्रस्ताव/योजना रा.बा.बो. के निबंधन तथा शर्तों का अनुपालन करती है तथा आवेदन को सही लागू योजना में किया गया है ।

4. यह कि परियोजना/प्रस्ताव योजना द्वारा किए जाने हेतु प्रस्तावित क्रियाकलाप रा.बा.बो. की उक्त योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं और परियोजना की योजना/आधारभूत ढांचे का कोई भाग वर्तमान तथा निकट भवि-य में आवेदन में निर्दि-ट बागवानी क्रियाकलापों के अतिरिक्त किसी अन्य क्रियाकलाप हेतु नहीं बनाया गया है अथवा उपयोग नहीं किया जाना है ।

5. यह कि आशय पत्र (एलओआई) के आवेदन में दी गई सूचना मेरे श्रे-ठ ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है । परियोजना/प्रस्ताव/योजना की लागत, वित्तीय व्यवहार्यता तथा प्रचालन परिणामों के अनुमान को नियमों और इस संबंध में आमतौर पर स्वीकार्य सिद्धांतों तथा मानदण्डों के आधार पर निकाला गया है/गणना की गई है ।

6. आवेदन फार्म में दर्शाई गई के अतिरिक्त किसी आर्थिक सहायता/सहायता अनुदान को इस नई परियोजना तथा उसके किसी घटक हेतु प्रमोटरों/निदेशकों/ भागीदारों/स्वामियों द्वारा केन्द्र सरकार अथवा उसकी किसी एजेंसी, सिवाय रा.बा.बो. के, से प्राप्त नहीं किया गया है/किया जाएगा ।

7. मैं, अथवा सहकारी समिति, भागीदारी फर्म, स्व-सहायता समूह के किसी अन्य प्रमोटर द्वारा रा.बा.बो. से ऐसी कोई आर्थिक सहायता नहीं ली है जिसे इस आवेदन में प्रकट न किया गया हो ।

8. मैं/हम सत्यनि-ठा से यह भी पुन्टि करते हैं कि एलओआई हेतु आवेदन में प्रस्तावित क्रियाकलाप एक पूर्णतः नया क्रियाकलाप है और न कि कोई पहले से विद्यमान क्रियाकलाप अथवा उसका कोई घटक ।

9. मैं/हम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड या प्रबंध निदेशक (रा.बा.बो.) द्वारा प्राधिकृत इसमें किसी प्रतिनिधि को आर्थिक सहायता आरक्षित निधि खाता के साथ–साथ आवधिक ऋण खाता दोनों में पूरे ऋण तथा आर्थिक सहायता आरक्षित निधि लेखा की समाप्ति तक रा.बा.बो. के प्रयोजन के लिए परियोजना की लेखा परीक्षा, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए किए गए सभी लेने–देनों के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं।

इस संबंध में किसी तथ्य को छुपाए जाने के मामले में बोर्ड के पास किसी भी स्तर पर मेरे आवेदन को सीधे निरस्त कर देने का अधिकार होगा ।

शपथकर्ता

शपथकर्ता का सत्यापन

.....(स्थान) पर ..... दिनांक, ...(माह) 20.....(व-ी)को सत्यनि-ठ घो-णा पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शपथ-पत्र की वि-ाय-वस्तु मेरे श्रे-ठ ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और किसी भी भौतिक तथ्य को छुपाया नहीं गया है ।

शपथकर्ता/सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप-III

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट*

* संयुक्त निरीक्षण दल के सभी सदस्यों तथा लाभग्राही द्वारा प्रत्येक पृ-ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की 'उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास' की योजना

1. परियोजना के निरीक्षण की तिथि :.....

2. निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम तथा पदनाम :

   क)
   1. .....
   2. .....
   3. .....

   ख) प्रमोटर का नाम/प्रमोटर के प्रतिनिधि का नाम और प्रमोटर के साथ संबंध :.....

3. बैंक का नाम :.....

4. बोर्ड द्वारा एलओआई जारी करने की तिथि : .....नियंत्रण सं.....

5. परियोजना प्रारंभ करने की तिथि : .....

6. पौधरोपण की तिथि (यदि लागू हो) : .....

7. परियोजना पूर्णता की तिथि : .....

8. सावधि ऋण की स्वीकृति की तिथि तथा राशि : .....

9. सावधि ऋण को निर्मुक्त किए जाने के तिथि-वार ब्यौरे

तिथि	**राशि (लाख रूपए में)**
1.	.....
2.	.....
3.	.....
कुल	.....

10. लाभग्राही/लाभग्राहियों का नाम तथा पता : .....
    (टेलीफोन नं. के साथ, यदि कोई हो) .....
    .....

10क. संघटन : व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/सोसाइटी/ भागीदारी फर्म/प्रा.लि. कम्पनी/पब्लिक लि. कम्पनी

10ख. भागीदारी फर्म/प्रा./पब्लिक लि./ सोसाइटी आदि के मामले में पंजीकरण संख्या : .....

11. परियोजना स्थल का पूरा पता (खसरा/सर्वेक्षण संख्या सहित) : .....

12. भूमि ब्यौरे

1. क्या भूमि प्रमोटर के नाम पर है हां/नहीं
2. क्या भूमि आवेदक के पक्ष में न्यूनतम 10 व-र्षों हेतु पंजीकृत पट्टा भूमि है (पट्टे वाली भूमि के मामले में) हां/नहीं
3. क्या समान भूमि पर किसी परियोजना हेतु रा.बा.बो. से पहले कोई आर्थिक सहायता ली गई है । यदि हां तो कृपया आर्थिक सहायता का व-र्ा तथा राशि दर्शाएं । हां/नहीं
4. क्या प्रमोटर ने राट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) अथवा आर्थिक सहायता की किसी अन्य केन्द्रीय योजना के अंतर्गत समान परियोजना अथवा उसके किसी घटक हेतु आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया है । .....

13. क्रियाकलाप की प्रकृति - हाई-टेक खेती/पीएचएम/विपणन/प्राथमिक प्रसंस्करण/ टिशु कल्चर/नर्सरी आदि
.....
.....

पौध-रोपण/खेती के मामले में (फसल-वार ब्यौरे) -

क्र. सं.	फसल का नाम	किस्म	परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रफल (एकड़)	पौध-रोपण सामग्री का स्रोत	पौधों की संख्या	परियोजना लागत	फसल हेतु कुल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
कुल							

14. वित्त-पो-ाण के साधन

(राशि रूपए में)

विवरण	बैंक मूल्यांकन के अनुसार प्रस्तावित	अंतिम परियोजना के वास्तविक के अनुसार
प्रमोटर का अंश		
बैंक/वित्तीय संस्थान सावधि ऋण		
राज्य सरकार आर्थिक सहायता, यदि कोई हो		
अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता, यदि कोई हो		
कुल परियोजना लागत		

टिप्पणी -

1. परियोजना में निर्धारित आर्थिक सहायता से सावधिक ऋण 5% अधिक होना चाहिए।
2. परियोजना विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगी यदि समान परियोजना हेतु भारत सरकार के किसी संगठन से आर्थिक सहायता ली गई है/ली जानी है ।
3. आवश्यक परियोजना घटकों जैसे कि पीएचएम, सूक्ष्म सिंचाई, फ्यूमीगेशन, गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री आदि के पूर्ण होने के बावजदू वास्तविक लागत के मूल्यांकित लागत से कम होने के मामले में परियोजना लागत का निर्णय मामले के तथ्य के तौर पर रा.बा.बो. द्वारा किया जाएगा ।

15. परियोजना/लाभग्राही की सावधि ऋण खाता संख्या : .....

16. सावधि ऋण की चुकौती अवधि : .....

17. परियोजना में घटक-वार लागत के ब्यौरे

(क) कृषि परियोजना के मामले में

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	घटक	एलओआई के अनुसार प्रस्तावित व्यय	सावधि ऋण स्वीकृति से पूर्व बैंक द्वारा यथा आकलित लागत	निरीक्षण दल/ जेआईटी द्वारा आकलित लागत	अभ्युक्तियां
1.	**खेती व्यय**				
	(1) पौधरोपण सामग्री की लागत (प्रति पौधा लागत के साथ संख्या)				
	(2) खाद तथा उर्वरक				
	(3) कीटनाशक तथा खरपतवार नाशी				
	(4) अन्य, यदि कोई हो, निर्दि-ट करें				
	श्रम की लागत				
2.	**सिंचाई**				
	(1) ट्यूब-वेल/सबमर्सिबल पम्प (संख्या)				
	(2) पाइपलाइन की लागत (सामग्री की लंबाई तथा आकार)				
	(3) अन्य यदि कोई हो, कृपया स्प-ट करें				
3.	**ड्रिप/स्प्रिंकलर की लागत**				
4.	**आधारभूत ढांचा**				
	(1) स्टोर तथा पम्प हाउस (आकार के साथ वर्ग फुट में क्षेत्रफल)				
	(2) श्रमिक कक्ष तथा गोदाम (आकार के साथ वर्ग फुट में क्षेत्रफल)				
	(3) ट्रैक्टर कृ-ि उपकरण				
	(5) अन्य, यदि कोई हो				
5.	**भूमि विकास**				
	(1) मिट्टी बराबर करना				
	(2) खोदना				
	(3) बाड़ लगाना				
	(4) अन्य, यदि कोई हो				
6.	**भूमि,** यदि नई खरीदी गई हो (कृपया वर्ष दर्शाएं)				
	कुल योग				

दिनांक : **(हस्ताक्षर)**

ख. परियोजनाओं के अन्य प्रकार के मामले में

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	घटक	एलओआई के अनुसार प्रस्तावित व्यय	सावधि ऋण स्वीकृति से पूर्व बैंक द्वारा यथा आंकलित लागत	निरीक्षण दल/ जेआईटी द्वारा आंकलित लागत	टिप्पणी

टिप्पणी :

(1) भूमि विकास लागत - वास्तविक अथवा पात्र परियोजना लागत के 15% तक (भूमि तथा भूमि विकास की लागत के अतिरिक्त) जो भी कम हो, प्रति एकड़ अधिकतम 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के अधीन ।

(2) भूमि लागत - वास्तविक अथवा पात्र परियोजना लागत (ईपीसी) के 10% तक (भूमि तथा भूमि विकास की लागत के अतिरिक्त) जो भी कम हो ।

(3) क) पावर टिलर/ट्रैक्टर हेतु अधिकतम अनुमेय सीमा (अधिकतम 25 एचपी तक) ट्रोली तथा एक्सेसरीज के साथ प्रति परियोजना 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए । वास्तविक लागत पर मान्य ।

(ख) एक्सेसरीज के साथ पावर टिलर 3 एकड़ से अधिक वाले क्षेत्र वाली परियोजना हेतु अनुमेय है और इसकी अधिकतम लागत सीमा 1.50 लाख रुपए अथवा वास्तविक आधार पर है ।

(ग) 25 एचपी तक एक्सेसरीज के साथ ट्रैक्टर 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली परियोजना के लिए 4.00 लाख रुपए की अधिकतम लागत सीमा के साथ अथवा वास्तविक आधार पर अनुमेय है । तथापि, भूमि के बड़े टुकड़े पर परियोजना हेतु अधिक एचपी वाले ट्रैक्टर की अनुमति प्रति एकड़ लागत सीमा की साधारण परियोजना लागत मानदण्ड सीमा के भीतर दी जा सकती है ।

(4) निरीक्षण दल/जेआईटी द्वारा यथा आंकलित मान्य लागत परियोजना हेतु सावधि ऋण स्वीकृति करते समय बैंक द्वारा मूल्यांकित लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए । विशि-ट मामलो में जहां आंकलित लागत, मूल्यांकित लागत से अधिक है वहाँ ब्यौरों को टिप्पणी वाले कालम में दिया जाना चाहिए ।

18. परियोजना में हाई-टेक घटक (कृपया घटक/मदों को निर्दि-ट करें) जैसे कि टिशु कल्चर पौधरोपण सामग्री, उच्च घनत्व, सूक्ष्म सिंचाई/सूक्ष्म पा-ाक, आर्गेनिक खेती, फार्म मशीनीकरण आदि ।

.....

.....

.....

19. विस्तार परियोजना के मामले में विद्यमान परियोजना/योजना का संक्षिप्त विवरण, यदि पहले से ही परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है तो ।

.....

.....

.....

20. परियोजना की वर्तमान वाणिज्यिक स्थिति, विपणन समझौते का स्प-ट रूप से उल्लेख करें, यदि कोई है ।

.....

.....

.....

21. अन्य संगत सूचना -

बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता निर्मुक्त किए जाने के पिछले ब्यौरे, यदि कोई हो

.....

.....

.....

22. निरीक्षण अधिकारी की सिफारिशें

(आकलित लागत तथा पात्र आर्थिक सहायता की राशि को निर्दि-ट किया जाए) शब्दों में

.....

.....

.....

आवेदनक का नाम एवं हस्ताक्षर	निरीक्षण अधिकारी (रा.बा.बो.) का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर सहित)	निरीक्षण अधिकारी (बैंक) का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर सहित)	निरीक्षण अधिकारी (राज्य कृषि/बागवानी विभाग) का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्रारूप-III क

पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की योजना "उत्पादन एवं कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास"

1.	परियोजना कोड	:	.....
2.	आवेदन की तिथि	:	.....
3.	परियोजना के पूर्व निरीक्षण की तिथि	:	.....
4.	निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं पदनाम	:	.....
5.	लाभार्थी / लाभार्थियों का नाम एवं पता (दूरभाष सहित, अगर कोई हो)	:	.....
6.	गठन	:	व्यक्तिगत / व्यक्तियों का समूह / समिति / भागीदारिता फर्म / प्राईवेट लि. कम्पनी / पब्लिक लि. कम्पनी
7.	समिति / पब्लिक / प्राइवेट लि. / साझेदारी फर्म के मामले में पंजीयक संख्या	:	.....
8.	परियोजना स्थान का पूरा पता (खसरा / सर्वे संख्या सहित)	:	.....

9. निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणीः

   (i) परियोजना स्थान की उपयुक्तता

   (ii) मिट्टी एवं जल रिपोर्ट के आधार पर अनुसंशायें

   (iii) सिंचाई के साधन

   (iv) हाई टेक संघटक

   (v) रा.बा.बो. परिव्यय के नियम / शर्तें अर्थात परियोजना की लागत

   (vi) मूल नक्शा (कृपया प्रमाणित संलग्न करें)

   (vii) लाभार्थी का दक्षता स्तर एवं उसकी प्रशिक्षण आवश्यकता

10. परियोजना का वर्तमान भौतिक स्तर (जिसमें प्रत्येक गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित महीने का उल्लेख हो)। यदि कुछ संघटक परिपूर्ण पाये जाते हैं, तो वह प्रारम्भिक एवं परिपूर्णता के माह के साथ रिपोर्ट करें। पुराने संघटक जैसे बोरवैल / ओपन वैल / सिविल अवसंरचना आदि।

    (i) भूमि विकास

(ii) सिंचाई सुविधाओं का सृजन

(iii) ड्रिप/स्प्रिन्किलर प्रणाली की स्थापना (अगर ड्रिप के लिए अन्य कोई सहायता स्रोत हों कृपया उल्लेख करें)

(iv) प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित अन्य अवसंरचना का स्थापना/निर्माण

(v) फसलों का रोपण

11. रा.बा.बो. से पूर्व में प्राप्त की गयी अनुदान का विवरण (उद्देश्य वर्ष एवं राशि का वर्तमान परियोजना स्तर के साथ उल्लेख करें)

12. क्या सावधि ऋण के लिए प्रमोटर ने बैंक का रूख किया है, अगर हाँ तो बैंक का नाम एवं आवेदन की तिथि का वर्णन करें)

13. यदि बैंक/संघटक/कार्यान्वयन/फसल/फसल क्षेत्र आदि में कोई परिवर्तन हो तो प्रमोटर द्वारा उल्लेख किया जायें।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा कोई विशेष तकनीकी सलाह/टिप्पणियां।

15. पूर्व–निरीक्षण में यदि देरी हुई है तो कृपया कारणों का उल्लेख करें।

16. निरीक्षण अधिकारी की संस्तुतियां

लाभार्थी या उसके प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर	निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर	साक्षी, यदि कोई हो, का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक : .....

प्रारूप-IV

शपथ-पत्र

(20/- रुपए के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम.....(प्रमोटर का नाम) पुत्र श्री.....(पिता का नाम) निवासी.....(आवास का पता) एतद्द्वारा निम्नानुसार सत्यनि-ठा से पुन्टि तथा घो-णा करते हैं -

1. यह कि मैं/हम.....(प्रमोटर का नाम) ने सर्वेक्षण संख्या ....., गांव....., तहसील....., जिला....., राज्य.....(परियोजना की अवस्थिति) पर ..... की परियोजना को एलओआई जारी किए जाने हेतु रा.बा.बो. को मेरे द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार स्थापित किया है ।

2. यह कि रा.बा.बो. की योजना के निबंधन तथा शर्तें जिनके अंतर्गत मैंने/हमने एलओआई को जारी किए जाने हेतु आवेदन किया था, उनका मेरे/हमारे द्वारा पूर्ण अनुपालन किया गया है और मैं/हम इस संबंध में नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

3. यह कि ली गई परियोजना/प्रस्ताव/योजनाएं रा.बा.बो. की योजना सं.1 (उत्पादन और कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास) के अंतर्गत कवर होती है ।

4. यह कि वित्तीय सहायता हेतु आवेदन और बाद में सभी स्तरों पर, जिसमें परियोजना का निरीक्षण शामिल है, में दी गई सूचना मेरे श्रे-ठ ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है । इसके अतिरिक्त, परियोजना के घटकों और समग्र रूप से परियोजना की लागत के आंकलन के लिए सभी वास्तविक दस्तावेजों/वाउचरों को प्रस्तुत किया है।

5. इस परियोजना हेतु प्रमोटरों/निदेशकों/भागीदारों/स्वामियों द्वारा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन, सिवाय रा.बा.बो. के, से किसी आर्थिक सहायता को प्राप्त नहीं किया गया है/प्राप्त नहीं किया जाना है ।

6. वित्तीय सहायता को केवल योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले विशि-ट क्रियाकलापों हेतु मुहैया करवाया जाता है और परियोजना के किसी भाग का उपयोग योजना अथवा रा.बा.बो. की अन्य किसी योजना के अंतर्गत बागवानी क्रियाकलापो के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों को करने के लिए नहीं किया जाएगा ।

7. इस शर्त का कोई उल्लंघन, झूठी अथवा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए दावे अथवा सावधि ऋण चुकौती अवधि के दौरान परियोजना के गैर-नि-पादक परिसंपत्ति बन जाने के मामले में यह मुझे बैक–एन्डिड आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपात्र बना देगा और उक्त को बैंक द्वारा रा.बा.बो. को वापिस किए जाने के लिए बाध्य बना देगा ।

8. इस संबंध में किसी तथ्य को छुपाए जाने के मामले में बोर्ड के पास इस परियोजना हेतु उनके द्वारा निर्मुक्त की गई आर्थिक सहायता को वसूल करने का अधिकार होगा; इसके अतिरिक्त, देश के कानून के प्रावधानों के अंतर्गत मेरे विरूद्ध सिविल तथा आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है ।

शपथकर्ता

शपथकर्ता का सत्यापन

.....(स्थान) पर ..... दिनांक, ...(माह) 20.....(व-र्) को सत्यनि-ठ घो-णा पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शपथ-पत्र की वि-ाय-वस्तु मेरे श्रे-ठ ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और किसी भी सामग्री को छुपाया नहीं गया है ।

शपथकर्ता/सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप-V

'उत्पादन तथा कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास' योजना के अंतर्गत प्रमोटर द्वारा निधियों के निवेश को सत्यापित करने के लिए सनदी लेखाकार से प्रमाण-पत्र का मसौदा

प्रबंध निदेशक
राट्रीय बागवानी बोर्ड
गुड़गांव

हमने ..... (परियोजना क्रियाकलाप) हेतु ..... (परियोजना का पता) पर स्थित उसके कार्यालय में मैसर्स/श्री/श्रीमती .....(लाभग्राही का नाम) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों तथा अन्य संगत अभिलेखों की जांच है । इन लेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन/फर्म के भागीदार/प्रतिष्ठान/उत्पादक/एनजीओ के स्वामी का उत्तरदायित्व है और हमारा उत्तरदायित्व इन अभिलेखों की सत्यता तथा उचित होने की जांच करना और अचल परिसंपत्तियों/स्थापना के अधिग्रहण/निर्माण हेतु किए गए व्यय तथा अन्य व्यय का प्रमाणीकरण करना है ।

हमने अपना कार्य भारत में आमतौर पर स्वीकार्य जांच और लेखांकन मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या ये लेखे भौतिक गलत बयानी से मुक्त है, के लिए प्रमाणीकरण की योजना तथा नि-पादन करें । एक प्रमाणीकरण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की एक परीक्षण आधार पर जाँच शामिल होती है । एक लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखांकन सिद्धांतों और उत्पादक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है । हम यह मानते हैं कि यह जांच हमारे मत हेतु एक तर्क-संगत आधार प्रदान करती है ।

हम पुन्टि करते हैं कि -

(क) हमने वे सभी सूचनाएँ व स्प-टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी श्रे-ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक थे ।

(ख) हमारे मतानुसार कंपनी/फर्म/एकल स्वामित्व वाला प्रतिष्ठान/उत्पादक/एनजीओ द्वारा .....वित्तीय अवधि हेतु विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों को अनुरक्षित किया गया है और ये लेखा बहियां कंपनी/फर्म/एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान/उत्पादक/एनजीओ द्वारा किए गए कारोबार का एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

(ग) हमारे मतानुसार कंपनी/फर्म/एकल स्वामित्व वाला प्रतिष्ठान/उत्पादक/एनजीओ द्वारा अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण हेतु .....रुपए (.....रुपए मात्र) की राशि का पूंजीगत व्यय किया गया है और उक्त को उचित रूप से लेखाबहियों में दर्शाया गया है । परियोजना के प्रमुख घटकों और समूची परियोजना का किया गया मूल्यांकन तालिका रूप में निम्नानुसार है -

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	घटक	एलओआई के अनुसार प्रस्तावित व्यय	सावधि ऋण स्वीकृति से पूर्व बैंक द्वारा यथा आकलित लागत	निरीक्षण दल/ जेआईटी द्वारा आकलित लागत	अभ्युक्तियां
1.	**खेती व्यय** (1) पौधरोपण सामग्री की लागत (प्रति पौधा लागत के साथ संख्या) (2) खाद तथा उर्वरक (3) कीटनाशक तथा खरपतवार नाशी (4) अन्य, यदि कोई हो, निर्दि-ट करें				
	श्रम की लागत				
2.	**सिंचाई** (1) ट्यूब-वेल/सबमर्सिबल पम्प (संख्या) (2) पाइपलाइन की लागत (सामग्री की लंबाई तथा आकार) (3) अन्य यदि कोई हो, कृपया स्प-ट करें				
3.	**ड्रिप/स्प्रिंकलर की लागत**				
4.	**आधारभूत ढांचा** (1) स्टोर तथा पम्प हाउस (आकार के साथ वर्ग फुट में क्षेत्रफल) (2) श्रमिक कक्ष तथा गोदाम (आकार के साथ वर्ग फुट में क्षेत्रफल) (3) ट्रैक्टर कृ-ि उपकरण (5) अन्य, यदि कोई हो				
5.	**भूमि विकास** (1) मिट्टी बराबर करना (2) खोदना (3) बाड़ लगाना (4) अन्य, यदि कोई हो				
6.	**भूमि,** यदि नई खरीदी गई हो (कृपया वर्ष दर्शाएं)				
	कुल योग				

दिनांक : **(हस्ताक्षर)**

ख. परियोजनाओं के अन्य प्रकार के मामले में

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	घटक	एलओआई के अनुसार प्रस्तावित व्यय	ऋण स्वीकृति से पूर्व बैंक द्वारा यथा आकलित लागत	निरीक्षण दल/ जेआईटी द्वारा आकलित लागत	अभ्युक्तियां
	कुल				

हम समूची परियोजना की लागत के रूप में ..... रूपए की सिफारिश करते है ।

कुल.....

कृते (सनदी लेखाकार फर्म का नाम)
सनदी लेखाकार

प्रारूप-VI

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड
प्लाट सं. 85, सैक्टर-18,
गुड़गांव - 122015 (हरियाणा)

प्रिय महोदय,

मैं, एतद्द्वारा निधियों के इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा नीचे ब्यौरे में दी गई परियोजना हेतु बैक–एन्डिड आर्थिक सहायता को निर्मुक्त करने का अनुरोध करता हूं । मैं इसे आर्थिक सहायता निर्मुक्त किए जाने के निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत ही बैक–एन्डिड आर्थिक सहायता के रूप में उपयोग करने का वचन देता हूं ।

आर्थिक सहायता आरक्षित निधि को आर्थिक सहायता राशि प्रेन्ित करने हेतु ब्यौरे	
क.	**बैंक/वित्तीय संस्थान के ब्यौरे**
क.1	बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम .....शाखा .....
क.2	पता
क.3	संपर्क नं. : फोन : ..... मोबाइल : ..... ई-मेल : .....
क.4	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड .....
क.5	क्या आरटीजीएस समर्थित है अथवा नहीं.....
ख.	**परियोजना के लाभग्राही का विवरण**
ख.1	नाम.....
ख.2	पता .....
ख.3	लाभग्राही का संपर्क नं. -
ख.4	परियोजना की अवस्थिति -
ख.5	आशय पत्र (एलओआई) संख्या -
ग.	**सावधि ऋण खाते तथा आर्थिक सहायता आरक्षित निधि के ब्यौरे**
ग.1	परियोजना हेतु सावधि ऋण खाता संख्या -
ग.2	तदनुरूपी आर्थिक सहायता आरक्षित निधि खाता संख्या -
ग.3	क्या आर्थिक सहायता आरक्षित निधि खाता लाभग्राहियों के सावधि ऋण खाते के लिए विशि-ट है अथवा सामान्य है
ग.4	अभ्युक्तियां -

.....
(शाखा प्रबंधक का नाम)

शाखा मुहर

दिनांक :

.....
(शाखा प्रबंधक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

प्रारूप-VII

वित्तीय संस्थान/बैंक का नाम तथा पूरा पता (पत्र-शी-र्ा पर)

.....

.....

सेवा में

राज्य प्रभारी
रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड
राज्य.....

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी तथा उप-निदेशक
रा-ट्रीय बागवानी बोर्ड
प्लाट सं. 85, सैक्टर-18,
गुड़गांव - 122015

वि-य : ..... की परियोजना के संबंध में आर्थिक सहायता दावा एलओआई सं.....

महोदय,

.....गांव .....जिला .....राज्य और एलओआई संख्या ..... की .....परियोजना के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज/कागजात संलग्न हैं । एतद्द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि रा.बा.बो. उक्त उल्लिखित परियोजना के संबंध में संस्तुत बैक–एन्डिड आर्थिक सहायता को निर्मुक्त करे। निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है :-

क्रम सं.	विवरण	हां/नहीं
1.	परियोजना के वित्तीय घटक के साधन को दर्शाते हुए सावधिक ऋण की स्वीकृति हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान से विस्तृत वित्तीय मूल्यांकन की प्रति	
2.	सावधि ऋण के स्वीकृति पत्र की प्रति	
3.	सावधि ऋण की तिथि–वार निर्मुक्ति के ब्यौरे	
4.	सावधि ऋण खाते का सार	
5.	परियोजना भूमि पर अधिकार के अभिलेख की प्रति/खोज रिपोर्ट	
6.	स्टाम्प पेपर पर प्रमोटर से शपथ-पत्र (रा.बा.बो. द्वारा विहित किए अनुसार)	
7.	परीक्षण किए गए वाउचरों का विवरण/सनदी लेखाकार के प्रमाण-पत्र की प्रति, जिनका उपयोग घटक-वार लागत तथा परियोजना लागत का आंकलन करने के लिए किया गया था।	
8.	ट्रैक्टर आदि के मामले में आरसी की प्रति	
9.	निरीक्षण के समय लिए गए परियोजना के चित्र	
10.	बैंक द्वारा आरटीजीएस द्वारा आर्थिक सहायता की निर्मुक्ति के लिए प्राधिकृत करना (आरटीजीएस प्रे-ाण चालान), यदि ऐसी वरीयता दी जाती है।	

यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना से संबंधित उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति बैंक/वित्तीय संस्थान में रखी गई है जिसे बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी को यादृच्छिक प्रबोधन के समय प्रस्तुत किया जा सकता है ।

परियोजना में सावधि ऋण को एक अथवा कुछ घटकों हेतु स्वीकृत नहीं किया गया है बल्कि मूल्यांकन के अनुसार सम्पूर्ण समेकित परियोजना हेतु । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निरीक्षण रिपोर्ट में विचारित तथा संस्तुत क्रियाकलाप एवं घटक नए हैं और उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किए अनुसार पूरा किया गया है । आर्थिक सहायता पर विचार किए जाने हेतु किसी पुराने पौधरोपण अथवा घटक की सिफारिश नहीं की गई है । परियोजना मूल परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण है और घटकों को एक ऐसे तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया है जोकि परियोजना की अर्थक्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करें ।

निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत सूचना मेरे श्रे-ठ ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया नहीं गया है ।

(निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम - .....

बैंक का नाम - .....

पता - .....

फोन/फैक्स/मोबाइल नं. - .....

स्थान - .....

दिनांक - .....

प्रारूप-VIII

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व में व्यय की गयी आर्थिक सहायता राशि रु. ..... (रुपये..... मात्र) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से चैक/ट्रान्सेकसन नं. ..... द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री ..... के सावधि ऋण खाते में (परियोजना के स्थान का पूरा पता सहित)..... ..... उनके परियोजना के लिए ..... (क्षेत्रीय गतिविधियाँ/क्षमता आदि के लिए प्राप्त की गयी थी) को सब्सिडी रिजर्व फंड में रखा गया था तथा सावधि ऋण खाते में समायोजित किया है दिनांक ..... बैंक लोन अंश के (आर्थिक सहायता के अतिरिक्त) परिसमापन के बाद तथा उक्त उद्देश्य के अर्न्तगत समुचित उपयोग किया गया है जो "उत्पादन एवं कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के तहत स्वीकृत एवं प्रदान किया गया था।

बैंक अधिकारी/जारी करने वाले प्राधिकारी के

हस्ताक्षर मोहर सहित

दिनांक :

परिशिष्ट–1
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालयों की सूची

गुजरात, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
प्लॉट नं. 60, तीसरी मंजिल, कृष्णा अपार्टमैंट
आजाद सोसायटी, अम्बावाड़ी
अहमदाबाद–380 015
दूरभाष / फैक्स : 079-26766416, 26766413
ई–मेल : nhbahd@yahoo.co.in

कर्नाटक
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
नं. 14 / 43, द्वितीय तल, 1 एवं 2 स्टेज
इडस्ट्रीयल सबरब, तुमकुर रोड़, यशवन्तपुर,
बेंगलुरु–560 022
दूरभाष / फैक्स : 080-23371935, 23374149
ई–मेल : nhbblr@yahoo.com

मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
32, पुरजोर हाऊस, प्रथम तल,
इंदिरा प्रेस कॉम्पलेक्स
एम.पी. नगर, जोन–1ए, भोपाल– 462011
दूरभाष / फैक्स : 0755 - 2761741
ई–मेल : bplnhb@rediffmail.com

दिल्ली
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
19-22, (ग्रेराज) कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
दूरभाष / फैक्स : 011-23097015, 23073019

हरियाणा तथा पंजाब
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
एस.सी.ओ. 85, द्वितीय तल, सेक्टर–40सी
चंडीगढ़–160 047
दूरभाष / फैक्स : 0172-2625249, 2625269
ई–मेल : nhb_chd@yahoo.co.in

सिक्किम
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
चेंग चूप बिल्डिंग, नजदीक नयूमा टेलीवीजन, तिब्बत रोड़
गंगटोक-737 101
दूरभाष / फैक्स : 03592-208453,220975
ई–मेल : nhbgangtok@yahoo.com

आन्ध्र प्रदेश
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
202, द्वितीय तल,
शान्ति निकेतन अर्पाटमेंट
चिराग अली लेन, एबीआईडीएस,
हैदराबाद-500 001
दूरभाष / फैक्स : 040-23201140,2320806
ई–मेल : nhb.govhyd@gmail.com

राजस्थान
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
मार्फत एपीएमसी, सब्जी मण्डी, लाल कोठी, टोंक रोड़
दूरभाष / फैक्स : 0141-2742733, 2740767
ई–मेल : nhbjpr@yahoo.com

तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्षद्वीप
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
माड्यूल नं. 37, द्वितीय तल
सिडको रेडिमेड गारमेंट कॉम्लेक्स
इडस्ट्रीयल इस्टेट गुंदी, चेन्नई-600 032
दूरभाष / फैक्स : 044-22501151/22500965
ई–मेल : nhbtn@dataone.in

बिहार
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
वर्मा सेन्टर, पंचम तल
कमरा नं. 501, 502, बोरिंग केनाल रोड़
पटना-800 001
दूरभाष / फैक्स : 0612-2541218,2541128
ई–मेल : nhb_patna@sify.com

उत्तराखण्ड
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
179, फेस–2, बंसत विहार, देहरादून - 248001
दूरभाष / फैक्स : 0135-2761922, 2762767
ई–मेल : nhb_dehradun@yahoo.com

हिमाचल प्रदेश
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
एचपीएमसी, द्वितीय तल, निगम विहार,
शिमला–171 002
दूरभाष / फैक्स : 0177-2622908/2623801
ई–मेल : nhbhp2004@yahoo.com

उड़ीसा
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
एन-1/303, लोटरी प्लॉट, नयापल्ली,
भुवनेश्वर-751 015
दूरभाष / फैक्स : 0674-2558134
ई–मेल : nhbbbsr@gmail.com

केरल
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
टीसी 41/1989, मीना भवन मनकुड,
त्रिवेन्द्रम-695 009
दूरभाष / फैक्स : 0471-2337578-79

जम्मू एवं कश्मीर
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
हॉल नं. 307, ए–2, तृतीय तल,
साउथ ब्लॉक
बहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्पलेक्स
जम्मू–180 004
दूरभाष / फैक्स : 0191-2474349
ई–मेल : nhbjammu@rediffmail.com

महाराष्ट्र – पुणे क्षेत्र
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
एमसीएईआर बिल्डिंग 132 / बी, भामुद्रा,
भोंसले नगर
पुणे-411 007
दूरभाष / फैक्स : 020-25530582-83
ई–मेल : nhbpune@yahoo.com

उत्तर–पूर्व राज्य (सिक्किम को छोड़कर)
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
छिब्बर हाऊस, चतुर्थ तल दिसपुर पो.ओ., गुवाहाटी–781 005
दूरभाष / फैक्स : 0361-2343719,2340695
ई–मेल : nhbghy@gmail.com

झारखण्ड
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
लक्ष्मी निवास, कृषि भवन
कांके रोड़,
रॉची-834 008
दूरभाष / फैक्स : 0651-2230132,2233832

उत्तर प्रदेश – लखनऊ क्षेत्र
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
मार्फत निदेशक बागवानी
2, सुप्रू मार्ग, उद्यान भवन
लखनऊ-226 001
दूरभाष / फैक्स : 0522-2623374/2202420
ई–मेल : harisingh222@yahoo.co.in

पश्चिम बंगाल
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
मयूख भवन, द्वितीय तल,
साल्ट लेक, सेक्टर–2, कोलकाता–91
दूरभाष / फैक्स : 033-23211259, 23377182
ई–मेल : akdas@nhb.gov.in

महाराष्ट्र–नागपुर क्षेत्र
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
तृतीय तल, एमईसीएल काम्पलेक्स (समीप टीवी टॉवर)
सेमिनरी हिल, नागपुर-440 006
दूरभाष / फैक्स : 0712-2513030,2513110
ई–मेल : nhbnagpur@rediffmail.com

नासिक–महाराष्ट्र नासिक क्षेत्र
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
एस.सी. पंवार मार्किट यार्ड,
कमर्शियल कॉम्पलेक्स सं. 1,
पेथ रोड, पंचवटी,
नासिक–422003
दूरभाष / फैक्स : 0253-2534558, 2533715
ई–मेल : umedsingh@nhb.gov.in

छत्तीसगढ़
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
कतीला भवन, सिविल लाइन
रायपुर–492001 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष / फैक्स : 0771-2423992
ई–मेल : nhbraipur@yahoo.co.in

उत्तर प्रदेश – बड़ौत क्षेत्र
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
मार्फत क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट,
दिल्ली–सहारनपुर रोड़, बड़ौत (बागपत)
दूरभाष / फैक्स : 01234-251723
ई–मेल : nhbbaraut_2007@yahoo.com

लागत प्रतिमानक

क्र.सं.	घटक	प्रतिमानक / निर्णय
	कार्यान्वयन के लिए आखिरी तारीख	• संशोधित लागत प्रतिमानक केवल उन परियोजनाओं पर लागू होगें जहां आवधिक ऋण 01.04.2008 को या उसके बाद स्वीकृत किया गया हो। अन्य सभी मामले पुराने लागत प्रतिमानक के अनुसार व्यवहृत होंगे।
1.	भूमि	• वास्तविक या पात्र परियोजना लागत (ईपीसी) का 10 प्रतिशत तक (भूमि की लागत एवं भूमि विकास को छोड़कर, जो भी कम हो। • स्वीकार्य केवल तभी, यदि नई खरीदी गई हो लेकिन आशय पत्र के आवेदन करने की तारीख से एक वर्ष पहले नहीं।
2.	भूमि विकास	• वास्तविक या पात्र परियोजना लागत (ईपीसी) के 15 प्रतिशत तक (भूमि की लागत एवं भूमि विकास को छोड़कर, जो भी कम हो जो अधिकतम 50,000 / – रु. प्रति एकड़ के अध्यधीन है।
3.	खेती व्यय	• प्रति एकड़ निर्धारित सीमा के भीतर पौध–रोपण सामग्री की लागत। आयातित पौध–रोपण सामग्री (आयात / रायल्टी भुगतान के प्रमाण सहित) तथा सरकार / आईसीएआर / एसएयू / रा.बा.बो द्वारा प्रत्यायित नर्सरियों से प्राप्ति पौध रोपण सामग्रियों के लिए गुणावगुण पर उच्तर लागत के लिए अनुमति दी जा सकती है। • निवेश की कुल लागत प्रति एकड़ निर्धारित सीमा के भीतर।
4.	मिश्रित फसल / अंतर फसल	• वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित फसलें जो रा.बा.बो. की योजना के अंतर्गत पूर्ण फसल के रूप में अन्यथा पात्र हैं के लिए केवल पहले वर्ष के लिए पौध–रोपण सामग्री तथा मुख्य फसल की निवेश लागत वास्तविक या अधिकतम व्यय तक। • पौध रोपण सामग्री तथा निवेश पौध रोपण सामग्री के वास्तविक लागत तथा मुख्य फसल के निवेश लागत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। • मिश्रित फसल की लागत मुख्य फसल की समग्र लागत की अधिकतम सीमा के भीतर।
5.	सिंचाई अवसंरचना	• सिंचाई अवसंरचना जैसे नलकूप, पाइपलाईन, जल संचयन संरचना, वाटर टेंक आदि बैंक रिपोर्ट की वित्तीय व्यवाहर्यता के अनुसार 50,000 / – रु. प्रति एकड़ तक। • ऋण घटक सहित केवल नई सृजित सिंचाई अवसंरचना के लिए समग्र लागत की अधिकतम सीमा के भीतर केवल स्वीकार्य होगी। • समग्र लागत की अधिकतम सीमा के अंतर्गत नलकूप की प्रति सिंचाई लागत स्वीकार्य होगी।

क्र.सं.	घटक	मानक / निर्णय
		■ 500 फीट तथा 40 एचपी मोटर तक – वास्तविक का कम से कम या 2 लाख रु. प्रति इकाई। ■ 500 फीट या 40 एचपी मोटर से अधिक – वास्तविक का कम से कम या 5000 / – रु. प्रति एचपी मोटर की दर से जो अधिकतम 4 लाख प्रति इकाई के अध्यधीन है। ● संरक्षित खेती के मामले में : सिंचाई अवसंरचना जैसे नलकूप, पाइपलाइन तथा स्टोरेज वाटर टैंक आदि कम से कम वास्तविक लागत या 3 लाख रु. प्रति परियोजना तक स्वीकार्य होंगी।
6.	ड्रिप / सिंचाई	● फसल–वार लागत मानक परिशिष्ट–I में दी गई है।
7.	कृषि औजार / उपकरण	● पावर ट्रिलर / ट्रैक्टर (अधिकतम 25 एचपी तक) ट्राली एवं ऐसेसरीज़ सहित के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा 4 लाख रु. प्रति परियोजना से अधिक नहीं। वास्तविक लागत आधार पर लागत की अधिकतम सीमा 4 लाख रु तक स्वीकार्य। ● ऐसेसरीज़ सहित पावर ट्रिलर के लिए 1.50 लाख रु. या वास्तविक लागत की अधिकतम लागत सीमा के भीतर परियोजना में 3 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए अनुमति। ● ऐसेसरी सहित ट्रैक्टर 25 एचपी तक के लिए 4.00 लाख रु. या वास्तविक लागत की अधिकतम लागत सीमा सहित परियोजना में 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के अनुमति। ● अन्य कृषि औजार तथा लागत मानक (फसल–वार) परिशिष्ट–I में दिए गए हैं।
8.	सिविल अवसंरचना	● समरूप मानक लागत प्रति एकड़ 20 हजार रुपए की दर से वास्तविक लागत जो भी कम हो। ● अधिकतम स्वीकार्य सीमा 3 लाख रुपए (श्रमिक क्वार्टर / स्टोर रूम के लिए एक लाख रुपए तक और जी / पी हाउस के लिए 2 लाख रु. तक है। ● **संरक्षित खेती** : जी / पी रूप की लागत 1.50 लाख रु. प्रति इकाई आधार की दर से या 250 / – रु. प्रति वर्ग फीट की दर से वास्तविक क्षेत्र आधार पर स्वीकार्य होंगे।
9.	पोली हाऊस / छायादार जाली	● **कम लागत / लकड़ी** : ड्रिप – सिंचाई / फर्टिगेशन इकाई / फागिंग, मिस्ट प्रणाली 100 / – रु. प्रति वर्ग की दर से लागत सहित 500 / – रु. वर्ग मीटर। ■ (पौली हाउस के लिए 400 / – रु. प्रति वर्ग मीटर तथा माइक्रो के लिए 100 / – रु. प्रति मीटर)।

क्र.सं.	घटक	मानक / निर्णय
		● **उच्च लागत** : ड्रिप सिंचाई / फर्टिगेशन इकाई / फागिंग, मिस्ट प्रणाली 100 / – रु. प्रति वर्ग की दर से लागत सहित 750 / – रु. प्रति वर्ग मीटर)। ■ (पौली हाउस के लिए 650 / – रु. प्रति वर्ग मीटर तथा सूक्ष्म सिंचाई यंत्र के लिए 100 / – रु. प्रति मीटर)। ● **छायादार जाली** : ड्रिप / स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत सहित 250 / – रु. प्रति वर्ग मीटर। ■ (छायादार हाउस के लिए 200 / – रु. प्रति वर्ग मीटर तथा सूक्ष्म सिंचाई यंत्र के लिए 50 / – रु. प्रति वर्ग मीटर)। ● मीडिया पौध रोपण, लाल मृदा, अच्छा भूसा, कोको पीट, फ्यूमीगेशन की लागत सहित पुष्प संस्कृति (फ्लोरीकल्चर) के बेड की तैयारी 100 / – रु. प्रति वर्ग मीटर तक जहां टॉप मृदा को हटाना तथा प्रतिस्थापन शामिल है या कृषि मीडिया / गमलें / कंक्रीट बेड आदि में की जाती है, स्वीकार्य होंगे। ● तथापि, बेड तैयार करने पर लागत पूर्ण औचित्यतता पर निरीक्षण दल की विशिष्ट अनुंशसाओं पर स्वीकार्य होंगें 20 लाख रु. तक के मामले में सत्यापन सहायक निदेशक द्वारा किया जाएगा।
10.	कटाई पश्चात केन्द्र / शीत कक्ष सहित	● प्रचलित प्रतिमानकों के विस्तारित रूप में।
11.	मधुमक्खी पालन	● समग्र लागत की अधिकतम सीमा सहित एकीकृत पौध रोपण परियोजना के भाग के रूप में माना जाएगा। ● वर्तमान बगीचा मालिक / पट्टेदार (कम से कम 5 वर्ष के पंजीकृत पट्टे पर) एक अलग घटक के रूप में मधुमक्खी पालन के लिए आर्थिक सहायता का भी लाभ उठा सकेंगे।
12.	अन्य	● 25 लाख रुपए की समग्र आर्थिक सहायता की सीमा की योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के अनुसार एकीकृत परियोजना के अलग घटक के रूप में अंगूर, केला गुच्छे तथा प्लास्टिक क्रेटों के लिए छायादार जाली पर रा.बा.बो. के वर्तमान लाभार्थी एकमुश्त साख आधारित आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
13.	फसल–वार / घटक–वार लागत की अधिकतम सीमा	● परिशिष्ट–I तथा परिशिष्ट–II में दी गई हैं।

	विभिन्न फसलों की घटक–वार लागत सीमा एवं समग्र लागत सीमा						लागत रुपए में प्रति एकड़												
क्र. सं.	फसल	योजना	रोपण सामग्री				निवेश लागत	श्रमिक	कुल निवेश	ड्रिप सिंचाई	सिंचाई अव–संरचना (ट्यूवेल, पाइप लाइन, वाटर टैंक आदि सहित)	कृषि यंत्र	सहायक प्रणाली	श्रमिक कक्ष/स्टोर कक्ष	ग्रेडिंग पैकिंग केन्द्र	कुल (8+9+10+11+12+13+14)	भूमि (वास्तविक या ईपीसी का 10%)	भूमि विकास (15% ईपीसी का या वास्त–विक)	समग्र लागत सीमा
		घनत्व	अंतरालन (मीटर)	संख्या	यूनिट लागत	कुल लागत													
1	2	3	4अ	4ब	4स	4(ब+स)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आम	सामान्य	10 x 10	40	40	1600	5000	4800	11400	25000	50000	10000	0	10000	10000	116400	10%	15%	150000
		मध्यम	8 x 8	63	40	2520	7000	9600	19120	25000	50000	10000	0	10000	10000	124120	10%	15%	150000
		उच्च	2.5 x 2.5	640	40	25600	12000	14400	52000	25000	50000	5000	0	10000	10000	152000	10%	15%	150000
2	पपीता	सामान्य	1.8 x 1.8	1300	12	15600	7100	4900	27600	25000	50000	5000	0	10000	10000	127600	10%	15%	125000
		उच्च	1.2 x 1.2	2778	12	33336	10400	8400	52136	25000	50000	5000	0	10000	10000	152136	10%	15%	125000
3	आँवला	सामान्य	6 x 6	110	30	3300	6000	5600	14900	20000	50000	5000	0	10000	10000	109900	10%	15%	125000
		उच्च	3 x 3	444	30	13320	9000	6000	28320	20000	50000	5000	0	10000	10000	123320	10%	15%	125000
4	सापोटा	सामान्य	5 x 5	160	40	6400	15000	4550	25950	25000	50000	5000	0	10000	10000	125950	10%	15%	175000
5	निबूं	सामान्य	6 x 6	120	25	3000	10900	12500	26400	26500	50000	5000	0	10000	10000	127900	10%	15%	175000
		उच्च	4.5 x 4.5	200	25	5000	13900	12950	31850	26500	50000	5000	0	10000	10000	133350	10%	15%	175000
6	अनानास	सामान्य	25x60x75	13000	2	26000	12000	4730	42730	20000	50000	5000	0	10000	10000	137730	10%	15%	150000
		उच्च		23000	2	46000	19000	5600	70600	20000	50000	5000	0	10000	10000	165600	10%	15%	150000
7	टीसी केला	सामान्य	1.8 x 1.8	1235	12	14820	7000	2100	23920	25000	50000	5000	10000	10000	10000	133920	10%	15%	125000
		उच्च	1.12x1.2x2	2080	12	24960	11000	3500	39460	25000	50000	5000	20000	10000	10000	159460	10%	15%	125000
8	बेर	सामान्य	6 x 6	120	25	3000	5000	4200	12200	15000	50000	5000	0	10000	10000	102200	10%	15%	100000
9	अनार	सामान्य	5 x 5	160	30	4800	15000	8820	28620	20000	50000	10000	0	10000	10000	128620	10%	15%	175000
		उच्च	5 x 3	266	30	7980	18000	9800	35780	20000	50000	10000	0	10000	10000	135780	10%	15%	175000
10.	अमरूद	सामान्य	6 x 6	111	25	2775	7000	7700	17475	20000	50000	5000	0	10000	10000	112475	10%	15%	125000

1	2	3	4अ	4ब	4स	4(ब+स)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	सेव	सामान्य	3.5 x 3.5	326	15	4890	10700	8400	23990	20000	50000	10000	0	10000	10000	123990	10%	15%	150000
12	लीची	उच्च	1.5 x 1.5	1778	15	26670	17500	12600	56770	20000	50000	10000	0	10000	10000	156770	10%	15%	150000
		उच्च	7.5 x 7.5	80	35	2800	8000	5600	16400	20000	50000	10000	0	10000	10000	116400	10%	15%	150000
13	अंगूर	सामान्य	10 x 10	40	35	1400	5000	3850	10250	20000	50000	10000	0	10000	10000	110250	10%	15%	150000
		उच्च	2.7 x 1.8	825	10	8250	13000	15000	36250	35000	50000	10000	130000	10000	10000	281250	10%	15%	320000
14	कटहल	सामान्य	3 x 3	444	10	4440	14000	18000	36440	35000	50000	10000	130000	10000	10000	281440	10%	15%	320000
		सामान्य	10x10	40	5	200	7100	4900	12200	25000	50000	5000	0	10000	10000	112200	10%	15%	100000
15	अंजीर	सामान्य	3x3	444	2	888	7100	8400	16388	25000	50000	5000	0	10000	10000	116388	10%	15%	150000
16	किवी	सामान्य	4x4	167	22	3674	8000	5810	17484	20000	50000	5000	0	10000	10000	112484	10%	15%	250000
17	काजू	सामान्य		82	60	4920	7380	10500	22800	30000	50000	10000	0	10000	10000	132800	10%	15%	200000
18	नारियल	सामान्य		95	60	5700	7980	5100	18780	30000	50000	10000	0	10000	10000	128780	10%	15%	150000
19	वॉलनट	सामान्य		110	30	3300	8310	6900	18510	30000	50000	10000	0	10000	10000	128510	10%	15%	150000
20	खूबानी	सामान्य	6 x 6	110	30	3300	8026	7800	19126	30000	50000	10000	0	10000	10000	129126	10%	15%	160000
21	जैतून	सामान्य		105	25	2625	11620	7800	22045	10000	50000	10000	0	10000	10000	112045	10%	15%	200000
22	डेट पाम	सामान्य		71	30	2130	6690	6450	15270	30000	50000	10000	0	10000	10000	125270	10%	15%	150000
23	ऐकनट	सामान्य		550	4	2200	14815	7800	24815	30000	50000	10000	0	10000	10000	134815	10%	15%	170000
24	पासन फ्रूट	सामान्य		1386	25	34650	38850	20100	93600	30000	50000	10000	0	10000	10000	203600	10%	15%	250000
25	काली मिर्च	सामान्य		880	2	1760	23750	10500	36010	30000	50000	10000	0	10000	10000	146010	10%	15%	150000
26	इलाईची	सामान्य		2030	5	10150	17245	17100	44495	30000	50000	10000	0	10000	10000	154495	10%	15%	230000
27	चिटरोनील्ला	सामान्य		11000	0.25	2750	11950	13200	27900	10000	50000	10000	0	10000	10000	117900	10%	15%	115000
28	जीरेनियम	सामान्य		11000	0.25	2750	11950	13200	27900	10000	50000	10000	0	10000	10000	117900	10%	15%	115000
29	स्टेविया	सामान्य		28350	5	141750	22250	15000	179000	30000	50000	10000	0	10000	10000	289000	10%	15%	300000
30	पामरोसा	सामान्य		11000	0.25	2750	11950	13200	27900	10000	50000	10000	0	10000	10000	117900	10%	15%	115000
31	मिन्ट *किग्रा.	सामान्य		100	10	1000	6500	9650	17150	30000	50000	10000	0	10000	10000	127150	10%	15%	160000
32	चेलेरी	सामान्य		0	0	2000	4000	6510	12510	30000	50000	10000	0	10000	10000	122510	10%	15%	125000
33	स्ट्रावेरी	सामान्य		22000	3	66000	11000	14400	91400	40000	50000	5000	12400	10000	10000	218800	10%	15%	266000
34	टमरिंड	सामान्य	10x10	40	40	1600	5000	4800	11400	20000	50000	5000	0	10000	10000	106400	10%	15%	100000
35	बादाम	सामान्य	5.4 x 7.5	100	40	4000	6000	56000	66000	20000	50000	5000	0	10000	10000	161000	10%	15%	150000

नोट : घटक–वार सीमा वास्तविक खर्चों को प्रतिबंधित करेगी जहां कहीं वास्तविक खर्चे कम हो।

	कृषि व्यय													प्रति एकड़ लागत			
क्र. सं.	फसल	पौध सामग्री			निवेश व्यय	श्रमिक	कुल निवेश	ड्रिप सिंचाई	सिंचाई अवसंरचना	कृषि यंत्र	तेल निष्कर्षण की लागत	श्रमिक कक्ष	स्टोर रूम	कुल (8+9+ 10+11+ 12+13)	भूमि (वास्तविक या ईपीसी का 10% तक)	भूमि विकास (ईपीसी का 15% या वास्तविक)	समग्र लागत सीमा
1	2	3क	3ख	3(क+ख)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		संख्या	यूनिट लागत/ किग्रा.	कुल लागत													
36	नीबू ग्रास*	10	100	1000	6500	2100	9600	10000	50000	5000	4500	5000	15000	99100	10%	15%	150000
37	पचौली	12000	1	12000	3600	4200	19800	10000	50000	5000	9240	5000	15000	114040	10%	15%	220000
क्र. सं.	फसल	पौध सामग्री			निवेश व्यय	श्रमिक	कुल निवेश	ड्रिप सिंचाई	सिंचाई अवंसरचना	कृषि यंत्र	शेड–हाऊस	गोदाम	क्यूरिंग केन्द्र	कुल (8+9+ 10+11+ 12+13)	भूमि (वास्तविक या ईपीसी का 10% तक)	भूमि विकास (ईपीसी का 15% या वास्तविक)	कुल लागत सीमा
38	वनीला	1980	20	39600	21170	18600	79370	30000	50000	10000	623000	22500	32000	846870	10%	15%	850000

परिशिष्ट–II

विभिन्न पुष्प फसलों की घटक–वार लागत सीमा एवं सम्पूर्ण लागत सीमा

		पौध सामग्री लागत							मूल्य निवेश													
क्र. सं.	फसल	प्रति वर्ग मीटर घनत्व	निवल क्षेत्र वर्ग मीटर में	प्रति पौध लागत	पौधों की संख्या	पौधों की लागत	पर्त्यता	पौध सामग्री की कुल लागत	उर्वरक एवं कीट–नाशक	श्रम	प्रकाश एवं अंधकार के लिए सहायक स्टैण्ड/बैंच	कुल कृषि व्यय (पौध सामग्री एवं निवेश लागत)	बेड की तैयारी/पोट एवं मीडिया	सिंचाई अवसंरचना जिसमें ट्यूबवेल एवं अन्य शामिल हैं	कृषि यंत्र	स्टोर रूम/श्रमिक रूम	जी/पी रूम	इन्स्सो–ल्यूटेड पैनल इरेक्शन एवं विद्युत युक्त शीतगृह	कुल	भूमि	भूमि विकास	समग्र लागत सीमा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	एनथूरियम–शेड हाऊस	12	3400	100	40800	4080000	204000	4284000	171945	27000	0	4482945	400000	300000	20000	20000	150000	1000000	5972945	10%	15%	6100000
2	एनथूरियम–पोली हाऊस	12	3400	100	40800	4080000	204000	4284000	171945	27000	0	4482945	400000	300000	20000	20000	150000	1000000	5972945	10%	15%	7500000
3	लिलुम एसटिक	60	3400	13	204000	2652000	66300	2718300	204830	54000	0	2977130	400000	300000	20000	20000	150000	1000000	4467130	10%	15%	6000000
4	लिलुम हाइबरिड	50	3400	20	170000	3400000	85000	3485000	187830	54000	0	3726830	400000	300000	20000	20000	150000	1000000	5216830	10%	15%	6000000
5	बिर्ड आफ पाराडाइज	1x1	4000	30	4000	120000	2400	122400	35100	15450	0	172950	0	50000	20000	20000	20000	0	282950	10%	15%	350000
		1.21 x 1.21	4000	30	2732	81960	1639	83599	35100	15450	0	134149	0	50000	20000	20000	20000	0	244149	10%	15%	350000
6	कारनेशन	35	3400	8.5	119000	1011500	50575	1062075	72150	22500	300000	1456725	400000	300000	20000	20000	150000	1000000	2946725	10%	15%	5000000
7	कैप्सिकम पोली हाऊस	0	3400	10	13600	136000	6800	142800	38800	15450	200000	397050	0	300000	20000	20000	150000	1000000	1887050	10%	15%	3500000
8	कैप्सिकम शेड हाऊस	0	3400	10	13600	136000	6800	142800	38800	15450	200000	397050	0	300000	20000	20000	150000	0	887050	10%	15%	2400000
9	चिरेसीनथिमु	48	3400	3	163200	489600	24480	514080	129200	24900	300000	968180	400000	300000	20000	20000	150000	1000000	2458180	10%	15%	4000000
10	गलडिलस	0	4000	2.5	61200	153000	7650	160650	20190	15450	0	196290	0	50000	20000	20000	20000	0	306290	10%	15%	350000
11	जरवैरा	8	3400	26	27200	707200	35360	742560	62300	18900	0	823760	0	300000	20000	20000	150000	1000000	2313760	10%	15%	4700000
12	ओचिड	12	3400	60	40800	2448000	122400	2570400	86380	15300	400000	3072080	400000	300000	20000	20000	150000	1000000	4562080	10%	15%	7000000
13	रोज	8	3400	31	27200	843200	42160	885360	30855	14040	0	930255	400000	300000	20000	20000	150000	1000000	2420255	10%	15%	4000000
14	ट्यूबरोज	0	4000	1	54400	54400	5440	59840	8170	11075	13500	92585	0	50000	300000	20000	20000	0	0	10%	10%	200000

नोट :

1. स्वीकृति लागत सीमा आधारित या वास्तविक लागत पर होगी
2. कृषि व्यय, कृषि यंत्र एवं सिविल अवसंरचना की लागत रु./एकड़ में हैं
3. सिंचाई ढ़ाँचा की लागत प्रति इकाई आधार पर
4. प्रति इकाई के आधार पर गर्डिंग/पैकिंग कक्ष या वास्तविक क्षेत्र आधारित रु. 250/– प्रति वर्ग फुट के आधार पर
5. शीत गृह की लागत पी.एच.एम. घटक पर अनुलग्नक में उद्धृत सीमा के तहत
6. पोली हाऊस अर्थात निम्न लागत रु. 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से तथा उच्च लागत रु. 750 प्रति वर्ग मीटर की दर से जिसमे ड्रिप सिंचाई इकाई शामिल
7. शेड हाऊस की लागत रु. 250 प्रति वर्ग मीटर की दर से जिसमें ड्रिप सिंचाई की लागत शामिल है
8. बैड तैयारी की लागत सुरक्षित कृषि के तहत फलोद्यान फसल के लिए वास्तविक्ता के आधार पर अर्थात अधिक से अधिक रु. 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से स्वीकृत होगी।
9. व्यावहर्य कारकों को ध्यान में रखते हुए जहां घटक–वार लागत समग्र लागत सीमा से बढ़ती है, वहां निर्धारित समग्र लागत सीमा लागू होंगे। कुछेक विशिष्ट घटक जैसे ट्रेक्टर, पावर टिलर, मधुमक्खीपालन पर लागत से अधिक पर विचार किया जाएगा।
10. उस घटक के लिए स्वीकृति लागत या वास्तविक लागत पर निर्णय लिया जायेगा जहां लागत कम से कम होगी।

अनुलग्नक–II

अनुबंध–II

शीत भंडारण और भंडारणों के निर्माण/विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी

मदें	विवरण		पृष्ठ संख्या
अध्याय–I	आशय–पत्र के लिए आवेदन करना	....	72–73
अध्याय–II	तकनीकी मानकों के कार्यान्वयन के लिए प्रोटोकॉल	....	74
	परियोजना के पूरा होने पर निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश	....	75
अध्याय–III	सब्सिडी का दावा करने के लिए दिशा–निर्देश	....	76–77
प्रारूप–I	रा.बा.बो. योजना ''बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार और संग्रहगारों के निर्माण/ विस्तार/आधुनिकीरण हेतु पूंजी निवेश सहायिकी'' के तहत आशय–पत्र (एल.ओ.आई.) के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	....	78
प्रारूप–II	आवेदन पत्र	....	79–82
प्रारूप–III	शपथ–पत्र	....	83–84
	स्वयं प्रमाणन प्रारूप	....	85
प्रारूप–IV	बेसिक डाटा शीट	....	86–94
प्रारूप–V	निरीक्षण पूर्व रिपोर्ट	....	95–96

अध्याय–I

"शीत भंडारण और भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना" के अंतर्गत आशय पत्र के लिए आवेदन करना

1. आशय–पत्र को प्राप्त करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है

कोई भी सामान्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या वैध व्यक्ति (साझेदारी फर्म, ट्रस्ट, सहकारी समिति, संस्था पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था, कंपनी, स्वयं–सहायक समूह) आशय–पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है

2. आशय–पत्र जारी करवाने के लिए कहां आवेदन करें

क. निर्धारित प्रारूप पर वास्तविक आवेदन

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
प्लॉट नम्बर – 85, संस्थागत क्षेत्र,
सैक्टर – 18 गुड़गांव ।

ख. आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति

एन.एच.बी. ने अपनी वेबसाइट www.nhb.gov.in पर आशय–पत्र के लिए आवेदन को ऑनलाइन भरने के लिए एक प्रणाली शुरू की है । वेबसाइट का होमपेज, कोल्ड स्टोरेज योजना के तहत, ऑनलाइन आवेदन व ट्रैक स्थिति के लिए कड़ी प्रदान करता है । इस अनुभाग में सूचना शामिल है जैसे : आवेदन कैसे करें, आवेदन की लागत व भुगतान के विकल्प, चेकलिस्ट आदि जोकि आवेदकों को आनलाइन आवेदन में मदद करने के लिए है। आवेदन की लागत का भुगतान करने के लिए आवेदन के लिए निम्नलिखित तीन विकल्प हैं :–

- ➢ डिमांड ड्राफ्ट
- ➢ एन.एन.बी. खाते में धन का इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण
- ➢ क्रेडिट/डेबिट कार्ड (वीज़ा/मास्टर)

आवेदन की लागत के लिए निम्नलिखित संरचना है :

आवेदन की कीमत	डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा इलेक्ट्रानिक अंतरण श्रेणी	क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड (वीजा/मास्टर)
10 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए	रु. 1,000/–	रु. 1,000/– (गेटवे–लेन देन शुल्क के भुगतान के संबंध में लागू शुल्क सहित)
10 लाख से ऊपर व 20 लाख तक लागत वाली परियोजनाओं के लिए	रु. 2,000/–	रु. 2,000/– (गेटवे–लेन देन शुल्क के भुगतान के संबंध में लागू शुल्क सहित)
20 लाख से ऊपर व 50 लाख तक लागत वाली परियोजनाओं के लिए	रु. 5,000/–	रु. 5,000/– (गेटवे–लेन देन शुल्क के भुगतान के संबंध में लागू शुल्क सहित)
50 लाख से ऊपर वाली परियोजनाओं के लिए गेटवे लेन–देन शुल्क का भुगतान	रु. 10,000/–	रु. 10,000/– (गेटवे–लेन देन शुल्क के भुगतान के संबंध में लागू शुल्क सहित)

यदि भुगतान विकल्प – डिमांड ड्राफ्ट या एन.एच.बी. के खाते में इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण के माध्यम से है, तो आवेदक को पहले डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना होगा या एन.एच.बी. के खाते में धन हस्तांतरण करना होगा

क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के समय दिए जाने के लिए डीडी/इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण संख्या की आवश्यकता होती है । इस मामले में आवेदक को एक अस्थायी पहचान पत्र जारी किया जाएगा । इलेक्ट्रानिक भुगतान के मामले में एन.एच. बी. खाते में धन की प्राप्ति पर और डी.डी. के मामले में डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने पर ही स्थायी एल.ओ.आई. कोड जारी किया जाएगा।

यदि आवेदक क्रेडिट/डेबिट कार्ड से आवेदन की लागत देने का विकल्प चुनता है, उसे मौके पर ही स्थायी एल. ओ.आई. कोड के साथ पावती जारी कर दी जाएगी ।

ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन फार्म का प्रिंट लेना चाहिए । आवेदक डुप्लिकेट में एक प्रिंट आऊट ले कर, एक प्रति अपने रिकार्ड के लिए रखे व दूसरी प्रतिलिपि को अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित मूल आवेदन के साथ संलग्न करे । ऑनलाइन आवेदन पत्र के अलावा, आवेदकों के लिए आवश्यक है कि वह विस्तृत आवेदन–पत्र को भरे व जमा करें । **(प्रारूप– I)**

3. **आवेदक की पहचान कैसे स्थापित करें**

(i) यदि आवेदक एक सामान्य व्यक्ति है, तो उसका नाम/आयु/लिंग, व्यवसाय, पिता/पति का नाम, स्थायी पता, पूर्ण डाक पता व आवेदक के स्वयं सत्यापित पासपोर्ट आकार के आवेदन पत्र पर चिपके फोटो द्वारा समर्थित सामान्य व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह की पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है ।

(ii) यदि आवेदक एक सांविधिक व्यक्ति है, तो आवेदक को जानने के लिए निम्नलिखित जानकारी पर जोर दिया जाना चाहिए :

क. आवेदक निकाय/कंपनी के पंजीकरण दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रति ।

ख. कंपनी/आवेदन करने वाले निकाय की संस्था के अंतर्वियम व ज्ञापन।

ग. विधिवत पारित, निदेशक मंडल के संकल्प और बैंक ऋण के आवेदन के लिए आवेदन के अधिकृत हस्ताक्षरी, एनएचबी सब्सिडी व इस संबंध में अन्य संबंधित आवश्यक कदम उठाये । बोर्ड संकल्प में आवेदन के हस्ताक्षरकर्ता का वर्णन उसके नाम, आयु, लिंग, पदनाम/व्यवसाय, पिता/पति के नाम, स्थायी पते, डाक पते के साथ होना चाहिए व उनकी स्वयं सत्यापित फोटो को आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।

घ. निवेश प्रस्ताव की अनुमति/अथवा अनुमोदन करते समय आवेदक निकाय के निदेशक मंडल/सक्षम प्रबंधक–समिति के संकल्प, बैंक ऋण लेने आदि को भी संलग्न किया जाना चाहिए ।

ड. आवेदक निकाय की नवीनतम लेखापरीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति ।

4. **भूमि का हक व अधिकार के अभिलेख की प्रतिलिपि**

जिस भूमि के टुकड़े पर परियोजना स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है, वह 15 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए मालिक/पट्टेदार की क्षमता में आवेदक के नाम पर होना चाहिए। भूमि–पट्टे के मामले में, पट्टा विलेख ऐसे किसी अधिकारी जैसे कि उप–रजिस्ट्रार आदि के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। इस तथ्य को दिखाते हुए अधिकार के अभिलेख की नवीनतम प्रतिलिपि को आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिए । भले ही क्रेडिट संस्था मानती हो, परंतु गिरवी जमीन को पट्टे पर ली गई जमीन के सममूल्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह भूमिदार द्वारा आवेदक के पक्ष में दिया गया मुख्तारनामा, आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ के लिए योग्य नहीं बनाएगा।

5. **आशय–पत्र की वैधता अवधि**

(i) अवधि ऋण की मंजूरी के लिए आशय–पत्र के जारी होने की तिथि से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिए।

(ii) अवधि ऋण की मंजूरी की तारीख से लेकर दो साल के भीतर परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए। परियोजना लंघन समय की उपयुक्त जाँच की जानी चाहिए।

(iii) गुणावगुण पर एक वर्ष की अवधि के लिए, संबंधित क्षेत्र–अधिकारी द्वारा आशय–पत्र का पुनर्मूल्यन।

अध्याय–II

तकनीकी मानकों के कार्यान्वयन के लिए प्रोटोकॉल

रूपांतर खंड के उपबंधो के अधीन रहते हुए, केवल वह कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं जो निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप है, केन्द्र सरकार की सब्सिडी के लिए योग्य होगी । यह सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित यंत्ररचना को लागू करने की आवश्यकता है ।

क. **आशय–पत्र (एल.ओ.आई.) की योजना/व्यवस्था** : प्रमोटर द्वारा शीतलन भंडारण का निर्माण शुरू करने से पहले आशय पत्र के प्राप्त किए जाने की जरूरत है । किसी भी अन्य निर्धारित दस्तावेजों के अलावा, आशय–पत्र के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाना चाहिए ।

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति ।

(ii) अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित बेसिक डेटा–शीट में जानकारी ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना तकनीकी मानकों के अनुरूप है या संग्रहित किए जाने वाले उत्पाद, निर्धारित भंडारण की स्थिति, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण व सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का बदलाव पूरी तरह जायज् है, उपरोक्त दस्तावेजों की तकनीकी जांच की जाएगी ।

ख. **सिविल संरचना** : सिविल निर्माण के संबंध में, प्रमोटर द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(i) स्थानीय योजना प्राधिकारी द्वारा निर्माण योजना के अनुमोदन का प्रमाणपत्र

(ii) प्रासंगिक बी.आई.एस. मानक व निर्धारित मानकों और सुरक्षा चिंताओं की पुष्टि के बारे में पंजीकृत सिविल डिजाइन इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाणपत्र

(iii) अनुमोदित निर्माण योजना के अनुसार सिविल संरचना के निर्माण व सभी मामलों में निर्धारित योजना व मानकों के अनुसार सिविल घटकों के निर्माण व समापन के प्रभाव के लिए साइट इंजीनियर/वास्तुकार द्वारा प्रमाणपत्र।

ग. **थर्मल इन्सुलेशन और प्रशीतन प्रणाली, नियंत्रण व सुरक्षा उपकरण**

(i) इन्सुलेशन व प्रशीतन प्रणाली के घटकों को निर्माता द्वारा, निर्धारित मानकों के अनुसार दर्जे व प्रदर्शन को पुष्टि करते हुए एक तकनीकी डेटा–पत्रक के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए ।

(ii) इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा निर्माण के उपयुक्त चरणों में साईट निरीक्षण या निर्माण या कमीशनिंग किया जा सकता है ।

(iii) अंत में, निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप शीतलन प्रणाली के संतोषजनक कमीशनिंग का निर्माता/शीतलन ठेका एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

(iv) शीतलन भंडारण लेआऊट, पी. ओर आई. और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग व आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की एक सूची के साथ संरचना व रखरखाव पुस्तिका को शामिल करते हुए निर्माता/शीतलन ठेका एजेंसी द्वारा ''बने हुए चित्रों के रूप में'' भी प्रदान की जाएगी ।

(v) कंपनी/एजेंसी के अधिकृत स्नातक इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ, शीतलन/कंपनी/ठेका एजेंसी द्वारा जारी शीतलन प्रणाली प्रदर्शन प्रमाणपत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेजों का एक सेट, अभिलेख के लिए सक्षम प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए व उसकी एक प्रति परियोजना के प्रमोटर/मालिक को जारी की जानी चाहिए ।

परियोजना के पूरा होने पर निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण के लिए दिशानिर्देश

लक्ष्य : परियोजना का निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण, यह सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से किया जाता है कि परियोजना, अनुमोदित परियोजना स्थल पर व मूल परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पूरी हो चुकी है और सभी आवश्यक घटक, निष्पादन की संतोषजनक गुणवत्ता व कारीगरी के स्वीकृत मानकों के साथ पूरे हो गए हैं । यह, लाभार्थी द्वारा किए गए घटक वार वास्तविक व्यय के बारे में आंकलन करने के लिए व परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए वाऊचर व लाभार्थी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों की पुष्टि का भी उद्देश्य रखते हैं । यह केवल परियोजना की पैन – तस्वीर ही नहीं दिखाता है, अपितु निर्मित आस्तियों के अस्तित्व के प्रमाण के माध्यम से, एनएचबी के स्थायित्व निर्देशों के अनुसार तस्वीरें/वीडियों फिल्में भी प्रदान करता है ।

परियोजना के पूरे होने की सूचना व निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण करना : जिसके लिए बोर्ड द्वारा आशय–पत्र जारी किया गया है उस क्रेडिट से जुड़ी परियोजना के पूरे होने पर; प्रमोटर इस परियोजना के पूरा होने के बारे में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को सूचित करेंगे । परियोजना के पूरा होने के बारे में जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, वित्तीय संस्था/बैंक, संबंधित एनएचबी के राज्य–प्रभारी से परामर्श के बाद परियोजना के संयुक्त निरीक्षण के लिए तिथि निर्धारित करेंगे । ऐसे मामलों में लाभार्थी की उपस्थिति में, परियोजना को संयुक्त रूप से एनएचबी के प्रतिनिधि व बैंक/वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षित किया जाएगा । एनएचबी के स्थायी आदेशों के अनुसार, बागवानी के राज्य निदेशालय का प्रतिनिधि भी जुड़ा हो सकता है ।

निरीक्षण रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं : संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा, निर्धारित प्रपत्र में बैंक निरीक्षण रिपोर्ट/संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट रा.बा.बो. को प्रस्तुत किया जाएगा। यह निरीक्षण रिपोर्ट लिखित में हो तथा इसमें परियोजना व परियोजना भूमि के विभिन्न घटकों का आवश्यक विवरण, धन के स्रोत, क्या परियोजना के सभी घटक नए हैं आदि, का उल्लेख होता है। एनएचबी के स्थायी निर्देशों के अनुसार, यह तस्वीर/वीडियो फिल्म द्वारा समर्थित है ।

परियोजना के पूरा होने पर परियोजना के घटकों की लागत व पूरी परियोजना का आंकलन करना

निरीक्षण अधिकारी/संयुक्त निरीक्षण दल भी इस परियोजना के विभिन्न घटकों और एक पूर्ण रूप में परियोजना की लागत का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। यह आम तौर पर दस्तावेजी सबूत जैसे वाऊचर/खरीद से संबंधित पैसा प्राप्तियां/सेवाएं प्राप्त, आदि की पुष्टि द्वारा किया जाता है। कई बार जब वाऊचर/मुद्रा प्राप्ति की सच्चाई निश्चित नही, लागत का निष्पक्ष मूल्यांकन स्थानीय दर आदि को ध्यान में लेकर बनाया जा सकता है। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा बनाया गया मूल्यांकन भी ध्यान में रखा जा सकता है । आम तौर पर, वित्तीय संस्थाएं/बैंक, सी.ए., प्रमाण–पत्र आदि के माध्यम से निष्पादित कार्य के मूल्य की जांच के बाद ऋण की अंतिम व आगामी किस्त जारी करते है। ऐसे दस्तावेज भी परियोजना के घटकों की लागत व एक पूर्ण रूप में परियोजना का आंकलन करने का आधार हो सकते है।

***टिप्पणी** : यह सलाह दी जाती है कि लाभार्थी को उसके द्वारा किए गए अनुपालनों (उसकी परियोजना के सब्सिडी क्लेम के अग्रेषण के लिए), जैसे निर्धारित प्रोफार्मा में ताजा हलफनामे की आवश्यकता आदि के बारे में सूचित किया जाए।

अध्याय–III

सब्सिडी के दावे करने के लिए दिशानिर्देश

बोर्ड को अंतिम सब्सिडी का दावा करने के लिए कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया : जिस संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान ने परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है, उसे परियोजना की सब्सिडी मंजूरी के लिए शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, सीधे एनएचबी के संबंधित कार्यालय में सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करना होगा। ऐसी सभी मामलों में सब्सिडी दावों को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा /अथवा बैंक के संदेशवाहक जिसके पास संदेशवाहक होने की पहचान का सबूत हो या संबंधित बैंक शाखा से प्राधिकरण का प्रमाणपत्र हो के द्वारा निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह नकली सब्सिडी दावों की प्रस्तुति के मामलों की पुनरावृत्ति की संभावना को, जैसे की कुछ राज्यों मे हुआ था, समाप्त करने में मदद करेगी । एनएचबी, वित्तीय संस्था को ऋण स्वीकृति के बारे में ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए, ऋण की किस्तों की रिलीज के लिए, परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति व सब्सिडी का दावा करने में जो परियोजना की प्रगति की रिपोर्टिंग की सुविधा बना सकती है और बाद में रा.बा.बो. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सब्सिडी दावों व प्रसंस्करण, दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों व हस्ताक्षरित प्राप्तियों को लंबित रखते हुए प्रावधानों को प्रस्तावित कर रहा है।

योग्य परियोजना लागत (ई.पी.सी.) : यह देखा गया है कि कभी–कभी किसान/लाभार्थी और बैंकर ऐसी धारणा रखते हैं कि पूरी परियोजना के निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण के दौरान आंकलित या मूल्यांकित परियोजना लागत की 40 प्रतिशत पर सब्सिडी को मंजूर किया जाएगा । यह सच नहीं है इसलिए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि 40 प्रतिशत सब्सिडी को योग्य परियोजना लागत (EPC) के प्रति जारी व मंजूर किया जाएगा । ई.पी.सी. की गणना, प्रति इकाई क्षेत्र की परियोजना लागत व घटक–वार लागत मानकों को ध्यान में रख के की जाती है । इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि घटक वार योग्य लागत–परियोजना रिपोर्ट में संकेतित लागत, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा मूल्यांकित लागत व परियोजना के निरीक्षण/संयुक्त निरीक्षण के दोरान मूल्यांकित लागत में से सबसे कम होगी । इसलिए परियोजना रिपोर्ट या मूल्यांकन रिपोर्ट में न शामिल होने वाले घटक, ई.पी.सी. की गणना के प्रयोजन में शामिल करने के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी तरह एनएचबी के पूर्व अनुमोदन के बिना घटक या परियोजना साइट में बदलाव, जैसा भी मामला हो, परियोजना व घटक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे । वित्तीय संस्था/बैंकर में बदलाव भी एनएचबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाना चाहिए । यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अवधि ऋण के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत की शर्त पूरी हो जानी चाहिए अन्यथा सब्सिडी का दावा खारिज कर दिया जाएगा।

सब्सिडी के दावे के साथ प्रस्तुत करने के लए दस्तावेज – उपरोक्त को ध्यान में रखे हुए, सब्सिडी के दावों को बैंक निरीक्षण रिपोर्ट सहित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(क) बैंक द्वारा जारी किया हुआ परियोजना–समापन प्रमाणपत्र।

(ख) निवेश घटकों व उनकी लागत को दिखाते हुए किसी अन्य विवरण सहित, वित्त के साधनों को दिखाते हुए, अवधि ऋण की मंजूरी से पहले बैंक द्वारा किया गया वित्तीय मूल्यांकन। वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा परियोजना स्थल के मंजूरी से पूर्व निरीक्षण के मामले में सब्सिडी के दावे के साथ ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रतिलिपि को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) उन गतिविधियों, जिनके लिए ऋण की मंजूरी दी गई, सहित अवधि–ऋण के प्रयोजन, पुनर्भुगतान की अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विस्तृत नियमों व शर्तों के साथ बैंक द्वारा लाभार्थी को जारी किया गया। अवधि–ऋण मंजूरी–पत्र।

(घ) परियोजना के लिए तिथि अनुसार अवधि–ऋण संवितरण का विवरण।

(ड.) परियोजना से संबंधित प्रमोटर के अवधि ऋण खाते का उद्धरण ।

(च) ऋण दस्तावेज में लाभार्थी द्वारा, वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा की गई खोज रिपोर्ट के साथ (यदि कोई हो), संलग्न परियोजना भूमि के अधिकारों के अभिलेख की एक प्रति । यह एनएचबी को, लाभार्थी द्वारा आशय पत्र के आवेदन के साथ एनएचबी को दी गई अधिकारों के अभिलेख की प्रति के साथ इस प्रति को मिलाने में सक्षम करेगी ।

(छ) बैंक अधिकारी व प्रमोटर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, परियोजना के निरीक्षण के समय पर ली गई तस्वीरें । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की प्रमोटर के साथ निरीक्षण अधिकारी (बैंक अधिकारी) और एनएचबी अधिकारी (जेआईटी के मामले में) को भी तस्वीरों में देखा जाना चाहिए ।

(ज) परियोजना के सभी प्रमुख घटकों को भी तस्वीरों में शामिल किया जाना चाहिए ।

(झ) बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित खर्च बयान (बिल/वाऊचर के आधार पर तैयार) या एनएचबी प्रारूप के अनुसार सीए प्रमाणपत्र (संयुक्त निरीक्षण के दौरान परियोजना की निर्धारित लागत के सबूत के माध्यम से)

(ट) यदि बैंक द्वारा, आरटीजीएस के माध्यम से सब्सिडी के रिलीज को पसंद किया है तो इसी सब्सिडी आरक्षित निधि खाते के विवरण के साथ, उसी का आवेदन ।

उधारकर्ता खाते के समायोजन की प्रक्रिया

एनएचबी द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था को परियोजना के पक्ष में दी गई सब्सिडी को अलग ''सब्सिडी रिजर्व फंड'' के रूप में अलग खाते में रखा जाएगा । अवधि–ऋण खाते के लिए सब्सिडी का समायोजन केवल बैक–एन्डिड सब्सिडी के रूप में किया जाएगा । तदनुसार, सब्सिडी राशि सहित परंतु लाभार्थी के मार्जिन पैसे के योगदान को छोड़कर, पूरी परियोजना लागत को बैंक द्वारा ऋण के रूप में वितरित किया जाता है । चुकौती अनुसूची को ऋण राशि पर इस तरह तैयार किया जाएगा कि सब्सिडी राशि का समायोजन बैंक ऋण भाग (सब्सिडी को छोड़कर) के निवारण के बाद ही होगा । उधारकर्ता के अवधि ऋण खाते में सब्सिडी राशि का समायोजन, पिछले किस्त की वसूली जो कि अवधि ऋण के जारी होने की तारीख से 36 महीने की अवधि से पहले नहीं होना चाहिए, के रूप में ही किया जाना चाहिए । इसलिए उधारकर्ता के अवधि–ऋण खाते से बैंक द्वारा सब्सिडी राशि की प्राप्ति की तिथि के बाद, ब्याज शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए ।

बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति

परियोजना के पूरे होने, उधारकर्ता के अवधि ऋण खाते के बंद होने और अन्तिम किस्त के हिस्से के रूप में सब्सिडी राशि के समायोजन, जो कि अवधि ऋण के जारी होने की तारीख से 36 महीने की अवधि से पहले नहीं होनी चाहिए, बैंक/वित्तीय संस्था को निर्धारित प्रोफार्मा में सब्सिडी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र एनएचबी को प्रस्तुत करना होगा **(प्रारूप–VIII)**

प्रारूप–I

रा.बा.बो. योजना ''बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार और संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीरण हेतु पूंजी निवेश सहायिकी'' के तहत आशय–पत्र (एल.ओ.आई.) के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

खण्ड 'क'

आशय–पत्र से संबंधित दस्तोवज

- आवेदन फार्म (प्रारूप–II)
- शपथ पत्र (प्रारूप–III)
- आवेदन फार्म व योजना विवरणिका का निर्धारित मूल्य
- बेसिक डाटा पत्रक (प्रारूप–IV)
- आवेदक फर्म/कंपनी के बोर्ड संकल्प (यदि लागू हो)

खण्ड 'ख'

विस्तृत परियोजना रिपार्ट जिनमें निम्नलिखित विवरण शामिल हो:

- प्रमोटर प्रोफाइल
- आवेदक की पहचान का सबूत
- विपणन रणनीति
- कार्यान्वयन अनुसूची
- परियोजना के विवरण और भूमि सीमा विवरण दिखाते हुए परियोजना भूमि के मुख्य नक्शे
- साइट लेआऊट (योजना स्थल की रूपरेखा) योजना
- वित्तीय विश्लेषण
- अनुबंध

खण्ड 'ग'

भूमि दस्तावेज

- जमीन पर आवेदक का अधिकार दिखाती हुई, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई, नवीनतम अधिकार के रिकार्ड की प्रति
- शीत भंडारण के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए अनुमित की कॉपी
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र

खण्ड 'घ'

बैंक के दस्तावेज

- बैंक सहमति पत्र

प्रारूप–II

(1) आवेदन की तिथि

(2) नियंत्रण संख्या :
(एन.एच.बी. द्वारा दी गई)

फोटो

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
प्लॉट संख्या –85, सैक्टर–18
संस्थागत क्षेत्र, गुड़गांव–122015
(हरियाणा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना ''शीत संग्रहगार और संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सहायिकी'' के तहत आशय–पत्र (एल.ओ.आई.) के लिए आवेदन।

क. लाभार्थी/उधमी

1. नाम : .....

   स्थायी पता : .....

   डाक पता : .....

2. संघटन : व्यक्गित/कंपनी/संयुक्त प्रमोटर/सरकारी

व्यक्तिगत मामले में

3. श्रेणी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक

4. लिंग : पुरूष/महिला.....आयु.....

5. व्यवसाय :

6. प्रमोटर/लाभार्थी की प्रोफाइल :

कंपनियों के मामले में

- पंजीकरण संख्या व पंजीकरण की तिथि
- पंजीयन प्राधिकारी
- वह अधिनियम जिसके तहत पंजीकृत
- अधिकृत शेयर पूंजी .....
- प्रदत्त शेयर पूंजी .....आरक्षित और अधिशेष

(पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक)

ख. प्रस्तावित क्रियाकलाप

1. परियोजना का नाम

2. अवस्थिति

सर्वेक्षण/खसरा संख्या ..... गांव ..... तालुका .....
जिला ..... राज्य.....

3. **घटक** : शीत भंडारण/सी.ए. भंडारण/आशोधित भंडारण/ प्याज का भंडारण/मौजूदा भंडारण का आधुनिकीकरण

4. **(क) मौजूदा क्षमता, यदि कोई हो, चैम्बर (चैम्बरों) की क्षमता, मीट्रिकी टन में**

चैम्बर संख्या 1 .....
चैम्बर संख्या 2 .....
चैम्बर संख्या 3 .....
चैम्बर संख्या 4 .....

कुल .....

(ख) प्रस्तावित नई क्षमता, चैम्बर (चैम्बरों) की क्षमता, मीट्रिक टन में

चैम्बर संख्या 1 .....
चैम्बर संख्या 2 .....
चैम्बर संख्या 3 .....
चैम्बर संख्या 4 .....

कुल .....

(ग) आधुनिकीरकण के लिए प्रस्तावित क्षमता –चैम्बर (चैम्बरों) की क्षमता, मीट्रिक टन में,

चैम्बर संख्या 1 .....
चैम्बर संख्या 2 .....
चैम्बर संख्या 3 .....
चैम्बर संख्या 4 .....

कुल .....

(घ) अतिरिक्त क्षमता/आधुनिकीकरण के लिए औचित्य

ख.–2 (क) क्या आवेदन में प्रस्तावित क्रियाकलाप पूरी तरह से नई क्रियाकलाप है ? हाँ/नहीं

(यदि नहीं, आवेदन पत्र में शामिल किसी भी पहले से मौजूद क्रियाकलाप या घटक का तत्संबंधी ब्यौरा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

.....
.....

(ख) क्या किसी भी गतिविधि / प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए केन्द्र सरकार या उसकी एजेसियों से सब्सिडी का लाभ उठाया गया है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो कृपया विस्तृत रूप से निर्दिष्ट करें)

.....

.....

ग. प्रस्तावित परियोजना लागत (अवयव के हिसाब से)

घ. वित्त के प्रस्तावित उपाय

(i) प्रमोटर की हिस्सेदारी .....

(ii) बैंक / वित्तीय संस्था की सावधिक ऋण .....

(iii) अन्य स्त्रोतों से प्रस्तावित सब्सिडी, यदि कोई हो .....

(अ) राज्य सरकार की ओर से .....

(ब) केन्द्र सरकार की ओर से (एन.एच.बी. के अलावा) .....

कुल .....

(**नोट** : मित्रों/रिश्तेदारों से प्राप्त असुरक्षित ऋण को इक्विटी के रूप में नहीं लिया जाएगा।)

एन.एच.बी. से अपेक्षित बैक एंडेड सब्सिडी : ..... रूपये
(बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन.एच.बी. सब्सिडी पर विचार किया जाएगा, यदि सही पाई गई, परन्तु गारंटी नहीं)

ङ. परियोजना की मौजूदा स्थिति
(कृपया प्रस्तावित परियोजना की आशय पत्र (एल.ओ.आई.) का आवेदन जमा करने के समय पर पूरी हो चुकी क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी दें)

.....

.....

.....

च. क्या साफट लोन (ऋण) और सब्सिडी के रूप में लाभार्थी द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से किसी भी तरह की सहायता ली गई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए।

.....

.....

छ. क्या एक ही भूमि के टुकड़े/खसरा संख्या पर एक ही क्रियाकलाप के लिए बोर्ड, अन्य केन्द्र सरकार संगठन या राज्य सरकार द्वारा कोई सब्सिडी ली गई है ?

.....

.....

अगर लाभ उठाया गया है तो, सब्सिडी का विवरण :

(i) एम.एफ.पी.आई. :

(ii) एपीड़ा :

(iii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन :

(iv) प्रौद्योगिकी मिशन :

ज. **बैंक/वित्तीय संस्था का नाम जहां से लाभार्थी ने सावधिक ऋण का लाभ उठाया/लाभ उठाने वाला है?**
(कृपया विधिवत भरा हुआ सावधिक ऋण की प्रति संलग्न करें)

(क) बैंक का नाम :.....

(ख) बैंक की शाखा का नाम :.....

(ग) बैंक कोड :.....

झ. **तारीख व सावधिक ऋण की स्वीकृति की राशि, यदि कोई हो।** .....

ञ. **सावधिक ऋण की निमुक्ति का विवरण, यदि कोई हो** .....

ट. **भूमि का विवरण**

(i) क्या अपनी भूमि (पैतृक) : .....

(ii) क्या भूमि स्वयं खरीदी है : .....

(iii) क्या भूमि पट्टे पर ली गई है : .....
(यदि हां, तो कितने वर्षों के लिए पट्टे पे ली गई है)

(iv) क्या पट्टा/किरायेदारी/संविदा – सक्षम पंजीकरण प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है।
(प्रत्येक हक के सबूत की प्रति संलगन करें)

ठ. **प्रस्तावित क्रियाकलाप की कार्यान्वयन अनुसूची**

ड. **उत्पाद का विपणन**

ढ. **आवेदन फार्म व योजना विवरणिका का मूल्य निम्नलिखत है :**

परियोजनाओं की लागत 10 लाख रूपये तक	:	1000/– रूपये
परियोजनाओं की लागत 10 लाख रूपये से अधिक व 20 लाख रूपये से कम	:	2000/– रूपये
परियोजनाओं की लागत 20 लाख रूपये से अधिक व 50 लाख रूपये से कम	:	5000/– रूपये
परियोजनाओं की लागत 50 लाख रूपये से अधिक	:	10,000/– रूपये

उपरोक्त निर्धारित आवेदन फार्म व विवरणिका की लागत अप्रतिदेय होगी।

ण. कृपया राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पक्ष में, गुडगांव में देय डिमांड ड्राफ़्ट द्वारा आवेदन पत्र और विवरणिका योजना की लागत प्रेषित कीजिए।

त. परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने वाले परामर्शदाता का नाम और पता

मैं / हम यह प्रमाणित करते हैं कि आवेदन पत्र में ऊपर दी गई सामग्री/सूचना हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सर्वथा ठीक है जिसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है। अगर आवेदन में दी गई जानकारी को झूठा पाया जाता है, तो मेरे/हमारे आवेदन को बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर बाहर किया जा सकता है।

स्थान : दूरभाष/फैक्स नम्बर : **(लाभार्थी के हस्ताक्षर)**

तिथि : नाम और पता : .....

प्रारूप–III

शपथ–पत्र

(रु. 20 के स्टाम पेपर पर)

मैं / हम .....(प्रमोटर / निदेशक का नाम) उम्र ..... सुपुत्र श्री .....(पिता का नाम) .....(निवास का पता) का एतद् इसके द्वारा निम्नानुसार सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि व घोषणा करता हूँ :

1. कि मैं / हम ..... (लाभार्थी का नाम), जिनकी पंजीकरण संख्या ..... है व ..... (लाभार्थी का कार्यालय का पता) पर पंजीकृत कार्यालय है, उनका / उनके व्यक्तिगत उत्पादक / प्रमोटर / साथी / निदेशक / उत्पादकों का समूह / उत्पादकों / मालिकों का संघ हूं / हैं।

2. ..... नामक कंपनी / साझेदारी फर्म / सहकारी समिति की ओर से मैं एततद्वारा आवेदन करता हूं तथा मैं सभी आवश्यक दस्तावेजों (इस शपथ पत्र सहित) को लागू करने और इन पर हस्ताक्षर करने के लिए संकल्प संख्या .....दिनांकित .....के द्वारा अपने अधिकार में विधिवत् प्राधिकृत हूं, और .....(परियोजना द्वारा की जाने वाली गतिविधियों) के लिए सर्वेक्षण संख्या ....., गांव ..... तहसील..... जिला..... राज्य..... (परियोजना के लिए स्थान) पर बन रही परियोजना से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में पूरी तरह जानता हूं कि यह आवेदन ''शीत संग्रहगार और संग्रहगारों के निर्माण / विस्तार / आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सहायिकी योजना'' के तहत आशय पत्र को प्राप्त करने के लिए एन.एच.बी. को दिया जा रहा है।

3. कि रा.बा.बो. की योजना के तहत, जिन नियमों व शर्तो पर एक आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है, उन्हें मैंने ठीक से पढ़ व समझ लिया है और मैं विधिपूर्वक पुष्टि करता हूं कि योजना / प्रस्ताव / परियोजना रा.बा.बो. के नियमों व शर्तो का पालन करती हैं व आवेदन पत्र सही योजना में लागू किया गया है।

4. कि परियोजना / योजना द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां ऊपर दी गई रा.बा.बो. की योजना में शामिल हैं और वर्तमान में या निकट भविष्य में, आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट बागवानी गतिविधियों के अलावा, किसी भी अन्य गतिविधियों के लिए, परियोजना की योजना / बुनियादी ढांचे के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

5. कि आशय पत्र (एल.ओ.आई.) के आवेदन में दी गई सूचना मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही व सबसे अच्छी है। योजना / प्रस्ताव / परियोजना, वित्तीय व्यवहार्यता, व संचालन परिणामों की लागत का अनुमान, इससे संबंधित नियमों व आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों व मानको के अनुसार, अभिलिखित किया गया है।

6. कि इस नई परियोजना और उसके घटक के लिए, केन्द्रीय सरकार या उसकी किसी भी ऐजेंसी (रा.बा.बो. के अलावा) से प्रमोटरों / निदेशकों / मालिकों ने आवेदन पत्र में दी गई सब्सिडी / सहायता अनुदान के अलावा कोई सब्सिडी / सहायता अनुदान नहीं ली है।

7. मैंने या सहकारी समिति, साझेदारी फर्म, स्वयं सहायक संघ के किसी भी अन्य प्रमोटर ने रा.बा.बो. से ऐसी कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं की है, जिसका खुलासा आवेदन पत्र में ना हुआ हो।

8. मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि आशय पत्र के लिए आवेदन में दी गई प्रस्तावित गतिविधि पूरी तरह से नई गतिविधि है और यह व इसके घटक पूर्व गतिविधि नहीं है।

9. कि मैंने 1 अप्रैल 2010 से निर्धारित तकनीकी मानकों के लिए अधिसूचना एफ. संख्या 45–64/2010 हार्ट दिनांक 25 फरवरी, 2010 का पूर्णतयः निरीक्षण कर लिया है।

10. कि मैंने यह स्वीकृत एवं अंगीकृत कर लिया है कि रा.बा.बो. या इसकी अधिकृति ऐजेंसी द्वारा दस्तावेजों का तकनीकी निरीक्षण उसकी परियोजना की जांच करने में प्रर्वतक/शपथकर्त्ता की जिम्मेदारी का निराकरण नहीं करेगा और यह निश्चित है कि इसमें निर्धारित तकनीकी मानकों का निरपवाद समावेश है जोकि अधिसूचना एफ सं. 45–64/2010–हार्ट दिनांक 25.02.2010 के तहत 01.04.2010 से प्रभावी है।

11. कि इस सम्बन्ध में किसी भी तथ्यों को छिपाने के मामलें में बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी भी स्तर पर तुरन्त मेरे आवेदन को निरस्त कर दें।

शपथकर्ता

सत्यापन

.....स्थान) पर .....(तिथि)..... (माह), 2010. ..... (वर्ष) में सत्यापित प्रतिज्ञान किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरे सम्पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सर्वथा ठीक है व कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता

100 रु. के स्टाम्प पेपर पर स्वयं प्रमाणन प्रारूप प्राप्त होना

घोषणा

मै .....(परामर्शदाता का नाम) आयु .....पुत्र श्री ..... (पिता का नाम) निवासी .....(निवास का पता) प्रमाणित करता हूं कि :

1. कि मैं एक स्नातक इंजीनियर हूं/डिजाइनिंग में निपुणता, शीत संग्रहगारों का निर्माण एवं रखरखाव, इन्सूलेशन एवं शीतलन प्रणाली एवं शीत कड़ी अवसंरचना उपकरण आदि में समुचित अनुभव रखता हूं।

2. कि मेरी बी.ई./बी. टैक/एम. टैक स्नातक/स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र की कापी संलग्न है तथा जो मेरी घोषणा व प्रमाणन का भाग होगी।

3. कि मैं परियोजना/तकनीकी परामर्शदाता हूं जिसे प्रोजेक्ट प्रमोटर ..... द्वारा डिजाइन, कन्सेस्युलारज व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु संदर्भ सं0 ..... के तहत हायर किया गया है।

4. कि मैं शीत कड़ी अवसंरचना के लिए लागू संबंधित कोड एवं मानकों से पूर्णतयाः सहमत हूं उपरोक्त उल्लेखित निर्धारित तकनीकी मानकों का परियोजना में स्थिर अनुपालन की पुष्टि करता हूं।

5. कि मैंने 1 अप्रैल 2010 से लागू निर्धारित तकनीकी मानकों के लिए अधिसूचना एफ नं. 45–64/2010/हार्ट दिनांक 25.2.2010 को पूर्णतयः निरीक्षण कर लिया है।

6. कि मैं यह प्रमाणित करता हूं तकनीकी आंकड़ा पत्रक के निर्धारित प्रारूप में प्रशीतलन प्रणाली व इन्सूलेशन के घटक चिह्नित उपकरणों की रेटिंग व निष्पादन के अनुरूप है एवं प्रस्तावित डिजाईन अधिसूचना एफ. सं0 45–64/2010–हार्ट दिनांक 25.02.2010 के तहत निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार है।

7. कि बोर्ड/उपकरणों के निर्माता/प्रर्वतकों द्वारा मुझे प्रदान की गई मालिकाना सूचना के संबंध गोपनीय व अपूर्ण अपेक्षाओं के पालन का मैं बचन देता हूं।

8. कि मैं परियोजना के प्रक्रम निरीक्षण के दौरान नियामक एजेन्सी व सरकारी निरीक्षण की सहायता करूंगा तथा जब और जहां आवश्यक हुआ कोई/अथवा सभी तकनीकी स्पष्टीकरण प्रदान करूंगा।

9. कि निर्धारित मानकों के अनुसार निष्पादन संकेतक के अनुरूप कूलिंग सिस्टम के संतोषजनक संचालन मैं प्रमाण पत्र जारी करूंगा।

10. कि मेरे द्वारा तकनीकी मानकों के अनुपालन के संबंध में डीपीआर में कोई भी तथ्य छिपाने की स्थिति में अथवा मेरे द्वारा दी गई झूठी घोषणा/प्रमाणीकरण अथवा मेरी घोषणा का कोई भी भाग सही नहीं पाये जाने की स्थिति में बोर्ड, अपने विवेकाधिकार के तहत, मेरे विरूद्ध कोई भी कार्रवाई (कानूनी कार्रवाई सहित) जो भी कथित व सही समझी जाए, कर सकता है।

साक्ष्य के रूप में, परामर्शदाता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें और ..... दिनांक .....माह, 2010 निम्नलिखित गवाहों की उपस्थित में प्रमाणित

गवाह

1.

2.

(परामर्शदाता के हस्ताक्षर)

प्रारूप–IV

बेसिक डाटा सीट

क. पहचान

शीत भंडारण का नाम		
शीत भंडारण की अवस्थिति	क्षेत्र / गांव	शहर
	जिला	राज्य
प्रमोटर कंपनी / मालिक का नाम		
कंपनी का प्रकार (स्वामित्व / साझेदारी / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड)		
प्रमोटर का डाक पता		
	दूरभाष / फैक्स	मोबाइल नं. / ई–मेल
संक्षिप्त वर्तमान क्रियाकलाप		
सीईओ / प्रबंध निदेशक का नाम		
प्रबंधक / संपर्क व्यक्ति का नाम	दूरभाष / मोबाइल नं.	

ख. मूलभूत शीत भंडारण डिजाइन विचार क्षेत्र

(i) **वस्तु भडांरण अपेक्षाएं** वस्तु / उत्पादन का प्रकार आदर्श / अनुशासित भंडारण स्थिति – तापमान (°C में डीबी) – आर्द्रता आरएच रेंज (%) – हवा परिसंचरण (उत्पादन का सीएमएच / एमटी) – वेंटिलेशन (हवा परिवर्तन / दिन) – CO_2 रेंज (PPM) – उत्पाद – शीतलन दर (°C दिन) – हिमांक बिन्दु (°C) – अन्य	

शीतलन कक्ष ड्राई बल्ब (°C में DB)	
शीतलन कक्ष आरएच (%)	
अधिकतम भंडारण अवधि (महीनों में)	
अधिकतम उत्पाद तापमान (°C) – लदान के समय	
दैनिक लदान दर (मी.टन./दिन) – प्रत्येक शीतल कक्ष में	
लोड अवधि (महीनों में)	
पुल डाउन रेट (°C/दिन)	
अनलोड करने की अवधि (महीनों में)	
दैनिक अनलोड की दर (मी.टन./दिन) – प्रत्येक शीत चैम्बर से	
एन्टी रूम कंडीशन (टी °C एवं आरएच %)	
छंटनी एवं श्रेणीकरण क्षेत्र (टी °C एवं आरएच %)	
विशेष प्रावधान – प्रसंस्कृत आलू के लिए सीआईपीसी ट्रीटमेंट	
विशेष प्रावधान – एमए/इथीलीन नियंत्रण/ – फूनीगेशन/ताजा हवा आदि	

(ii) **ताजा हवा/वैटिलेशन प्रणाली**

CO_2 निष्कर्षण/वैटिलेशन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण	
CO_2 सान्द्रण नियंत्रण रेंज (PPM)	
अनुवीक्षण एवं नियंत्रण यंत्र – प्रकार – यथार्थता/शुद्धता	
वैटिलेशन क्षमता (अधिकतम हवा परिवर्तन/दिन)	
ऊर्जा पुनः प्राप्ति एवं उत्पादन की वेटिंग की रोकथाम के लिए डिजाइन विचार	

(iii) शीत भंडार चैम्बर का आकार व क्षमता

– चैम्बरों की संख्या

– प्रकार : मेजेनीन/पैलेटाइजड

– भवन की अधिकतम ऊंचाई

विवरण	सीएससी 1	सीएससी 2	सीएससी 3	सीएससी 4
प्रत्येक शीतलन भंडारण चैम्बर की कुल क्षमता (मी.टन.)				
आंतरिक चैम्बर का आयाम (एल x बी x एच) (एम)				
मैजेनाइन फर्शों की संख्या x ऊंचाई (एम) प्रति मंजिल				
संग्रहित बैग या बक्सों का आकार व वजन				
प्रत्येक शीत भंडार चैम्बर में संग्रहित बैग/बक्सों की कुल संख्या				

(iv) एंटी रूम व प्रक्रिया क्षेत्र

विवरण	लंबाई (एम)	चौड़ाई (एम)	ऊँचाई (एम)
एंटी रूम			
छंटनी एवं श्रेणीकरण क्षेत्र			
लदान/ऊतराई गोदी			

(v) मशीनों के कमरे और उपयोगिता क्षेत्र

विवरण	लंबाई (एम)	चौड़ाई (एम)	ऊँचाई (एम)
मशीनों का कमरा			
कार्यालय क्षेत्र			
शौचालय और बदलने के कमरे			
अन्य			

(vi) भवन व निर्माण विवरण

निर्माण के प्रकार – सिविल/इंजीनियरी–पूर्व भवन

शीत चैम्बर की बाहरी दीवारों का प्रकार	
आंतरिक / विभाजन दीवारों का प्रकार	
छत/सिलिंग का प्रकार	
आंतरिक संरचना/रेक के प्रकार	
मेजेनाइन ग्रेटिंग के प्रकार	
शीत चैम्बरों के लाइटिंग फिक्सर्च के प्रकार	
प्रक्रिया एवं अन्य क्षेत्रों में लाइटिंग फिक्सर्च के प्रकार	

(vii) परिरोधन एवं वाष्प रोधक

परिरोधन के प्रकार : परिरोधन शीट/धातु त्वचा वाले समिश्र पैनल

परिरोधन के प्रकार	बाहरी दीवार	आंतरिक दीवार	सिलिंग/छत	तल
सामग्री का प्रकार EPS/धातु त्वचा PUF संमिश्र पैनल/XPS/PUR अन्य				
प्रांसगिक IS कोड				
धनत्व (kg/m^3)				
तापीय चालकता मूल्य (+10°C के तापमान पर) (w/m.k.)				
थर्मल डिफयुसिवीटी (m^2/h)				
जल वाष्प संरचण दर, ng/Pa.sm अधिकतम				
जल अवशोषण (आप्लावन के 24 घंटे बाद),				
मास द्वारा निर्धारित प्रतिशत में				
कोल्ड भडांरण की थर्मल इन्सुलेशन के लिए प्रांसगिक IS कोड				
इन्सुलेशन की कुल मोटाई (mm)				
परतों की संख्या व परत मोटाई (mm)				
वाष्प बाधक के प्रकार व मोटाई (माइकरोन)				
बिटुमिनस /चिपकने वाले यौजिक के प्रकार				
कलैडिंग /कवरिंग/बाहरी फिनिश के प्रकार				
लांकिग/फिक्सिंग और मुद्रण प्रणाली (धातु त्वचा वाले संयुक्त पैनलों में)				
कोई अन्य जानकारी				

(viii) शीत भंडार के दरवाजे एवं वायु पर्दे

इन्सुलेशन के प्रकार	विवरण
इन्सुलेटिड दरवाजों की संख्या	
प्रकार – हिजड/रपट	
इन्सुलेशन सामग्री ईपीएस/पीयूएफ/अन्य	
इन्सुलेशन की मोटाई (एमएम)	
क्लैडिंग के प्रकार	
खुलने वाले दरवाजे का आकार	
पट्टी पर्दों का प्रावधान – संख्या (एमएम) और औवरलैप	
वायु पर्दे (यदि कोई हो)	
अन्य	

(ix) सामग्री हैंडलिंग

प्रस्तावित व्यवहार – मैन्यूअल / अर्द्ध स्वचलित / स्वचालित

प्रक्रिया	संक्षिप्त विवरण
सामग्री हैंडलिंग प्रक्रिया और उपकरण	
बिजली एलेवेटर कैप, मोटर की रेटिंग (केडब्ल्यू)	
कोई अन्य उपकरण	

(x) श्रेणीकरण, छँटाई, धुलाई और लाइन पैकिंग (ऐच्छिक)

प्रस्तावित अभ्यास – मैन्यूअल / अर्द्ध स्वाचलित / स्वाचलित

प्रक्रिया	संक्षिप्त विवरण
प्रक्रिया के लिए लाइन	
कुल – जोड़ा गया लोड (केडब्ल्यू)	

कृप्या सांविधिक निर्माण उपविधियों व बी.आई.एस. निर्माण मानकों व कोड के अनुसार,एक पंजीकृत वास्तुकार और संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा विधिवत अनुमोदित – प्रस्तावित शीतकलन कक्ष की योजना व लेआऊट संलग्न करें। चित्रों में इन्सुलेशन का प्रकार, मोटाई व फिक्सिंग की कार्यप्रणाली का अनुभागीय विवरण होना चाहिए।

ग. शीतलन प्रणाली की ताप भार गणना – सारांश

परिवेश की स्थिति	गर्मी	मानसून	सर्दी
शुष्क बल्ब तापमान (°C)			
नम बल्ब तापमान (°C)			

शीतलन लोड		लोडिंग के दौरान (केडब्ल्यू)	पुल डाऊन के दौरान (केडब्ल्यू)	लोडिंग के दौरान (केडब्ल्यू)
ट्रासमिशन लोड / भार				
उत्पाद लोड / भार				
आंतरिक भार	प्रकाश भार			
	अधिभोग भार			
इनफिल्ट्रेशन भार				
वैटिलेशन / ताजा हवा का भार				
यंत्र भार / फैन मोटर, आदि				
कुल भार : (केडब्ल्यू 24 घंटे)				
कम्प्रेशर प्रचालन (घंटे / दिन)		लोडिंग अवधि		
		पुल डाऊन अवधि		
		होल्डिंग अवधि		
मल्टीप्लायर		सुरक्षा कारक		
		डीफ्रास्ट अवधि		
कुल प्रशीतन भार		पीक अवधि	होल्डिंग अवधि	लीन अवधि
कुल भार (केडब्ल्यू)				

कृपया निर्धारित तकनीकी मानकों व दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित शीत भंडार कक्ष की एक अर्हता प्राप्त इंजीनियर द्वारा विधिवत अनुमोदित विस्तृत ताप–भार गणना पत्रक संलग्न करें।

घ. शीतलन प्रणाली का डिजाईन और उपकरण चयन

(i) ***शीतलन प्रणाली अधिविन्यास***

प्रशीतन के प्रकार	अमोनिया / फिरौन / अन्य
प्रणाली के प्रकार	प्रत्यक्ष ईएक्सपी / गुरूत्व फीड / ओवरफीड
कंप्रेसर के प्रकार	रेसीप्रोकल / स्क्रू / स्क्राल / अन्य
क्षमता नियंत्रण के प्रकार	स्वाचलित चरणों में / चरणों के बिना
कंडेसर के प्रकार	वायुमंडलीय / वाष्पीकरण / शेल और ट्रयूब / प्लेट ताप एक्सेचेंजर / अन्य
शीतलन टावर (यदि लागू हो)	एफआरपी प्रेरित ड्राफ्ट / अन्य
शीतलन क्यावल के प्रकार	छत निलंबित / तल से जुड़ा हुआ / अन्य
डीफ्रस्टिंग के प्रकार	वायु / जल / विद्युत / गर्म गैस
ह्यूमिडीफिकेशन प्रणाली और नियंत्रण (संक्षिप्त विवरण)	

(ii) ***कंप्रेशर विस्तार***

कंप्रेशर की बनावट व मॉडल	**संख्या**	**कंप्रेसर (आरएमपी)**	**आपरेटिंग पैरामीटर वाष्पीकरण एसएसटी / संघनित ताप (°C)**	**प्रशीतन क्षमता (के.डब्ल्यू)**	**मोटर रेटिंग (के.डब्ल्यू)**	**कुल विद्युत शक्ति (बी.के.डब्ल्यू)**	**अभ्युक्तियाँ कार्यशील / स्टैंडबाई**

(iii) ***कंडेसर विवरण***

कंडेसर की बनावट व मॉडल	संख्या	आपरेटिंग पैरामीटर संघनित्र तापमान (एसडीटी/ इन / आऊट जल तापमान (°C) और बहाव (आईपीएस)	कंडेसर क्षमता (के.डब्ल्यू)	विद्युत पंखे / पंप मोटर रेटिंग (के.डब्ल्यू)	कुल विद्युत शक्ति (बी.के.डब्ल्यू)	आभ्युक्तियां कार्यशील / स्टैंडबाई

(iv) *शीतलन टावर ब्यौरा (यदि लागू हो)*

शीतलन टावर – बनावट व मॉडल संख्या	संचालन पैरामीटर, डीबी तथा डीडब्ल्यू तापमान, अंदर/बाहर पानी का तापमान (°C)	शीतलन टॉवर क्षमता (के.डब्ल्यू)	पंखे एवं पंप क्षमता (सीएमएच/एलपीएस) व मोटर (के.डब्ल्यू)	कुल विद्युत शक्ति (बी.के.डब्ल्यू)	अभ्युक्तियां कार्यशील/स्टैंडबाई

(v) *हवा शीतलन यूनिट (एसीयू)*

एसीयू की बनावट व मॉडल	संख्या	आपरेटिंग पैरामीटर वाष्पीकरण (एसएसटी) और टीडी* (°C)	शीतलन क्षमता (के.डब्ल्यू)	वायु प्रवाह (सीएमएच) और फेस वेग (एम/एस)	पिन पिच (एमएम) शक्ति (बी.के.डब्ल्यू)	पंखों की कुल बिजली

(*) टीडी : वाष्पीकरण (एसएसटी) °C और वापसी हवा के बीच तापमान (कॉयल इनलेट पर) अंतर

कृपया प्रत्येक उपकरण अर्थात कंप्रेसर, कंडेसर, शीतलन टॉवर, वायु शीतलन यूनिट कि लिए सामान्य लेआऊट, आयाम, निर्माण की साम्रगी, अंकित क्षमता, आपरेटिंग पैरामीटर व सीओपी देती हुई, संगत कोड व मानकों के संदर्भ में संबंधित उपकरणों के निर्माताओं द्वारा विधिवत प्रमाणित विस्तृत तकनीकी डाटा शीट संलग्न करें। (कृपया नोट कर लें कि वायु शीतलन इकाई डाटा शीट में ताप हस्तांतरण क्षेत्र, फिन स्पेस, कतारों की संख्या, वायु प्रवाह, फेस गति, फेन स्थैतिक, फेन नोटस बीकेडब्ल्यू/केडब्ल्यू आदि शामिल होने चाहिए)।

ङ. **विद्युत स्टॉलेशन**

कुल संयोजित लोड (कि.वॉट)	
शिखर भार अवधि में बिजली की अनुमानित आवश्यकता (बी.कि.वॉट)	
होलडिंग भार अवधि में बिजली की अनुमानित आवश्यकता (बी.कि.वॉट)	
लीन भार अवधि में बिजली की अनुमानित आवश्यकता (बी.कि.वॉट)	
ट्रांसफार्मर की क्षमता (केवीए) (प्रस्तावित)	
शक्ति कारक के सुधार व उनके परिचालन के लिए संधारित का आकार	
स्टैंडबाय डीजी सेट की बनावट व क्षमता (केवीए)	

च. सुरक्षा प्रावधान

अग्नि शमन के उपकरण का विवरण	शुष्क जल–आधारित	
प्रतीशतक व लीक रखरखाव	लीक की छानबीन रखरखाव के उपाय	
सुरक्षा उपकरण–एल पी/एम पी कटआउट, सुरक्षा वाल्व, शट ऑफ वाल्ब आदि		
आपातकालीन अलार्म प्रणाली, व ठंडे कक्ष में पुश बटन प्रणाली का विवरण		
ठंडे कक्ष और अन्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था		
प्रकाश व्यवस्था प्रगृहीता		
कोई अन्य सुरक्षा प्रावधान		

छ. अनुपालन योग्य कोड व मानक

भवन अभिकल्पन व संरचना	
निर्माण सामग्री	
थर्मल इंशुलेशन व अनुप्रयोग	
प्रशीतन उपकरण व प्रणालियाँ	
विद्युत व यांत्रिक प्रणालियाँ	
खाद्य सुरक्षा	
अन्य	

ज. ऊर्जा बचत उपकरण और उपाय

ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	संक्षिप्त वर्णन व बचत
लाईट फिक्सशर सीएफएल/एलईडी	
सामान्य क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था	
पंखों/कंप्रेसरों के लिए वीएफडी	
प्रशीतन उपकरण का नियंत्रण व स्वचालन	
वायु शुद्धिकरण उपकरण	
शक्ति कारक नियंत्रक	
वायु संचार प्रणाली के लिए ऊर्जा पुनः प्राप्ति/ताप हस्तांतरण	
अक्षय/सौर ऊर्जा –पीवी प्रकाश व्यवस्था	
पीएलसी नियंत्रण व डाटा एक्वीजिशन	
कोई अन्य विशेषताएँ – जल पुनर्धकरण, वर्षा–जल संचयन	

झ. प्रचालन व रख–रखाव

विवरण	संख्या / विवरण
प्रचालन और रखरखाव के लिए प्रस्तावित स्टॉफ	
वार्षिक रखरखाव के लिए संविदा (यदि कोई हो)	
प्रशिक्षण और निवारक अनुरक्षण प्रक्रियाएँ	
स्वच्छता और सफाई व्यवहार	
प्रदूषण नियंत्रण	

ञ. प्रस्तावित शीत भंडार का अनुमानित प्रदर्शन पैरामीटर

पैरामीटर	पीक अवधि	होल्डिंग अवधि	लीन अवधि
शीत भंडार इकाई के गुणांक (सीओपी)			
बिजली की खपत (केडब्ल्यूएच/दिन)			
कुल बिजली की लागत (रु./दिन)			
भंडारन की दिशा में बिजली की लागत (रु./एमटी / दिन)			

ट. अन्य जानकारी

जगह : .....
तिथि : .....

आवेदक के हस्ताक्षर व नाम
मोहर के साथ

जगह : .....
तिथि : .....

बड़े अक्षरों में नाम
परामर्शदाता के हस्ताक्षर व मोहर
जिसने शीत भंडार का डिजाइन किया है
और इसे प्रर्वतन में लाने व निर्माण
के दौरान पर्यवेक्षण किया है।

प्रारूप–v

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

प्रगति रिपोर्ट

(निरीक्षण–पूर्व रिपोर्ट)

निरीक्षण की तारीख

1.	(i) परियोजना का नाम	
	(ii) दूरभाष संख्या सहित पत्राचार का पता	
	(iii) पता सहित परियोजना की अवस्थिति	
	(iv) संस्था (व्यक्ति / संयुक्त व्यक्ति / साझेदार फर्म / कंपनी)	
	(v) भूमि विनिर्देशन सहित भूमि पर अधिकार की स्थिति	
	खसरा सं.	
	खतौनी आदि	
	(आवेदक ने नाम पर स्वयं की भूमि / आवेदक के नाम पर पंजीकृत पट्टा भूमि या अन्यथा, कृपया स्पष्ट करें)	
2.	प्रस्तावित क्रियाकलाप	शीत भंडार
	प्रकार	
	शीतलन प्रणाली के प्रस्तावित प्रकार	सीएस1 / सीएस2 / सीएस3
3.	परियोजना लागत तथा वित्त के साधन	
4.	परियोजना की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति	अभ्युक्तियां (विस्तृत रूप में)
	4क. आरम्भ होने की तारीख	
	(i) भूमि विकास स्थिति / चारदीवारी / सड़क	➤
	(ii) प्लाट से जुड़ी सड़क	➤
	(iii) निरीक्षण की तारीख पर शीत भंडार भवन	➤
	की स्थिति सिविल / इंजीनियरी–पूर्व	
	(iv) विद्युत ट्रांसफार्मर / विद्युत आपूर्ति उपकरण की स्थापना	➤
	(v) प्रशीतन शीत प्रणाली की स्थापना	➤
	(vi) संचयित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पाद के प्रकार	➤
	(vii) क्या शीत भंडारण कार्यरत हैं?	➤

5.	यदि बोर्ड द्वारा पहले ही किसी शीत भंडारण परियोजना के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई है तो आवेदक का विस्तृत विवरण, प्रयोजन, वर्ष तथा आर्थिक सहायता की राशि को कृपया निर्दिष्ट करें	
6.	पिछली परियोजना, यदि कोई हो, की स्थिति	
7.	निरीक्षण अधिकारी की अभ्युक्तियां	
8.	क्या प्रवर्तक ने सावधिक ऋण के लिए बैंक/वित्तीय संस्था से संपर्क किया है यदि हां, तो उस माह (पता सहित बैंक नाम, शाखा कोड संख्या एवं दूरभाष संख्या का ब्यौरा दें)	हां/नहीं
	यदि शीत भंडारण निर्माणाधीन है तो आज की तारीख में किए गए व्यय का विवरण दें	
	(i) आवेदक के हिस्से से	
	(ii) बैंक ऋण से	
9.	निरीक्षण पूर्व अधिकारी की अनुशंसा	
10.	शीत भंडारण की अनुमति के लिए संबंधित प्राधिकारी के विचार/निर्णय	

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं मोहर)

अनुलग्नक–III

अनुबंध–III

बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

मदें	विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रारूप–I	आवेदन पत्र	 99–100
प्रारूप–II	अभिवचन	 101

प्रारूप–I

आवेदन पत्र

1. आवेदक की श्रेणी .....
(पंजीकृत सोसाइटी, एन.जी.ओ., कम्पनी, उत्पादक एसोसिएशन/उद्योग/ एस.ए.यू./आर.एण्ड डी. संस्था/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र)

2. आवेदक संस्था का नाम .....

3. राज्य .....

4. परियोजना का पता .....

5. पत्राचार का पता .....

6. सम्पर्क करने वाले का नाम .....

7. दूरभाष संख्या .....

8. मोबाइल संख्या .....

9. ई.मेल. आई.डी. .....

10. आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि .....

11. परियोजना को कार्यान्वित करने की अवधि ..... से .....तक.....

12. घटक जिनके लिए सहायता अपेक्षित है (कृपया उचित घटक को चिह्न्त करें)

(i) (क) नई प्रौद्योगिकी का परिचय – नये कृषि निवेश एवं नई और समुचित प्रौद्योगिकी ☐

(ख) नई प्रौद्योगिकी का परिचय – नई प्रोटोकालों का विकास एवं परिचय ☐

(ग) नई प्रौद्योगिकी का परिचय – विशिष्ट समस्याओं के हल हेतु विकास एवं अनुसंधान परियोजनाएं ☐

(ii) प्रगतिशील कृषकों ☐

(iii) संवर्धनात्मक एवं विस्तार क्रियाकलाप ☐

(iv) भारत/विदेशों से सेवाएं ☐

(v) प्रौद्योगिकी जागरूकता ☐

(vi) संगठन/सेमीनार/गोष्ठी/प्रदर्शनी में भागीदारी ☐

(vii) उद्यान पंडित ☐

(viii) प्रचार एवं चलचित्र ☐

(ix) प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं बाजारों का जागरूकता ☐

(x) वैज्ञानिको को मानदेय ☐

(xi) बागवानी नर्सरियों का प्रत्यापन एवं मूल्यांकन ☐

(xii) मूल पौध नर्सरी ☐

(xiii) बागवानी पार्को में जन सामान्य सुविधाएँ ☐

13. प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण (योजना दिशा–निर्देश में सहायता की पात्रता को न्यायोचित करते हुए परियोजना का संक्षिप्त विवरण)

14. निवेश के बड़े मदों को निर्दिष्ट करती हुई परियोजना लागत

15. निधियों का स्रोत

16. संसाधन व्यक्तियों का नाम और पदनाम, यदि कोई हो

17. संलग्न करने के लिए दस्तावेज	हाँ	नहीं
(1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र	☐	☐
(2) निर्धारित प्रारूप में अभिवचन – जहां भी लागू हो	☐	☐
(3) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट – जहां भी लागू हो	☐	☐
(4) पिछले आय–कर रिर्टन की कॉपी, यदि कोई हो	☐	☐
(5) संगठन के उप नियम	☐	☐
(6) संगठन का संघ ज्ञापन	☐	☐
(7) पिछले तीन सालों के खाते	☐	☐
(8) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट	☐	☐

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रारूप–II

अभिवचन

हम यह अभिवचन देते हैं कि नीचे दिए गए विवरण व प्रस्तुत किए गए अंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार पिछले वर्ष की अवधि के दौरान, हमारे संगठन ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रौद्योगिकी विकास व अंतरण योजना के तहत वित्तीय लाभ उठाया है।

क्र सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम का महीना व वर्ष	प्राप्त की गई सहायता की राशि	अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया या नहीं	एन.एच.बी. को यू.सी. भेजने की तारीख

हम यह भी अभिवचन देते हैं कि इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा के नियमों के अनुसार ही उपर्युक्त राशि के व्यय की विधिवत लेखा परीक्षा की गई है।

हम यह भी अभिवचन देते हैं कि केन्द्र सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में ही इसी परियोजना के हेतु वित्तीय सहायता ली जा रही है ।

योजना का नाम	संपर्क विवरण के साथ योजना के नोडल अधिकारी	सहायता के लिए ली गई राशि/ आवेदित की गई राशि

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रचालन दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाएँ

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली
जुलाई, 2010

पी.के. बसु, आई.ए.एस.
सचिव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली
दूरभाष : 23382228, 23382651
जुलाई 13, 2010

प्राक्कथन

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) की स्थापना देश में व्यावसायिक बागवानी के एकीकृत विकास के संवर्धन की दृष्टि से वर्ष 1984 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी।

उत्तर–पूर्व तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन जिसे पूर्व में उत्तर–पूर्व राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के रूप में जाना जाता था, के आरंभ होने के बाद से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के लिए अपनी प्रतिष्ठा कायम रखकर नये कर्तव्यों का भार संभालना अत्यावश्यक हो गया है जिससे कि देश में व्यावसायिक बागवानी के योजनागत विकास में वृद्धि हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की योजनाओं को अन्य दो योजनाओं के साथ साहचर्य बनाने के लिए आशोधित किया गया है तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, सूक्ष्मतापूर्ण काश्तकारी के संवर्धन, ऊर्जा कुशलक्षम तथा पर्यावरण व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों को अपनाकर तथा प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण में अतिव्याप्ति की समाप्ति द्वारा बागवानी क्षेत्र के विकास के लक्ष्य को पूरा करना है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की योजना में मूल पौध नर्सरियों/कलम तथा प्रकंदन बैंकों की स्थापना के लिए नए घटकों, बागवानी नर्सरियों का प्रत्यायन एवं श्रेणीकरण, बागवानी पार्क, बाजार आसूचना तथा राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र को भी शामिल किया गया है। विकास की अनवरत योजना तथा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एवं बागवानी संवर्धन पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त होगा तथा कृषकों के लाभ में बढ़ोत्तरी होगी।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के लिए नए प्रचालन दिशा–निर्देश 1 मई, 2010 से प्रभावी है। इस प्रकाशन से यह आशा की जाती है कि यह न केवल स्टॉफ तथा अधिकारियों के लिए बल्कि लाभार्थियों, वित्तीय संस्थाओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा विस्तार अभिकरणों के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

(पी.के. बसु)

कार्यालय : कृषि भवन, नई दिल्ली–110001, दूरभाष : 23382651, 23388444,
फैक्स : 23386004, ईमेल : secy-agri@nic.in

सत्यमेव जयते

विजय कुमार
प्रबंध निदेशक

प्रस्तावना

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड वर्ष 1999–2000 से हाई–टेक व्यावसायिक बागवानी के विकास के लिए नई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। रा.बा.बो. की योजनाओं ने हाई–टेक व्यावसायिक बागवानी की परियोजनाओं तथा कटाई पश्च अवसंरचना में अधिकाधिक निजी निवेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। अतः राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को फसलों जैसे अँगूर, अनार, आम, केला, रसदार फलों, चीकू, कट फूलों की संरक्षित खेती के लिए देशभर में बागवानी के संवर्धन का श्रेय दिया जाता है।

तथापि, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं उत्पाद संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए रा.बा.बो. की योजनाओं के अभाव को इस अवधि में समूचे विश्व द्वारा महसूस किया गया। बागवानी विकास के लिए मिशन मोड योजनाओं के आरंभ होने के बाद, उत्तर–पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए रा.बा.बो. योजना के घटकों के राष्ट्रीय बागवानी मिशन और प्रौद्योगिकी मिशन की सदृशता का संकेत दिया गया है। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि उक्त अतिव्याप्ति को हटाने और एन.एच.एम. तथा उत्तर–पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के साहचर्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजनाओं में सुधार किया गया है। ये योजनाएँ 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 1 मई, 2010 से प्रभावी होंगी।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के लिए प्रचालन दिशा निर्देश के सार को सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया को लाने के उद्देश्य से प्रकाश में लाया गया है। ये दिशा निर्देश स्वतः स्पष्ट हैं जिनमें ऑन लाईन आवेदन करने सहित आवेदन पत्र को भरने की जानकारी, आशय पत्र प्राप्त करने, आर्थिक सहायता का दावा करने तथा रा.बा.बो. की संवर्धनात्मक योजनाओं के अंतर्गत सहायता का लाभ लेना शामिल है।

इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जब ज्यादा से ज्यादा विद्यमान योजना घटकों को आवश्यक आशोधनों सहित प्रचालन को जारी रखा जाता है तो उनमें नए योजना घटकों जैसे बागवानी नर्सरियों का प्रत्यायन एवं मूल्यांकन, फलों से संबंधित फसल के लिए अधिक उपज देने वाली पौध रोपण सामग्री के लिए

मूल पौध नर्सरी तथा बागवानी पार्क/कृषि निर्यात क्षेत्रों आदि में सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता को भी शामिल किया जाता है। बागवानी फसलें जो कि रा.बा.बो. का मुख्य अधिदेश है, के लिए कटाई पश्च प्रबंधन सुविधाओं में निवेश को संवर्धित करने के उद्देश से राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजना के साथ समानता रखते हुए बागवानी उत्पाद के लिए पी.एच.एम. घटक तथा शीत भंडारण के लिए सरकार ने 40 प्रतिशत की उच्चत्तर स्तर की आर्थिक सहायता को अनुमोदित किया है। पी.एच.एम. सुविधाओं तथा शीत भंडार के लिए समुचित तथा ऊर्जा कार्यक्षम प्रौद्योगिकी के संवर्धन के उद्देश्यों से इस योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम तकनीकी मानक जो पूर्व शर्त से वित्तीय सहायता प्राप्त करने तक है, को बोर्ड ने निर्धारित किया है।

उत्पादक एसोसिएशन/स्व सहायता समूह तथा विशेषज्ञ/अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के साथ प्रभावी साझेदारी बनाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण से संबद्ध योजनाओं के लिए प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में बोर्ड ने वांछनीय परिवर्तन किए हैं। उद्यमियों के सेवा प्रभावशाली रूप से करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में प्रचालन दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, ये दिशा निर्देश रा.बा.बो. की वेबसाइट **http://nhb.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं। ऑन लाईन आवेदन पत्र, आवेदन पत्रों की ट्रेकिंग तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली की सुविधा प्रदान करके इन प्रयासों को मजबूती प्रदान की जा रही है। लाभार्थी–उद्यमियों के आवधिक ऋण लेखा खातों में बैक–एन्डिड आर्थिक सहायता के मोड से आर्थिक सहायता के इलेक्ट्रानिक अंतरण की प्रणाली तथा बोर्ड द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के निष्पादन के अनुवीक्षण के लिए एम.आई.एस. निधि का आरंभ किया गया है जो हमारा प्रयास है।

मैं आशा करता हूं कि अंश–धारकों के लिए 11वीं योजना अवधि हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के लिए प्रचालन दिशा–निर्देशों का सार–संग्रह उपयोगी सिद्ध होगा।

(बिजय कुमार)
प्रबंध निदेशक

दिनांक : 13/07/2010

विषय–सूची

विवरण		पृष्ठ सं.
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का परिचय, योजनाओं की सूची, योजनाओं के लक्ष्य एवं उद्देश्य		 1–2
सभी योजनाओं के लिए सामान्य दिशा–निर्देश		 3
विशिष्ट योजनाओं के लिए दिशा–निर्देश		
(i)	**योजना–1 :** बागवानी फसलों के उत्पादन एवं कटाई–पश्चात प्रबंधन के माध्यम से व्यावसायिक बागवानी का विकास	 4–6
(ii)	**योजना–2 :** बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगारों/संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश आर्थिक सहायता योजना	 7–8
(iii)	**योजना–3 :** बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण	 9–18
(iv)	**योजना–4 :** बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा योजना	 19
(v)	**योजना–5 :** बागवानी संवर्धन सेवा	 20–22
	अनुलग्नक–I	 23–69
	अनुलग्नक–II	 70–96
	अनुलग्नक–III	 97–101

संक्षप्तियाँ

कृ.प्र.खा.उ.नि.वि.प्रा.	–	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
कृ.उ.वि.सं.	–	कृषि उत्पाद विपणन समिति
कृ.प्रौ.प्र.अभि.	–	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण
नि.वा.	–	नियंत्रित वातावरण
स.ज.सु.के.	–	सामान्य जन सुविधा केन्द्र
नि.उ.क.ब.बा.के.सं.	–	निम्न उष्ण कटि बंधीय बागवानी केन्द्रीय संस्थान
कृ.एवं स.वि.	–	कृषि एवं सहकारिता विभाग
वि.एवं दृ.प्र.नि.	–	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
भा.कृ.अनु.सं.	–	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
भा.कृ.अनु.परि.	–	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भा.कि.उ.स.लि.	–	भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड
भा.बा.अनु.सं.	–	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान
कृ.वि.के.	–	कृषि विज्ञान केन्द्र
आ.प.	–	आशय पत्र
आ.वा.	–	आशोधित वातावरण
रा.कृ.वि.प्र.सं.	–	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान
खा.प्र.उ.मं.	–	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स.ज्ञा.	–	समझौता ज्ञापन
भा.रा.कृ.स.वि.सं.लि.	–	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड
रा.शी.श्रृं.वि.के.	–	राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र
उ.पू.क्षे.कृ.वि.नि.	–	उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम
गै.स.सं.	–	गैर–सरकारी संगठन
रा.बा.बो.	–	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
रा.बा.मि.	–	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
रा.बा.अ.व.फ.	–	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास फाउंडेशन
रा.ग्रा.वि.सं.	–	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
रा.औ.पा.बो.	–	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
क.प.प्र.	–	कटाई पश्चात प्रबंधन
अनु.एवं वि.	–	अनुसंधान एवं विकास
रा.कृ.वि.	–	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
ऊ.एवं सं.सं.	–	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान
उ.पू.रा.सहित सि.ज.एवं क. हि.प्र. तथा उ. में वा.के.ए.वि. के लिए प्रौ. मि.	–	उत्तर–पूर्वी राज्यों सहित सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन